हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

1दिसम्बर, 2004

खण्ड 4, अंक 1

अधिकृत विवरण

विशय सूची

बुधवार, 1 दिसम्बर, 2004

पृश्ठ संख्या

भाोक प्रस्ताव	(4)1
तारांकित प्र न एवं उत्तर	(4)6
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर	(4)22
ध्यानाकर्शण प्रस्ताव/अवि वास प्रस्ताव की सूचनाएं	(4)32
वाक आउट	(4)40
घोशणाएं–	(4)40
(क) अध्यक्ष द्वारा– (i) चेयरपर्सन्ज के नामों की सूची	(4)40
(ii) याचिका समिति	(4)40
(iii) सदस्यों की निरर्हता	(4)41
(iv) हरियाणा के राज्यपाल से संदे ा बारे	(4)41

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 13 मार्च, 2004

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में मध्याह्न प चात् 11.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री सतबीर सिंह काद्यान) ने अध्यक्षता की।

भाोक प्रस्ताव

Mr. Speaker: Now, the Chief Minister will make obituary references.

श्री अमर सिंह धानक, हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री

यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री श्री अमर सिंह धानक के 27 नवम्बर, 2004 को हुए दु:खद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 7 अप्रैल, 1930 को हुआ। वे वर्श 1962 में संयुक्त पंजाब विधान सभा और वर्श 1972, 1982 तथा 1991 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वे वर्श 1982–83 के दौरान मुख्य संसदीय सचिव रहे। वे सितम्बर 1984 से जून 1986, दिसम्बर 1986 से जून 1987 तथा सितम्बर 1994 से मई 1996 तक मंत्री रहे। उन्होंने गरीबों और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिये कार्य किया।

उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं योग्य प्र ाासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के भाोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री सुरजीत कुमार धीमान, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य

यह सदन हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री सुरजीत कुमार धीमान के 20 अक्तूबर, 2004 को हुए दुःखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 5 मई, 1949 को हुआ। वे वर्श 1991 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वे एक निश्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे।

उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के भाोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन पंजाब के भूतपूर्व मंत्री श्री हंस राज भार्मा के 30 नवम्बर, 2004 को हुए दुःखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 23 फरवरी, 1924 को हुआ। उन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया। वह दो बार तत्कालीन

पैप्सु विधान सभा के सदस्य रहे। वह वर्श 1957 में संयुक्त पंजाब विधान सभा के सदस्य चुने गये तथा वर्श 1958–1962 के दौरान मुख्य संसदीय सचिव रहे। वह वर्श 1972 और 1977 में पंजाब विधान सभा के लिये चुने गये। वह वर्श 1972–1977 के दौरान मंत्री रहे।

उनके निधन से दे ा एक अनुभवी विधायक एवं योग्य प्र ाासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के भाोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

हरियाणा के स्वतन्त्रता सेनानी

यह सदन उन श्रद्धेय स्वतन्त्रता सेनानियों के निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है, जिन्होंने हमारे दे ा की आजादी के संघर्श में अपना बहुमूल्य योगदान दिया।

इन महान् स्वतन्त्रता सेनानियों के संघर्श में अपना बहुमूल्य योगदान दिया।

1. श्री विलायती राम छिब्बर, अम्बाला।
2. श्री भूरा सिंह, गांव चांगरोड़, जिला भिवानी।
3. श्री आदराम, गांव मतानी, जिला भिवानी।
4. श्री इन्द्र सैन रिशी, जगाधरी, जिला यमुनानगर।

5. श्री बीरबल दास, गांव जै–जैवंती, जिला जींद।

6. श्री होराम खटाना, गांव लौहटकी, जिला गुड़गांव।

7. श्री कर्ण सिंह, गांव फिरोजपुर बांगर जिला सोनीपत।

8. श्री रती राम गोदारा, गांव ओढ़ां जिला सिरसा।

यह सदन इन महान् स्वतन्त्रता सेनानियों को भात– ात नमन करता है और इनके भाोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

हरियाणा के भाहीद

यह सदन उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है, जिन्होंने हमारी मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता से लड़ते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया।

इन महान् वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं:

1. निरीक्षक साधुराम, गांव खेड़ी भाहीदां, जिला कुरूक्षेत्र।

2. नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह, गांव पथरेड़ी, जिला गुड़गांव।

3. हवलदार सतपाल, रायपुररानी, जिला पंचकूला।

4. सिपाही कृश्ण कुमार, गांव धोलेड़ा, जिला महेन्द्रगढ़।

5. सिपाही राजकुमार, गांव कोथलकलां, जिला महेन्द्रगढ़।

6. सिपाही रानिवास, गांव नावदा की ढ़ाणी, जिला महेन्द्रगढ़।

7. सिपाही मनीश यादव, गांव मुरारीपुर, जिला महेन्द्रगढ़।

8. सिपाही भयामलाल, गांव भौर सैदां, जिला कुरूक्षेत्र।

9. सिवाही मनीश, गांव रामगढ़, जिला जीन्द।

10. सिपाही प्रीत सिंह, गांव छिल्लर, जिला भिवानी।

11. सिपाही कुलदीप सिंह, गांव महमूदपुर माजरा, जिला झज्जर।

यह सदन इन महान् वीरों की भाहादत पर इन्हें भात– ात नमन करता है और इनके भाोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन हरियाणा विधान सभा के विधायक श्री रमे ा खटक की माता श्रीमती ज्ञानों देवी के दुःखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगत के भाोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

कैप्टन अजय सिंह यादव (रेवाड़ी): अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र और आज के सत्र के बीच में बहुत सारे महानुभाव इस संसार को छोड़कर चले गये हैं। पहले भी इनका उल्लेख परिपाटी के अुनसार सदन में होता रहा है। आज भी मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में जो भाोक प्रस्ताव सदन में रखा है मैं उसका अनुमोदन करता हूं।

श्री अमर सिंह धानक जोकि हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री रहे हैं, मैं उनके 27 नवम्बर, 2004 को हुए दुःखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता हूं।

उनका जन्म 7 अप्रैल, 1930 को हुआ। वे वर्श 1962 में संयुक्त पंजाब विधान सभा और वर्श 1972, 1982 तथा 1991 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वे वर्श 1982–83 के दौरान मुख्य संसदीय सचिव रहे। वे सितम्बर 1984 से जून 1986, दिसम्बर 1986 से जून 1987 तथा सितम्बर 1994 से मई 1996 तक मंत्री रहे। वे एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे और वे मेरे पिता

स्वर्गीय राव अभय सिंह के साथी भी रहे। उन्होंने गरीबों और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिये कार्य किया।

उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं योग्य प्र ाासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के भाोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

इसी तरह से मे। अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से श्री सुरजीत कुमार धीमान जोकि हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य थे, के 20 अक्तूबर, 2004 को हुए दु:खद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता हूं।

उनका जन्म 5 मई, 1949 को हुआ। वे वर्श 1991 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वे एक निश्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे।

उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मै अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के भाोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

इसी प्रकार से मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से पंजाब के भूतपूर्व मंत्री श्री हंस राज भार्मा के 30 नवम्बर, 2004 को हुए दु:खद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता हूं।

उनका जन्म 23 फरवरी, 1924 को हुआ। उन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया। वह दो बार तत्कालीन पैप्सु विधान सभा के सदस्य रहे। वह वर्श 1957 में संयुक्त पंजाब विधान सभा के सदस्य चुने गये तथा वर्श 1958–1962 के दौरान मुख्य संसदीय सचिव रहे। वह वर्श 1972 और 1977 में पंजाब विधान सभा के लिये चुने गये। वह वर्श 1972–1977 के दौरान मंत्री रहे।

उनके निधन से दे ा एक अनुभवी विधायक एवं योग्य प्र ाासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के भाोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी ओर से तथा अपनी पार्टी की ओर से उन श्रद्धेय स्वतंत्रता सेनानियों के निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता हूं जिन्होंने दे ा की आजादी के संघर्श में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। इन महान स्वतंत्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार हैंः– श्री विलायती राम छिब्बर, अम्बाला, श्री भूरा सिंह, गांव चांगरोड़, जिला भिवानी, श्री आदराम, गांव मतानी, जिला भिवानी, श्री इन्द्र सैन रिशी, जगाधरी, जिला यमुनानगर, श्री बीरबल दास, गांव जै–जैवंती, जिला जींद, श्री होराम खटाना, गांव लौहटकी, जिला गुड़गांव, श्री कर्ण सिंह, गांव फिरोजपुर बांगर जिला सोनीपत, श्री रती राम गोदारा, गांव ओढ़ां जिला सिरसा। इन महान् स्वतन्त्रता सेनानियों को मैं अपनी ओर से तथा अपनी पार्टी की ओर से भात– ात नमन करता हूं।

इनके भाोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

इसी तरह से उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता हूं जिन्होंने हमारी मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता से लड़ते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। इन महान वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैंः– निरीक्षक साधुराम, गांव खेड़ी भाहीदां, जिला कुरूक्षेत्र, नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह, गांव पथरेड़ी, जिला गुड़गांव, हवलदार सतपाल, रायपुररानी, जिला पंचकूला, सिपाही कृश्ण कुमार, गांव धोलेड़ा, जिला महेन्द्रगढ़, सिपाही राजकुमार, गांव कोथलकलां, जिला महेन्द्रगढ़, सिपाही रानिवास, गांव नावदा की ढ़ाणी, जिला महेन्द्रगढ़, सिपाही मनीश यादव, गांव मुरारीपुर, जिला महेन्द्रगढ़, सिपाही भयामलाल, गांव भौर सैदां, जिला कुरूक्षेत्र, सिवाही मनीश, गांव रामगढ़, जिला जीन्द, सिपाही प्रीत सिंह, गांव छिल्लर, जिला भिवानी, सिपाही कुलदीप सिंह, गांव महमूदपुर माजरा, जिला झज्जर। इन महान् वीरों की भाहादत पर मैं अपनी ओर से व अपनी पार्टी की ओर से इन्हें भात– ात नमन करता हूं। इनके भाोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

इसी तरह हरियाणा विधान सभा के विधायक श्री रमे ा खटक की माता श्रीमती ज्ञानो देवी के दुःखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता हूं। मैं अपनी ओर से तथा अपनी पार्टी की ओर

से दिवंगत के भााेक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, सदन के नेता श्री ओम प्रका ा चौटाला जी ने जो भााेक प्रस्ताव हाउस में रखा है और दिवंगत आत्माओं के प्रति विपक्ष की ओर से जो विचार प्रकट किए हैं मैं भी अपने आप उनकी भावनाओं के साथ जोड़ता हूं। पिछले सै ान और इस सै ान के बीच में हमारे बीच में से बहुत सी महान् विभूतियां चली गई हैं। सबसे पहले मैं इसी सदन के भूतपूर्व सदस्य तथा मंत्री श्री अमर सिहं धानक के दुखद निधन पर गहरा भााेक प्रकट करता हूं। वे संयुक्त पंजाब विधान सभा में पहली बार 1962 में सदस्य बने थे। उसके बाद हरियाणा विधान सभा में भी वे तीन बार सदस्य चुनकर आये। 1982–83 में वे मुख्य संसदीय सचिव रहे तथा 1986–87 और सितम्बर, 1994 से मई, 1996 तक मंत्री रहे। वे एक बहुत ही अनुभवी विधायक थे और हमे ाा गरीबों और समाज के कमजोर वर्गों की उन्नति के लिए कार्यरत रहते थे। उनके निधन से प्रदे ा ने एक अनुभवी विधायक एवं योग्य प्र ाासक को खो दिया है।

श्री सुरजीत कुमार धीमान 1991 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुनकर आये थे। वे एक योग्य विधायक थे जो समाज सेवा के लिए निश्ठावान थे।

पंजाब के भूतपूर्व मंत्री श्री हंस राज भार्मा जी के कल हुए दुखद निधन पर मुझे गहरा भाोक है। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और पैप्सु विधान सभा के सदस्य रहे। वे पंजाब विधान सभा के सदस्य भी रहे और 1958–62 में मुख्य संसदीय सचिव रहे तथा 1972–77 में मंत्री रहे।

इनके अतिरिक्त हरियाणा के स्वतन्त्रता सेनानियों और वीर भाहीदों के बारे में मुख्यमंत्री जी ने जो नाम लिए हैं इन सभी स्वतन्त्रता सेनानियों और वीर भाहीदों के हुए दुखद निधन पर मुझे गहरा भाोक है। कोई भी दे ा स्वतन्त्रता सेनानियों की सेवाओं को भूल नहीं सकता क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से हमें आजादी मिली थी और न ही हम अपने वीर भाहीदों को भूला सकते जो दे ा की रक्षा के लिए अपनी जान देते हैं। इन लोगों को श्रद्धांजली देने का यही एक तरीका है कि हम दे ा की सेवा पूरे तन मन से करें। इनके निधन से दे ा सच्चे दे ा भक्तों, स्वतन्त्रता सेनानियों और वीर भाहीदों की सेवाओं से वंचित हो गया है। ऐसे वीर भाहीदों के बलिदान से दे ा की अखण्डता बनी हुई है और हरियाणा के वीर किसी भी तरीके से दूसरे प्रदे ाों के वीरों से कम नहीं हैं।

हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री रमे ा खटक की माता श्रीमती ज्ञानो देवी के दुखद निधन पर मैं गहरा भाोक प्रकट करता हूं।

मैं परमपिता परमात्मा से दिवंगत आत्माओं को भाांति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं और उन भाोक संतप्त परिवारों तक इस सदन की संवेदना पहुंचा दी जायेगी। अब मैं दिवंगत आत्माओं के सम्मान में उन्हें श्रद्धांजली देने के लिए दो मिनट का मौन धारण करने के लिए इस सदन के सभी सदस्यों को खड़ा होने के लिए अनुरोध करता हूं। (इस समय सदन ने सभी दिवंगत आत्माओं के समान में खड़ा होकर दो मिनट का मौन धारण किया)

तारांकित प्र ान एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः मेम्बर साहेबान, अब सवाल होंगे।

Reduction of Stamp Duty

***1856. Sh. Padam Singh Dahiya:** Will the Minister of State for Revenue be pleased to State whether it is a fact that the State Government has reduced the stamp duty in the Urban and Rural Areas; if so, the effect thereof on the State Exchequer?

नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह): जी हां। दिनांक 25–2–2004 से स्टाम्प भाुल्क, भाहरी क्षेत्रों में 15½ प्रति ात से कम करके 8 प्रति ात तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इसे 12½ प्रति ात से कम करके 6 प्रति ात कर दिया गया है। जहां तक राज्य के कोश पर प्रभाव का सम्बन्ध है, अभी तक राज्य सरकार द्वारा उठाये गये इस कदम से सकारात्मक परिणाम प्राप्त

हुए हैं। मास मार्च 2004 से सितम्बर 2004 तक गत वर्श की तुलना में इससे 50.88 करोड़ रु0 की अधिक आय हुई है।

श्री रणबीर सिंह मन्दौला: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रतिपूरक प्र न के माध्यम से राजस्व मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या ट्रैक्टर और ट्यूबवैल के इलावा भी किसानों के लोन की स्टाम्प ड्यूटी माफ की गई है?

श्री धीरपाल सिंह: स्पीकर सर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को महसूस किया है कि समय–समय पर कीमतें बढ़ रही हैं और ट्यूबवैल, ट्रैक्टर्ज और दूसरी चीजें जो खेती से जुड़ी हुई हैं उनकी स्टैम्प डयूटी पीछे से ही अदा की जाती रही है उसको अब समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा स्पीकर सर, हरियाणा सरकार की तरफ से समय–समय पर पिछले 20 साल पुराने बाढ़ के रूप में या सूखे के रूप में कुदरत की तरफ से प्रकोप आता रहा है उनका रैन सरकार के कोश से सहायता के रूप में तकावी के ऋण के रूप में दिया जाता रहा है ऐसे हालात हो गये थे कि किसान तकावी के ऋण को अदा करने में असमर्थ हो गये हैं उनकी भावना को समझते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कदम आगे चलकर तकावी के ऋण को माफ करने का काम किया गया है।

तारांकित प्र न संख्या 1854

(इस समय माननीय सदस्य श्री भगवान सहाय रावत सदन में उपस्थित नहीं थे, इसलिए यह प्र न पूछा नहीं गया)

Construction of Over Bridge

***1853. Sh. Nishan Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to Construct over bridge on the Railway Crossing on Hisar-Patiala road at Tohana; if so, the details thereof?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रका ा चौटाला): नहीं, श्रीमान जी।

श्री नि ाान सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्र न हिसार से पटियाला जाने वाली सड़क के बारे में है जिसके ऊपर टोहना रेलवे क्रासिंग है, उस सड़क के ऊपर हैवी ट्रैफिक है और रेवले ट्रैफिक भी उस पर बहुत ज्यादा है, फास्ट ट्रैक होने की वजह से वहां काफी ट्रेनें आती जाती हैं। मेरा प्र न है कि उस पर ओवर फर्ला बनाया जाए। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री महोदय, से अनुरोध है कि इस ओवर फलाई को बनाने पर पुनर्विचार किया जाए।

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय साथी ने फलाई ओवर बनाने के लिए जो सवाल किया है उसका जवाब तो नहीं में है फिर भी मैं इनकी जानकारी के लिए इनको बताना चाहता हूं कि 17 पुलों की प्र ाासनिक स्वीकृति दी गई है जिनमें से 8 के फाउंडिंग स्टोन रखे गए हैं और बाकी के सभी फलाई ओवर प्रोसैस में हैं। किसी का एस्टीमेट बन गया है तो किसी के

लिए रेवले विभाग से सम्पर्क किया गया है क्योंकि रेलवे विभाग की तरफ से भी इसमें 50 प्रति ात पैसा दिया जाता है और 50 प्रति ात स्टेट गवर्नमैंट का भोयर होता है। इसलिए पुलों पर इस सरकार की तरफ से वि ोश ध्यान दिया गया है और यह पहली बार हुाअ है कि 17 पुलों की प्र ाासनिक स्वीकृति दे दी गई है जिस पर 182 करोड़ रुपये खर्च होंगे, इसी प्रकार से अन्य 42 बड़े पुल और भी बने हैं जिन पर 36 करोड़ 98 लाख रुपये खर्च हुए हैं इसी प्रकार से 25 पुल और बनाए गए हैं जिनमें कुरूक्षेत्र का टू लेन उपरी मार्ग है जो बो0ओ0टी0 आधार पर बनाया गया है और करनाल से अम्बाला का राश्ट्रीय उच्च मार्ग भी है। 25 पुलों पर 27 करोड़ 44 लाख रुपये खर्च होंगे। इस प्रकार पुलों पर इस सरकार की तरफ से वि ोश ध्यान दिया जा रहा है और उसका सर्वे किया जाता है। जिस सड़क पर ज्यादा आवागमन है उसको पहले टेक अप करके गवर्नमैंट विचार करती है इसलिए मेरे माननीय साथी का जो प्र न है उसके जवाब में तो ना है। वैसे पूरे प्रदे ा में पहली बार ओवर फलाई बनाने के लिए फाउंडे ान स्टोन रखे गए हैं, काम किए गए है और प्र ाासनिक स्वीकृति दी गई है।

Strengthening of Transmission System

***1855. Sh. Ramesh Kumar Khatak:** Will the Chief Minister be pleased to state the steps taken or likely to be taken to strengthen the transmission system in the State?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा): राज्य में प्रसार प्रणाली को एक विस्तृत प्रणाली सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत सुदृढ़ किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जुलाई 1999 से 25–11–2004 के दौरान 766.49 करोड़ रुपये के निवे ा के साथ 111 नये ग्रिड उपकेन्द्रों को चालू किया जा चुका है, 302 वर्तमान उपकेन्द्रों की क्षमता में वृद्धि की गई है तथा 1777 किलोमीटर लम्बी प्रसार लाईनों का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त 75 नये उपकेन्द्रों का निर्माण तथा 75 वर्तमान उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि का कार्य प्रगति पर है।

श्री रमे ा कुमार खटक: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सी0पी0एस0 महोदय से जानना चाहूंगा कि जिन उप–केन्द्रों की क्षमता बढ़ाई गई है या नए उप–केन्द्रों का निर्माण किया गया है उसमें 33 के0वी0ए0 के उप–केन्द्र कितने हैं और 66 के0वी0ए0 के उप–केन्द्र कितने हैं और 132 के0वी0ए0 के कितने हैं।

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि 1999 से लेकर अब तक के जो उप–केन्द्र बनाए गए हैं या जिनकी क्षमता बढ़ाई गई है अगर मैं उनके बारे में बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा क्योंकि इसकी बहुत लम्बी लिस्ट है इसलिए संक्षेप में मैं बताना चाहूंगा कि टोटल 111 नए उप–केन्द्र बनाए गए हैं और 302 उप–केन्द्रों की

क्षमता बढ़ाई गई है तथा 1777 किलोमीटर नई प्रसार लाइने जोड़ी गई हैं जिन पर 766.49 करोड़ रुपये का खर्चा हुआ।

Providing of Electricity Relief

***1852. Sh. Puran Singh Dabra:** Will the Chief Minister be pleased to state the electricity relief if any, given to the consumers in the State during the current financial year; if so, the number of beneficiaries thereof?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा): हां श्रीमान। कृशि नलकूपों के लिये नलकूप की गहराई पर आधारित वर्तमान बिजली दरें सं ाोधित कर दी गई हैं तथा 15 अगस्त, 2004 से इसे कम करके समान दर नलकूपों के लिए 35/– रुपये प्रति बी0एच0पी0 प्रतिमास तथा मीटर वाले नलकूपों के लिए 25 पैसे प्रति यूनिट किया जा रहा है जिससे लगभग 3.85 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।

श्री पूर्ण सिंह डाबड़ा: अध्यक्ष महोदय, माजरा साहब से मैं यह जानना चाहूंगा कि किस–किस जिले में कितने–कितने उपभोक्ताओं को इससे फायदा हुआ है?

श्री रणबीर सिंह मंदौला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुपूरक प्र न के द्वारा चीफ पार्लियामैंट सक्रेटरी महोदय से जानना चाहूंगा कि पिछली सरकारें जो 104 रुपये डीप टयूब्वैल्ज के प्रति हार्स पावर के हिसाब से बिल लिया करती थी उसको अब कम करके 35 रुपये किया गया है। इसी प्रकार से

मीटर्ड ट्यूबवैल्ज के प्रति यूनिट 25 पैसे किया गया है। इससे पूरे प्रदे ा के किसानों को कितना लाभ मिलने वाला है?

श्री रामपाल माजराः स्पीकर सर, जिस प्रकार से हमारे साथी पूर्ण सिंह डाबड़ा ने जिलेवार जानकारी चाही है तो इस बारे में मैं इनको बताना चाहूंगा कि अम्बाला में 17308, पंचकुला में 2425, यमुनानगर में 23404, कुरूक्षेत्र में 36732, कैथल में 32569, करनाल में 56066, पानीपत में 24680, सोनीपत में 17087, जीन्द में 17221, रोहतक में 2102, झज्जर में 5710, फरीदाबाद में 13162, गुड़गांव में 25727, महेन्द्रगढ़ में 24810, रिवाड़ी में 23849, भिवानी में 18504, हिसार में 5531, फतेहाबाद में 18196, सिरसा में 19260 उपभोक्ताओं को फायदा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर 384343 उपभोक्ताओं को फायदा हुआ है और मेरे माननीय साथी मंदौला साहब ने जो प्र न किया है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि इससे 138 करोड़ रुपये का सीधा फायदा पूरे प्रदे ा के उपभोक्ताओं को हुआ है।

श्री कृशण लाल पंवारः अध्यक्ष महोदय, मैं इसी प्र न से रिलेटिड प्र न पूछना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदे ा में 24 जुलाई, 1999 से अब तक कितने नलकूपों को कनैक ान दिए गए हैं और कितने नलकूपों के कनैक ान के लिए टैस्ट चैक और डिमांड नोटिस जारी हो चुके हैं तथा उनके कब तक कनैक ान दे दिए जायेंगे क्या इस बारे में सरकार ने कोई समय सीमा निर्धारित की है?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रका ा चौटाला): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सारे सदस्यों को अवगत करना चाहूंगा कि सरकारी तौर पर इस बात की घोशणा कर दी गई है कि दीनबन्धू स्वर्गीय श्री छोटू राम जी की 124वीं जयन्ती के अवसर पर पूरे प्रदे ा के किसानों को राहत मिल सके। क्योंकि हरियाणा प्रदे ा पूर्ण रूप से कृशि प्रधान प्रदे ा है और इस प्रदे ा की आमदनी का एक मात्र साधन खेती ही है। किसानों को राहत देने का काम दीनबन्धु श्री छाटू राम जी द्वारा किया गया था औश्र उनके अधूरे काम को पूरा करने में स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी का वि ोश योगदान रहा था। बदकिस्मती से बीच बीच में ऐसे महानुभाव सत्ता में आते रहे जो संयोग से आज इकट्ठे बैठे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका भी आभार व्यक्त करूंगा कि आपने इनको इकट्ठा बैठाया। (ाोर एवं व्यवधान) इन दोनों को एक–एक कान से सुनता है, दोनों को आपने इकट्ठा कर दिया अब एक दूसरे से नहीं पूछेंगे। कानों–कान इन्होंने दे ा को बरबाद करने का काम किया और अब ये लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष: चौधरी बंसी लाल जी मेरी इजाजत के बगैर जो कुछ बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाये।

श्री ओम प्रका ा चौटाला: हमारी सरकार बनने के बाद हमने 47 हजार नलकूपों के नए कनैक ांज दिए हैं। जब ये दोनों

मुख्यमंत्री थे तो इनके एक के वक्त में तो 10 हजार और दूसरे के वक्त में 8 हजार नलकूपों के कनैक ांज दिए गए थे। अब हमने फैसला लिया है कि 1 जनवरी 2005 से हरियाणा प्रदे ा का कोई भी कृशक अगर अपनी टैस्ट रिपोर्ट मुकम्मल करा देगा और सिक्योरिटी जमा करवा देगा तो उसको तुरन्त कनैक ान दे दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति अपनी सारी फार्मैलिटीज पूरी कर देगा तो 1 जनवरी 2005 के बाद किसी का कोई कनैक ांज पैण्डिंग नहीं रहेगा।

Repair of School Buildings

***1857. Sh. Lila Ram:** Will the Minister of State for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the school buildings in the State; if so, the details thereof.

ि ाक्षा राज्य मंत्री (श्री बहादुर सिंह): जी, हां। 2665 प्राथमिक विद्यालयों, 507 माध्यमिक विद्यालयों, 1050 उच्च विद्यालयों तथा 556 वरिश्ठ माध्यमिक विद्यालयों (कुल 4778 विद्यालयों) के भवनों की चालू वित्त वर्श 2004–2005 में 59.13 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से मरम्मत कराने का मामला प्रस्तावित है।

श्री लीला राम: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार ने ि ाक्षा के क्षेत्र में बहुत तरक्की की है। मौजूदा हरियाणा सरकार ने स्कूलों में कम्प्यूटर की

ि ाक्षा प्रणाली लागू की है और जो स्कूल बकाया रह गए हैं उनमें भी कम्प्यूटर की ि ाक्षा को लागू किया जायेगा। इसी प्रकार से पहली कक्षा से बच्चों को बैंचों पर बैठाने की व्यवस्था की गई है। सरकार द्वारा हर जिले में इन्जीनियरिंग कालेज खोला गया है या खोले जाने की व्यवस्था की गई है। अध्यक्ष महोदय, यह कोई छोटी बात नहीं है कि इस वर्श 4778 स्कूलों की इमारतों की मुरम्मत की जायेगी। इसी सम्बन्ध में मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि कैथल जिले में मेरे हल्के के गांव सीला खेड़ा, डेरा गुरजर सिंह, करतारपुर, नीमवाला, गुहना, देवला आदि स्कूलों की बिल्डिंग की हालत बहुत खराब है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि उन स्कूलों की बिल्डिंगों की मुरम्मत तुरन्त की जाये।

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रका ा चौटाला): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि मौजूदा सरकार नीतिगत निर्णय लेती है। हमारी सरकार ने पुरानी रिवायत को समाप्त कर दिया है। पहले जाति के आधार पर, ग्राम के आधार पर, या और किसी आधार पर या पैसे देकर अपग्रेड किए जाते थे। जबकि हमने स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए नार्म्ज बनाए हैं। हमारी पोलिसी यह है कि जो भी स्कूल निर्धारित नार्म्ज पूरे कर देगा उसको उसी वक्त अपग्रेड कर दिया जाएगा। इसके अलावा यदि कहीं पर कोई ब्रांच खोलने की आव यकता होगी तो वह भी खोल दी जायेगी और यदि पहले से ही कोई

ब्रांच चल रही है तो उसको प्राईमरी स्कूल में कन्वर्ट किया जायेगा। (विध्न)

श्री भगवान सहाय रावतः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वर्तमान सरकार के मुखिया चौधरी ओम प्रका ा चौटाला तथा हरियाणा गवर्नमैंट को बधाई देना चाहता हूं कि राज्य भर में आजादी के बाद पहली बार ि ाक्षा के बजट में वि ोश कर गांवों में ि ाक्षा को बढ़ावा देने का कार्य किया गया है और भाहीदों तथा महापुरूशों के नाम पर ि ाक्षण संस्थान खोलने के प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। इसी कड़ी के रूप में वित्तवर्श 2004–05 में 59.13 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से रिपेयर के कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं। अध्यक्ष महोदय, भाहीद कन्या महा विद्यालय, बहीन का भवन बनाया जाना है। यह स्कूल एक भाहीद के नाम पर है और इस विद्यालय में काफी छात्राएं पढ़ती हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय ि ाक्षा मन्त्री तथा माननीय मुख्य मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या इस विद्यायल के भवन की मुरम्मत का कार्य प्रस्तावित रा ि ा में से करवाया जाएगा?

चौधरी बहादुर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को यह बताना चाहूंगा कि जिन स्कूलों की मुरम्मत की जानी है इनके द्वारा बताया गया स्कूल इसमें भाामिल है या नहीं है इस बारे में मुझे इस समय तो पता नहीं है लेकिन इसको हम देख लेंगे।

श्रीमती अनीता यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि गवर्नमैंट स्कूल, नाहड़ के स्कूल की बिल्डिंग की रिपेयर नहीं हुई है। माननीय मुख्य मंत्री जी के बेटे भी वहां पर गए थे। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः अनीता जी, आप यह बताएं कि नाहड़ का स्कूल कब बना था?

श्रीमती अनीता यादवः अध्यक्ष महोदय, यह स्कूल तो जब हम पैदा हुए थे उस वक्त का बना हुआ है। दूसरे कोसली में प्राईमरी स्कूल की बिल्डिंग का मामला है। (विघ्न)

(इस प्र न का उत्तर नहीं दिया गया)

श्री नफे सिंह राठीः अध्यक्ष महोदय, वैसे तो सरकार ने बड़े ही सराहनीय कार्य किये हैं और लगभग 60 करोड़ रुपये स्कूलों की बिल्डिंगों की रिपेयर के लिए रखे हैं। गांवों और भाहरों में कुछ गवर्नमैंट स्कूल ऐसे हैं जो प्राईवेट बिल्डिंगों में या प्राईवेट संस्थाओं की बिल्डिंगों में चल रहे हैं और उन बिल्डिंगों की हालत काफी खराब है। पिछले 25–30 साल से इन बिल्डिंगों की मुरम्मत नहीं हुई है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या प्राईवेट बिल्डिंगों में या प्राईवेट संस्थाओं की स्कूलों की बिल्डिंगों में जो गवर्नमैंट स्कूल चल रहे हैं क्या उन बिल्डिंगों की रिपेयर करवाने के बारे में सरकार कोई विचार कर रही है?

चौधरी बहादुर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि जो बिल्डिंगें सरकारी स्कूलों की हैं उन्हीं की मुरम्मत करवाई जाएंगी प्राईवेट बिल्डिंगों की मुरम्मत करवाने का कोई मामला सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री ओम प्रका ा चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मौजूदा सरकार की नीति यह है कि जिन स्कूलों की बिल्डिंग नहीं बनती उनके लिए किराये की बिल्डिंग लेकर उनमें स्कूल चलाए जाते हैं। मैं यहां पर सदन की जानकारी के लिए यह बताना चाहूंगा कि न केवल स्कूलों की बिल्डिंग की मुरम्मत करवाई जा रही है बल्कि हरियाणा सरकार का यह फैसला है कि जितने भी स्कूल गांवों में चल रहे हैं उन सब की मुरम्मत हम करवा रहे हैं। गांवों और भाहरों में जितनी भी बिल्डिंगज हैं चाहे वे सरकारी हैं या लोगों ने पैसे इकट्ठे करके बनाई हैं और गांवों और भाहरों में हरिजन चौपालें हैं या दूसरी चौपालें हैं उन सब की मुरम्मत करवाई जाएगी। जितनी भी सड़कें टूटी हुइ थीं। उनकी मुरम्मत पहले भी करवाई थी और अब भी जहां जरूरत है वहां पर पैरिस जैसी सुन्दर और बढ़िया सड़कें बनाई जाएंगी।

(इस समय चौधरी भजन लाल तथा चौधरी बंसी लाल जी अपनी सीटों पर खड़े होकर बोलने लगे)

श्री अध्यक्षः आप लोग अपी सीटों पर बैठें और जब भी बोलना हो चेयर की परमि ान लेकर बोलें। बोलने से पहले आप इजाजत लें और यह बताएं कि आप किस विशय पर बोलना चाहते हैं और इजाजत लेकर ही बोलें। (विध्न)

श्री ओम प्रका ा चौटालाः अब ये कांग्रेस में इकट्ठे हुए हैं पहले तो इनको मौका मिला नहीं और पिछली बारे ये सै ान में आए ही नहीं। (विध्न) चौधरी भजन लाल जी तथा चौधरी बंसी लाल जी आज एक साथ बैठ रहे हैं। और यह बड़ी दिक्कत की बात है जब टिकटों के बंटवारे की बात आएगी तो इन्हें बड़ी दिक्कत होगी। वैसे तो यह कांग्रेस का मामला है ये खुद ही निपटें। (विध्न)

चौधरी भनज लालः अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्षः भजन लाल जी, आप चेयर पर परमि ान के बिला बोल रहे हैं इसलिए आपकी कोई भी बात रिकार्ड नहीं होगी इसलिए आप अपनी सीट पर बैठें। (विध्न)

श्री ओम प्रका ा चौटालाः भजन लाल जी, आप फलोर आफ दि हाऊस यह आ वासन दो कि अगर आपको टिकट बांटने का जिम्मा मिला तो आप चौधरी बंसी लाल जी को टिकट अव य देंगे। आप यह आ वासन दो। (ाोर)

चौधरी भजन लालः . . . . .

श्री अध्यक्ष: भजन लाल जी बिना इजाजत के बोल रहे हैं इनका कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाए। आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। (ोर)

Opening of Government Girls College at Nilokheri

***1863. Sh. Dharam Pal (Nilokheri):** Will the Minister of State for Education be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Girls at Nilokheri; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be implemented?

ि ाक्षा राज्य मंत्री (चौ0 बहादुर सिंह): नहीं श्रीमान् जी।

श्री अध्यक्ष: धर्मपाल जी, आप अपनी सप्लीमैंटरी पूछें। (ोर) क्या आप मंत्री जी के जवाब से सन्तुश्ट हैं।

श्री धर्मपाल: जी हां।

श्री राम कि ान फौजी: अध्यक्ष महोदय, मैं ि ाक्षा मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि मेरे हल्के में कुंगड़ गांव है। वहां पर बाढ़ आई थी और सारे गांव में पानी भर गया था लेकिन वहां पर सरकार ने किसी की कोई सुध नहीं ली।

श्री अध्यक्ष: फौजी जी, आप बैठ जाएं। आपका प्र न कंसर्न्ड प्र न से मेल नहीं खाता है।

श्री राम कि ान फौजी: अध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो सुनें। मैं यह कह रहा हूं कि वहां पर जो स्कूल था वहां पर भी पानी भर गया था और उस स्कूल की बहुत बुरी हालत है।

श्री अध्यक्ष: फौजी जी, आप बैठ जांए। पानी भर गया और निकल गया। वहां पर बिल्डिंग तो ठीक है।

श्री राम कि ान फौजी: अध्यक्ष महोदय, मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि उस बिल्डिंग की हालत बहुत खराब है।

श्री अध्यक्ष: आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। (ोर) बैठिए।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, हमें भी सप्लीमैंटरी पूछने दें।

श्री अध्यक्ष: कैप्टन साहब, जिस मैम्बर का सवाल है वह सैटिसफाईड हैं। (ोर) भागी राम जी आप अपना प्र न पूछें। (ोर)

Old age/Window pension

***1878. Sh. Bhagi Ram:** Will the Minister of State for Social Welfare be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to increase the amount of old-age pension and widow pension; and

(b) if so, the details thereof together with the time by which the aforesaid proposal is likely to be implemented?

समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री रिसाल सिंह):

(क) श्रीमान् जी वृद्धावस्था पैं ान विधवा पैं ान की रा ि में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है क्योंकि इन योजनाओं के अन्तर्गत 1—11—2004 से पें ान 200/— रु0 प्रतिमास से बढ़ाकर 300/— रु0 प्रतिमास हाल ही में की गई है।

(ख) इन योजनाओं के अन्तर्गत 300/— रु0 प्रतिमास की 1—11—2004 से सं ोधित दरों पर स्वीकृत पैं ान की रा ि का भुगतान दिसम्बर, 2004 में किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने जो मेन सवाल पैं ान के बारे में पूछा है कि क्या पैं ान में बढ़ौतरी का मामला सरकार के विचाराधीन है या इस बारे में सरकार कोई सर्वे करवाएगी? इस बारे में मैं सम्मानित सदस्य को बताना चाहूंगा कि 1987 में चौधरी देवी लाल जी ने बुजुर्गों को सम्मान देने के लिए 100 रुपए प्रतिमास के हिसाब से वृद्धावस्था पैं ान ाुरू की थी। लेकिन चौधरी भजन लाल जी की जब हुकुमत आई तो उस समय कुछ न कुछ नुक्कते निकाल कर बहुत से लोगों पैं ान लेने से

मोहताज कर दिया था। उसके बाद जब चौधरी बंसी लाल जी की सरकार आई तो उन्होंने भी ऐसा ही काम किया। (ोर) हमने बुजुर्गों को सम्मान देने के लिए वृद्धावस्था पैं ान भाुरू की थी चाहे उसमें कोई जमीदार हो, व्यापारी हो, सेठ हो और चाहे किसी का बच्चा मुलाजिम हो या न हो, सभी को पैं ान देने का काम भाुरू किया गया था। लेकिन भजन लाल जी ने पांच एकड़ जमीन का बहाना लेकर, चाहे किसी का बच्चा चपरासी लगा हुआ हो और इन्कम टैक्स का बहाना लेकर बहुत से लोगों की पैं ान बन्द करने का काम किया था। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में यह बताना चाहूंगा कि चौधरी ओम प्रका ा चौटाला जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के आने के बाद मैंने दिसम्बर, 1999 में, जनवरी–फरवरी, 2000 में, मई–जून, 2002 में और जुलाई, 2004 में सर्वे करवाया। जो इस बारे में पिछला सर्वे करवाया था उसके बाद 100 रुपये से 200 रुपये पैं ान चौटाला साहब ने बढ़ायी। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से जो नया सर्वे हुआ है उसके बाद 200 रुपये से 300 रुपये भी पैं ान ओम प्रका ा चौटाला साहब ने ही बढ़ायी है। इसके अलावा अब जो सर्वे इस बारे में हुआ है तो इसके आधार पर 151945 लोग इसमें और भाामिल हुए हैं। अब जो 1–11–2004 के बाद से बैनीफि ारीज को पैं ान की पैंमेंट की जाएगी वह 300 रुपये के हिसाब से की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से विधवा पैं ान और विकलांग पैं ान को भी बढ़ाया गया है। इस तरह से मुख्यमंत्री जी ने हर लिहाज से जहां निर्माण के कार्य

करवाए हैं वहीं उन्होंने समाज कल्याण के कार्यों को भी करवाकर नयी बुलंदियों को छुआ है।

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रका ा चौटाला): अध्यक्ष महोदय, यह बहुत अहम प्र न है और न केवल इस सदन के सम्मानित सदस्यों की उत्सुकता इसकी जानकारी के लिए है बल्कि पूरा प्रदे ा और पूरा दे ा इस इंतजार में है कि आया अतीत की सरकारों की तरह सिर्फ घोशणाएं ही हो रही हैं या पैं ान बढ़ भी रही है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी मंत्री महोदय ने बताया कि सर्व प्रथम चौधरी देवीलाल जी ने वृद्धावस्था पैं ान मुकर्रर करने की जब घोशणा की थी तो उस वक्त चौधरी बंसी लाल जी इस प्रदे ा के मुख्यमंत्री थे, ने इसका विरोध किया था।

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, चौधरी देवीलाल ने तो बहुत देर बाद इसकी घोशणा की थी उससे पहले ही 60 रुपये पैं ान थी।

श्री अध्यक्ष: चौधरी बंसी लाल जी, आप बैठिए।

श्री ओम प्रका ा चौटाला: बंसी लाल जी, आप बड़े सीनियर पोलिटि ायन हैं और बदकिस्मती से आप बड़े अच्छे–अच्छे पदों पर रहे हैं इसलिए सदन में कुछ भी कहने से पहले आप स्पीकर साहब से पूछ लिया करो। अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसीलाल उसके जवाब में कहते थे कि पैं ान नहीं बढ़ायी जा सकती, पैं ान नहीं बढ़ायी जा सकती और अगर पैं ान

बढ़ायी जानी होती तो मैं ही न बढ़ा देता। चौधरी देवीलाल जी बाद में जब मुख्यमंत्री बने तो इसी सदन में 100 रुपये वृद्धावस्था पैं ान, विधवा पैं ान और विकलांग पैं ान मुकर्रर की गयी थी। उसके बाद हमारी सरकार चली गयी और कांग्रेस की सरकार आयी। चौधरी भजनलाल जी और चौधरी बंसीलाल जी दोनों मिलाकर साढ़े आठ वर्श तक प्रदे ा के मुख्यमंत्री रहे। उस वक्त तो इन दोनों के दो दो कान थे लेकिन आज एक एक कान हैं। (विध्न)

श्री अध्यक्षः उम्र का तकाजा है इसलिए ऐसा हो जाता है। (विध्न)

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, ये किस तरह से बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्षः कैप्टन साहब, आप बैठिए। उम्र का तकाजा है इसलिए ऐसा हो जाता है।

श्री ओम प्रका ा चौटालाः कैप्टन साहब, तेरी पार्टी ने तो तुझे यहां बिठाने के लायक भी नहीं समझा था वह तो स्पीकार साहब ने तेरे को यह कुर्सी दे दी तो क्या अब तू सब्र नहीं कर सकता। तुझे तो स्पीकर साहब का अहसानमंद होना चाहिए कि उन्होंने तेरे को यहां पर बिठा रखा है। (विध्न) अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि साढ़े आठ वर्श तो कांग्रेस की हुकुमत रही और बजाए पैं ान बढ़ाने के इन्होंने तो 101 रुपये भी नहीं किए

बल्कि पांच एकड़ धरती वाले मालिक की पैं ान काट दी, जो इन्कम टैक्स पेयी था उसकी पैं ान काट दी और जिसके घर में एक मुलाजिम या चपड़ासी था उसकी भी पैं ान इन्होंने काट दी थी। चूंकि काटावादी तो कांग्रेस की कल्चर में रहा है और बंसीलाल जी जो यहां पर बैठे हैं, उसके सरगना रहे हैं। बंसी लाल जी, मैं 1976–77 की काटावादी की बात कर रहा हूं।

श्री बंसीलालः अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्षः बंसी लाल जी की यह बात रिकार्ड न की जाए।

श्री ओम प्रका ा चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैंने भ्ाारू में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर टिकट मांगी थी और चौधरी बंसीलाल जी ने मुझे टिकट दी थी और मैं इस सदन का सदस्य बनकर आया था। मैं वहां बैठता था और चौधरी बंसीलाल जी यहां बैठते थे लेकिन मैं इनकी बोलती बंद कर दिया करता था। मैं चुसकण नहीं दिया करता था। मैंने इनकी बोलती बंद की थी। (विध्न)

चौ0 भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इस समय मैं प्वायंट ऑफ आर्डर तो नहीं उठा सकता लेकिन जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं उसका इस प्र न से ताल्लुक क्या है। हमें इस बात पर कोई ऐतराज नहीं है कि यह पैं ान की बात करें लेकिन जिस तरह से यह बात कर रहे हैं वह कोई तरीका नहीं है।

श्री अध्यक्षः चौधरी भजन लाल जी, आप बैठिए।

श्री ओम प्रका ा चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि हमारी सरकार ने दोबारा चौधरी बंसी लाल जी के आते ही 200 रुपये प्रति मास पैं ान मुकर्रर की थी, हमने ही 300 रुपये की और जब फिर दांव लगा तो हम 400 रुपये भी कर देंगे, 500 रुपये भी कर देंगे। यह काम हम ही कर सकते हैं क्योंकि हमारे दिल में बुजुर्गों के प्रति सम्मान है। हम गरीबों को आर्थिक पर सम्पन्न करने के पक्षधर हैं। कांग्रेस तो गरीबों का भाोशण करती है। केन्द्र में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद गन्ने के दाम डेढ़ रुपये प्रति क्विंटल की दर से व गेहूं के दाम 10 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बढ़े हैं और दूसरी तरफ ईंट, सीमेन्ट, बजरी, डीजल, तेल, पैट्रोल के दाम आसमान को छूते चले जा रहे हैं क्योंकि पूंजीपति को पनपाने वाली कांग्रेस इस दे ा के गरीबों का आर्थिक भाोशण करती है।

Providing of Un-employment Allowance

***1858. Sh. Rambir Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to provide Un-employment Allowance to the unemployed persons in the State; and

(b) if so, the details thereof?

सूचना

(क) सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि ि ाक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने सम्बन्धी स्कीम पूर्व ही 1–11–88 से अस्तित्व में है हाल ही में 1–11–2004 से सरकार द्वारा इस स्कीम को सं ाोधित किया गया है।

(ख) सं ाोधित बेरोजगारी भत्ता स्कीम का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

1. केवल वही प्रार्थी पात्र होंगे जो मैट्रिक पास या उससे अधिक पढ़े लिखे तथा हरियाणा निवासी हैं।

2. प्रार्थी ने मैट्रिक/हायर सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी/इन्टर/डिप्लोमा/स्नातक/स्नातकोत्तर की परीक्षा हरियाणा सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा वि वविद्यालय से पास की हुई हो।

3. जिन प्रार्थियों का नाम राज्य के किसी भी रोजगार कार्यालय में पहली नवम्बर (प्रतिवर्श) को पंजीकृत/चल रहा होगा, वह ही बेरोजगारी भत्ता के पात्र होंगे।

4. प्रार्थी के माता–पिता आयकर दाता न हों अथवा उनके पास रिहाय ी या कामर् ियल सम्पति 20 लाख या इससे अधिक की न हो।

5. प्रार्थी की आयु 21 से 40 वर्श होनी चाहिए और अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग के प्रार्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट 5 वर्श होगी।

6. प्रार्थी विद्यार्थी/प्रि ाक्षणार्थी/अप्रैंटिस न हो।

7. प्रार्थी अपने परिवारिक व्यवसाय से सम्बन्धित न हो जिससे वह अपनी जीविका चला रहा हो।

8. यदि प्रार्थी का पति/पत्नि नौकरी में है तो वह बेरोजगारी भत्ते का पात्र नहीं होगा।

9. प्रार्थी वकील/डाक्टर/वैटरेनरी डाक्टर नहीं होना चाहिए।

10. स्व–रोजगार चला रहा प्रार्थी पात्र नहीं होगा।

11. प्रार्थी सरकारी सेवा से पदच्युत किया हुआ न हो।

12. जो प्रार्थी किसी मामले में 6 मास या इससे अधिक सजा भुगत चुके हों वे भत्ते के पात्र नहीं होंगे।

13. बेरोजगारी भत्ता निम्न दरों से दिया जाएगा।

(i) मैट्रिक/हा0 सैकेण्डरी/सीनि0 100/– रुपये प्रतिमास

सैकेण्डरी /इन्टर

(ii) डिप्लोमा होल्डर/स्नातक 200/- रुपये प्रतिमास

स्नातकोत्तर

14. बेरोजगारी भत्ते का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा। राज्य में इस योजना का कार्यान्वन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की बुढ़ापा पैं ान योजना के अनुरूप राजस्व प्र ाासन के माध्यम से किया जाएगा। मास नवम्बर, 2004 का बेरोजगारी भत्ता 1 दिसम्बर, 2004 को वितरित कर दिया जाएगा।

श्री राम बीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का और मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि आज एक दिसम्बर, 2004 से पूरे हरियाणा प्रदे ा में जितने भी बेरोजगार हैं उन सबको भत्ता दिया जा रहा है। मैं इस बात के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे सदन की ओर से आभार प्रकट करना चाहूंगा कि इन पांच सालों में बेरोजगारों को जितनी नौकरियां दी गई हैं उतनी 1 नवम्बर, 1966 से लेकर 24 जुलाई 1999 तक नहीं दी गई हैं। मैं माननीय मुंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पूरे प्रदे ा के कितने बेरोजगार नौजवानों को भत्ता बांटा जा रहा है, उनकी संख्या बताएं?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा): अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से मेरे साथी ने खूब बताया है आज पूरे

प्रदे ा के बेरोजगार नौजवान सरकार की नीति का लाभ उठा रहे हैं उनको बेरोजगारी भत्ता देना आज के दिन से भाुरू किया गया है और इस पर भी मेरे साथी ने खूब रो ानी डाली कि बेरोजगार नौजवानों को नौकरियां देने का काम इस सरकार ने किया है। मैं माननीय साथी को उसके सवाल के जवाब में बताना चाहूंगा कि मैट्रिक, हायर सैकेण्ड्री, सीनियर सैकेण्ड्री जो बेरोजगार नौजवान इनलिस्टेड हैं वह 5 लाख 84 हजार 626 हैं और जो स्नातक और स्नाकोतर डिप्लोमा होल्डर हैं वह 1 लाख 28 हजार 217 हैं कुल मिलाकर 6 लाख 82 हजार 843 नौजवानों को इनलिस्ट किया गया है।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इन्होंने अपने जवाब में पार्ट बी की स्टेटमैंट के (vii) में लिख रखा है कि—

"(vii) The applicant should not be involved with the family business and consequently earning his bread."

तो मैं जानना चाहूंगा कि फारमर्स भी व्यवसायी हैं उनको भी इन्वौल्व किया है दूसरे मैं जानना चाहूंगा कि आपने बात की अनइम्प्लायमैंट अलाउंस की तो यह भी बताएं कि कितने इम्प्लोयीज को रिट्रैंच किया है। जो सैल्फ एम्प्लायमैंट की बात है जो स्टूडैंटस हैं, आपने मैट्रिक के बच्चे जो ग्याहरवीं कक्षा में पढ़ते हैं और वैसे ही घूम रहे हैं, क्या उनको भी बेरोजगारी भत्ता

मिलेगा? 11वीं के बच्चों को कब से यह अलाउंस मिलना भाुरू हो जायेगा?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रका ा चौटाला): अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्य ने तीन प्र न पूछे हैं। एक तो मैं इनको यह बात स्पश्ट कर दूं कि ये इस तरीके से अनर्गल बात का प्रचार निरन्तर करते रहे हैं। मौजूदा सरकार के समय में कोई सरकारी मुलाजिम रिट्रैन्च नहीं हुआ। यह जो बात सदन में कह रहे हैं इनको जानकारी होनी चाहिए कि जो बात सदन में कही जाती है अगर वह गलत हो तो उसके खिलाफ एक ान लिया जाता है। दूसरी बात इन्होंने बेरोजगारी भत्ते की की है। (ाोर) इन्होंने पूछा है कि इसमें जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं जो अपना बिजनैस करत हैं वे बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं आते। तीसरा प्र न यह कि जो बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद निठल्ले बैठे रहते हैं दुभार्ग्य से विपक्ष जैसी सरकार हो औश्र उन बच्चों को कोई रोजगार नहीं मिले इसके लिए वर्तमान सरकार एक बिल पास करने जा रही है।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा है कि सरकार ने मैट्रिक के बाद बेरोजगारी भत्ता देने की बात की है।

श्री अध्यक्षः कैप्टन साहब, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वे बेरोजगार कहां से हुये क्योंकि उनकी पढ़ाई अभी समाप्त ही नहीं

हुई है इसलिए वे तो स्टुडैंटस की श्रेणी में आते हैं वे बेरोजगारों की श्रेणी में नहीं आते।

श्री ओमप्रका ा चौटालाः कैप्टन साहब, आप तो बुद्धिमान हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसलाः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह प्रयास किया है। यह प्र न बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह बात ठीक है कि सरकार ने अनएम्प्लायमैंट अलाउंस देने का निर्णय लिया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इसमें जो निर्णय लिया है इसमें रूलिंग पार्टी ने पोलिटिकली बेनीफिट लेने के लिए यह निर्णय लिया है। हमारा प्रदे ा वैलफेयर स्टेट है। संविधान में भी यह फण्डामैंटल राईट्स हैं और डायरेक्टिव प्रिसींपल्ज हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब प्रदे ा में बजट की इतनी टाईट पोजी ान है कि पिछले पांच सालों में यह सरकार सरकारी स्कूलों में अध्यापकों के पदों को पूरा नहीं कर पाई और आज यह बात कर रही है।

श्री अध्यक्षः बिसला जी, आप अपना सवाल पूछें।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसलाः अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि यह पोलिसी बनाने से पहले क्या सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया था कि सरकारी स्कूलों में जिनमें निम्न श्रेणी के बच्चे, एस0सी0, बी0सी0 के निर्धन बच्चे पढ़ते हैं,

हरियाणा के किसी भी सरकारी स्कूल में अध्यापकों के पदों को भरने का काम इस सरकार ने नहीं किया है।

श्री अध्यक्षः यह इससे संबंधित विशय नहीं है।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसलाः अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि यह पोलिसी बनाने से पहले क्या सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया था कि सरकार यह पैसा नहीं दे पायेगी। कोई भी सरकार इतना पैसा नहीं दे पाएगी, इसलिए जो पोलिसी ये बना रहे हैं, ये अव्यावहारिक हैं, ऐसी पोलिसी न बनाई जाए बल्कि सरकारी स्कूलों में जो ि ाक्षकों के पद खाली पड़े हैं उनको भरा जाए।

श्री अध्यक्षः बिसला जी, आप बड़े बुद्धिमान हैं, आप एक क्लैरीफिके ान दे, कैप्टन साहब की एक क्यूरी थी कि स्टूडैंट्स को भी बेरोजगारी भत्ता दिया जाए तो आप बताएं कि क्या स्टूडैंट्स बेरोजगार हैं या नहीं।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसलाः अध्यक्ष महोदय, कैप्टन साहब का अपना नजरिया है। मेरा अपना नजरिया है।

कैप्टन अजय सिंह यादवः जो स्टूडैंट्स पढ़ रहे हैं उनको भी बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। (ोर एवं व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह बिसलाः अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि मुख्यमंत्री महोदय इस बारे में अपने विचार रखे। (ोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रका ा चौटालाः अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्य को स्वयं इस बात का ज्ञान है कि 2 दफा ि ाक्षकों की भर्ती की गई है और तीसरी दफा ि ाक्षकों की भर्ती जारी है। हमने बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए इंजीनियरिंग कालेज, डैंटल कालेज, पोलीटैक्नीक, आई0टी0आई0 लॉ कालेज खोले हैं, कम्प्यूटर ि ाक्षा दी जा रही है ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिले। हमने बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए एक नया निर्णय लिया है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्ररियां हैं उनमें बेरोजगार युवकों को जगह मिले। हम विदे ाों में ऐसी व्यवस्था करेंगे ताकि बेरोजगार युवकों को वहां रोजगार मिल सके। **(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)** बिसला जी, ि ाक्षा नीति के बारे में आपका कोई सुझाव था तो आप अपना सुझाव देते क्योंकि 4 साल तक तो आप ि ाक्षा नीति की पूरी सराहना करते आए हैं चाहे तो असैम्बली प्रोसीडिंग्ज मंगा कर देख लें वैसे तो असैम्बली प्रोसिडिंग की कापी प्रत्येक एम0एल0ए0 के घर जाती है। ि ाक्षा नीति के बारे में आपका भाशण सबसे दमदार होता था, आपने हमे ाा इस सरकार की सराहना की, यह ठीक है कि हमारे साथी कभी कभी गुस्से में आ जाते हैं। पहले भी आप हमारे साथ थे और आगे भी हमारे साथ रहेंगे क्योंकि ये तो उापको अजमाएंगे

नहीं। हमें आपसे कोई गिला नहीं है। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हम कोई पोलीटिकल निर्णय नहीं लेते। हमारा मकसद तो पूरे प्रदे ा को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देना है और इस प्रकार की योजना और कानून बनाना है ताकि हम लोगों को सुविधा प्रदान कर सकें। आप तो कांग्रेस की तरफ भाग रहे हैं। आप भी निश्का ात मैम्बर्ज का साथ देने वालों में थे फिर भी मैं आपके क्षेत्र में गया और लोगों की मांग पर करोड़ों रुपया देकर आया। हम किसी से भेदभाव नहीं बरतते। मैं तो भजनलाल जी के हल्के में गया, बंसी लाल जी के हल्के में गया। क्योंकि इनका तो प्र न आया नहीं, इन्होंने कुछ किया नहीं, इनको तो अपने गांव का नाम गोलागढ़ कहते हुए भार्म नहीं आई। (ाोर एवं व्यवधान) आज भी इनके गांव का नाम गोलागढ़ है।

चौ0 बंसी लालः उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहूंगा......

श्री ओम प्रका ा चौटालाः बंसी लाल जी, आपने अपने मुख्यमंत्रीत्व काल में अपने गांव का नाम नहीं बदला, आपने तो ाम सब डिवीजन को तोड़ा आपने भजनलाल जी द्वारा बनाए गए सब डिवीजन को तोड़ा। (ाोर एवं व्यवधान)

चौ0 बंसीलालः उपाध्यक्ष महोदय,. . . .

श्री उपाध्यक्षः बंसीलाल जी, आप सीनियर मैम्बर हैं, आप जब भी बोलें चेयर की इजाजत से ही बोलें।

कैप्टन अजय सिंह यादवः उपाध्यक्ष महोदय, आप ये नियम सभी पर लागू करें।

श्री उपाध्यक्षः कैप्टन साहब, नियम सभी पर लागू हैं। (ोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रका ा चौटालाः बंसीलाल जी, आपने अपने गांव का नाम नहीं बदला। गोलागढ़ के मिडिल स्कूल को आप अप ग्रेड नहीं कर पाए। आपने अपने सब डिवीजन को तोड़ दिया और भजनलाल जी के भी सब डिवीजन को तोड़ दिया और अब आप इकट्ठे बैठे हैं, परिस्थितियों ने आपको इकट्ठा बैठा दिया। भजनलाल जी, आपके सब डिवीजन को इन्होंने तोड़ा या नहीं तोड़ा?

चौ0 भजन लालः यह तो रिकार्ड की बात है।

Providing of Benefits to Blind/Handicapped persons

***1877. Sh. Balbir Singh:** Will the Minister of State for Social Welfare be pleased to state whether the State Govt. has made any announcement to provide benefits to the blind and physically handicapped persons in the State; if so, the details thereof?

समाज कल्याण राज्य मंत्री(श्री रिसाल सिंह): जी हां श्रीमान! राज्य सरकार द्वारा ''हरियाणा विकलांग पैं ान'' योजना

के अन्तर्गत विकलांग पैं ान दिनांक 1–11–2004 से 200/– रुपये प्रतिमास से बढ़ाकर 300/– रुपये प्रतिमास करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार द्वारा यह भी घोशणा की गई है कि बेरोजगार ि ाक्षित विकलांग व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता योजना के अन्तर्गत बेरोजगारी भत्ता दिनांक 1–9–2004 से केवल नेत्रहीनों के लिये 200/–, 250/– एवं 300/– रुपये से बढ़ाकर दोगुणा क्रम ाः 400/–, 500/– एवं 600/– रुपये करने की घोशणा की है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार आने के बाद बार–बार सर्वे कराये और सिर्फ ओल्ड ऐज पैं ान ही नहीं, चाहे विडो पैं ान हो, विकलांग पैं ान हो, सभी को हमारे मुख्यमंत्री ने बढ़ाने का काम किया है। बुढ़ापा पैं ान 100 रुपये से 200 रुपये और 200 रुपये से 300 रुपये भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने ही बढ़ाये। इसके अलावा हमारी सरकार द्वारा विकलांग पैं ान योजना के अंतर्गत दिनांक 1–11–2004 से 200/– रुपये प्रतिमास से बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिमास करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार द्वारा यह भी घोशणा की गई है कि बेरोजगार ि ाक्षित विकलांग व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता दिनांक 1–9–2004 से केवल नेत्रहीनों के लिए 200/–, 250, एवं 300/– रुपये से बढ़ाकर दोगुणा क्रम ाः 400/–, 500/– एवं 600/– रुपये करने की घोशणा की है।

श्री बलबीर सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि नेत्रहीनों व विकलांगों की हमारे प्रदे ा में कुल संख्या कितनी है?

श्री रिसाल सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय साथी ने बहुत ही अच्छा सवाल किया है इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि विकलांग तो विकलांग ही हैं चाहे वे नेत्रहीन हों, चाहे दूसरी तरह से विकलांग हों उनमें अंतर क्यों है। अंतर सिर्फ इसलिए है कि नेत्रहीनों की कठीनाईयां दूसरों के मुकाबले अधिक है। उनको अपने साथ हमे ा स्टीक रखनी पड़ती है और उनको अधिक देखभाल की जरूरत होती है यही सोचकर नेत्रहीन विकलांगों की अधिक पैं ान बढ़ाई गई है।

श्री मांगेराम गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी अपने जवाब में बता रहे थे कि बेरोजगारी भत्ता, वृद्धावस्था पैं ान, नलकूपों के रेट में कमी और हैंडीकैप्ट की पैं ान। (विध्न)

श्री उपाध्यक्षः गुप्ता जी, मंत्री जी का जवाब हैंडीकैप्ट से रिलेटिड है इसलिए आप उसी से संबंधित प्र न पूछें।

श्री मांगेराम गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदय, मैं उसी पर आ रहा हूं। मैं मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मौजूदा सरकार मार्च, 2004 से इस प्रदे ा में राज कर रही है।

श्री ओम प्रका ा चौटाला: उपाध्यक्ष महोदय, हम मार्च, 2004 से नहीं बल्कि मार्च, 2000 से राज कर रहे हैं और बंसीलाल जी वाले 6 महीने अलग हैं।

श्री मांगेराम गुप्ता: उपाध्यक्ष महोदय, मैं मार्च, 2000 ही कहना चाह रहा था।

वित्त मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह): उपाध्यक्ष महोदय, गुप्ता जी तो आगे की बता रहे हैं कि आगे भी हम ही राज करेंगे।

श्री मांगेराम गुप्ता: उपाध्यक्ष महोदय, आगे के लिए तो ये सपने ही लें।

श्री उपाध्यक्ष: गुप्ता जी, आगे जो होना होता है उसके बारे में कई दफा गलती से पहले ही निकल जाता है।

श्री मांगेराम गुप्ता: उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछ रहा था कि जिस समय मौजूदा सरकार बनी उस समय किसान भी यहीं थे, अंधे भी यहीं थे। जिन्होंने चण्डीगढ़ में सरकार के सामने धरने दिए लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई।

श्री उपाध्यक्ष: गुप्ता जी, आप बहुत सीनियर मैंबर हैं, आप सप्लीमैंटरी पूछें।

श्री मांगेराम गुप्ता: उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्र न ही पूछ रहा हूं कि ये सारी वृद्धियों 11वें महीने में क्यों की जा रही हैं चार साल पहले क्यों नहीं की गई?

प्रो0 सम्पत सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, ये 11वें महीने के बारे में कैसे कह सकते हैं। बुढ़ापा पैं ान, विडो पैं ान 100 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये 25 नवम्बर, 1999 को की गई थी। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार रैगूलर बढ़ा रही है। हर साल नई–नई स्कीम वैलफेयर की हमारी सरकार दे रही है।

Water Supply Scheme of Gohana

***1860. Sh. Ram Kuwar Saini%** Will the Chief Minister be pleased to state the time by which the construction work of Water Supply Scheme of Gohana is likely to be completed together with the expenditure to be incurred thereon?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा): श्रीमान जी! गोहाना की जल आपूर्ति योजना का निर्माण कार्य, 885.00 लाख रुपये की अनुमानित राि ा से, जून 2005 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित है।

श्री राम कुवार सैनी: स्पीकर साहब मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जैसे भाहरों में प्रति व्यक्ति 110 लीटर पानी प्रतिदिन दिया जाता है क्या उसी तरह से देहात के गांवों में प्रति व्यक्ति 110 लीटर पानी प्रतिदिन देने का सरकार का प्रावधान है।

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम गोहाना भाहर की इस योजना के बारे में बताना चाहता हूं कि

गोहाना की वाटर सप्लाई स्कीम 8 करोड़ 85 लाख रुपये की लागत से टयूबवैल बेस्ड स्कीम बनाई जा रही है। यह स्कीम जून में भाुरू हो जायेगी और इस स्कीम का पार्टली काम मार्च में भाुरू किया जायेगा। इन्होंने सवाल पूछा है कि क्या देहात के गांवों में भी भाहरों की तरह 110 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दिया जायेगा। इस बारे में मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इसके लिए हर वर्श टारगेट रखा जाता है और उसे आगमेंट भी किया जाता है। जैसे जहां पर 30 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया जाता है तो वहां पर 30 लीटर पानी प्रति व्यक्ति से बढ़ाकर 40 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दिया जाता है। जहां पर 40 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया जाता है तो वहां पर 40 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति से बढ़ाकर 50 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दिया जाता है। जहां पर 50 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया जाता है तो वहां पर 50 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति से बढ़ाकर 60 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दिया जाता है। जहां पर 60 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया जाता है तो वहां पर 60 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति से बढ़ाकर 70 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दिया जाता है। जहां पर 70 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया जाता हैं तो वहां पर 70 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति से से बढ़ाकर 110 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दिया जाता है। इस सरकार के वर्श 1999 से सत्ता में आने के बाद गांवों में पानी की मात्रा को

बढ़ाने के लिए 500 गांवों का टारगेट रखा गया था लेकिन इसके अगेन्सट सरकार ने 520 गांवों का टारगेट अचीव किया। इसी प्रकार से वर्श 1999–2000 में 550 गांवों का टारगेट रखा गया था लेकिन इसके अगेन्सट सरकार ने 570 गांव के टारगेट को अचीव किया। वर्श 2001–2002 में 550 गांवो का टारगेट रखा गया था लेकिन इसके अगेन्सट सरकार ने 582 गांव के टारगेट को अचीव किया। वर्श 2002–2003 में 650 गांवों का टारगेट रखा गया था लेकिन इसके अगेन्सट सरकार ने 736 गांव के टारगेट को अचीव किया। वर्श 2003–2004 में 470 गांवों का टारगेट रखा गया लेकिन इसके अगेन्सट सरकार ने 3115 गांव की वाटर स्कीम में सुधार किया। मैं सदन की जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूंगा कि हमें नाबार्ड से भी कुछ पैसे इस स्कीम के तहत मिले हैं और हमने इसके लिए 654 योजनाओं का टारगेट रखा है नाबार्ड से मिलने वाले पैसे से पीने के पानी की व्यवस्था में सुधार किया जायेगा। **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)**

Swasthay Aapke Dwar

***1859. Sh. Bishan Lal Saini:** Will the Minister of State for Health be pleased to state the number of medical camps organised and the number of patients examined/benefited under the 'Swasthay Aapke Dwar' Programme in the State?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (डा0 एम0एल0 रंगा): श्रीमान् जी! स्वास्थ्य आपके द्वार कार्यक्रम के अन्तर्गत 1 नवम्बर, 2003 से

31—10—2004 तक 15115 स्वास्थ्य कैम्पों का आयोजन किया गया। जिनमें 75,08,101 व्यक्तियों के स्वास्थ्य की जांच की गई जिसमें चुने हुए 866068 मरीजों का ईलाज किया गया।

श्री बि ान लाल सैनी: स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी के जवाब से सन्तुश्ट हूं।

श्री अध्यक्ष: अब कवै चन आवर समाप्त होता है।

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर

Repair of Damaged Roads of Yamuna Nagar Constituency

***1865. Shr. Malik Chand Gambhir:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the damaged roads of Yamuna Nagar constituency including the road from Yamuna Nagar Saharanpur road to Khajuri-Jathalana; and

(b) if so, the time by which these roads are likely to be repaired?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रका ा चौटाला):

(क) हां, श्रीमान जी।

(ख) कार्य दो सप्ताह में आबंटित करने की संभावना है और उक्त कार्य छः मास के अन्दर पूरा कर दिया जायेगा।

Upgradation of the post of school lecturers

***1869. Sh. Sher Singh:** Will the Minister of State for Education be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the declaration in regard to upgrade the post of School Lecturers as Gazetted was made by the Chief Minister during the year 2002; and

(b) if so, the time by which it is likely to be fulfilled?

ि ाक्षा राज्य मंत्री (चौ0 बहादुर सिंह):

(क) हां, श्रीमान जी। माननीय मुख्य मंत्री महोदय, ने वर्श 2002 की अपेक्षा वर्श 2000 में स्कूल प्राध्यापकों को राजपत्रित का दर्जा देने बारे घोशणा की थी।

(ख) इस संबंध में स्कूल के वर्ग के प्राध्यापकों को राजपत्रित दर्जा देने हेतु अधिसूचना भीघ्र ही जारी की जानी सम्भावित है।

Repairing/Re-carpeting of Nilokheri-Kaul Road

***1864. Sh. Dharam Pal (Nilokheri):** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to repair/re-carpet the Pehwa road i.e. from Nilokheri to Kaul; if so, the time by which the repair of the said road is likely to be completed?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रका ा चौटाला): हां, श्रीमान जी। नीलोखेड़ी कस्बे में 1.64 किलोमीटर लम्बाई में काम वितरित कर दिया गया है और 12/04 तक पूर्ण कर दिया जाएगा। भोश भाग की मरम्मत के लिए आव यक कदम उठाए जा रहे हैं।

Number of Old-Age Pensioners

***1868. Sh. Ramesh Kumar Khatak:** Will the Minister of State for Social Welfare be pleased to state the total number of persons getting Old Age Pension in the State as on 31-10-2004, 30-6-1999 and 31-3-1996 together with the amount spent thereon during the said periods separately?

समाज कल्याण राज्य मंत्री (चौ0 रिसाल सिंह): ताऊ देवी लाल वृद्धावस्था पैं ान योजना के अन्तर्गत राज्य में विभिन्न अवधियों के दौरान लाभपात्रों का ब्यौरा एवं उन पर खर्च की गई रा ि ा का विवरण सलंग्न तालिका में दिया गया है:

विवरण

वर्श	लाभपात्रों की संख्या	खर्चा (करोड़ों में)
1991—1992	7,40,000	80.18
1992—93	7,37,000	71.33
1993—94	6,79,255	54.36

1994—95	6,30,000	114.22
1995—96 (1—4—95 से 31—3—96)	7,41,290	80.14
1996—97	6,96,000	83.88
1997—98	7,29,600	81.82
1998—99	6,80,263	82.88
1999—2000 (1—4—1999 से 30—6—1999)	6,67,757	20.39
1999—2000 (1—7—99 से 31—3—2000)	9,87,634	103.77
2000—2001	9,63,849	221.35
2001—2002	9,10,412	220.57
2002—2003	8,45,821	207.32
2003—2004	8,94,863	217.18
2004—2005(1—4—2004 से 31—10—2004)	8,71,620	122.62

Setting-up of 33 KV sub-station at village Khurana

***1861. Sh. Lila Ram:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to set-up 33 KV Sub-station in village Khurana in Kaithal Constituency, Distt Kaithal; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be implemented?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रका ा चौटाला):

(क) नहीं, श्रीमान् जी।

(ख) उपरोक्त (क) के मद्देनजर इस प्र न का उत्तर देने की आव यकता नहीं है।

Repair of Roads

***1866. Sh. Malik Chand Gambhir:** Will the Minister for Urban Development be pleased to state the time by which the damaged roads within the Yamuna Nagar Municipal limits are likely to be repaired?

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सुभाश गोयल): श्रीमान् जी, राज्य सरकार द्वारा 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के अन्तर्गत यमुनानगर नगरपरिशद की सड़कों की मरम्मत/निर्माण हेतु 11–3–2002 से 12–10–2004 की अवधि के दौरान पहले ही 636. 27 लाख रुपये की रा ा जारी की जा चुकी है जो रा ा खर्च

की जा चुकी है। भोश क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का कार्य धनराि ा मिलने पर तुरन्त आरम्भ कर दिया जाएगा।

Vacant posts of School Teachers

***1870. Sh. Sher Singh:** Will the Minister of State for Education be pleased to state the district wise number of posts of teachers (Category-wise/subject-wise) in Government schools lying vacant in the State at present?

ि ाक्षा राज्य मन्त्री (चौ0 बहादुर सिंह): विस्तार पूर्वक सूचना अनुबन्ध 1 से 4 पर उपलब्ध है।

अनुबन्ध–1

जे0बी0टी0 अध्यापकों की रिक्ती सूची

क्र0सं0	**जिले का नाम**	**कुल रिक्तियां**
1.	अम्बाला	133
2.	भिवानी	187
3.	फरीदाबाद	213
4.	फतेहाबाद	92
5.	गुड़गांव	375
6.	हिसार	206

7.	जीन्द	179
8.	झज्जर	0
9.	कैथल	137
10.	करनाल	475
11.	कुरूक्षेत्र	166
12.	नारनौल	124
13.	पानीपत	157
14.	पंचकूला	59
15.	रोहतक	0
16.	रिवाड़ी	59
17.	सोनीपत	0
18.	सिरसा	230
19.	यमुनानगर	296
	कुल	**3088**

अनुबन्ध–II

जिले का नाम	श्रेणी–1	उ0प0म0 अ0/उ0	प्राचार्य	ख0f I0अ0	मु0अ0	एस0एस0अ0	ग0अ0	वि0अ0	डी0पी0ई0	गृ0वि0	संगीत	कृषि	वाणिज्य	कुल
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
अम्बाला	1	0	10	5	26	118	36	56	19	5	4	0	1	281
भिवानी	0	1	19	2	0	223	15	109	47	1	0	1	0	418
फरीदाबाद	2	0	20	4	41	230	36	81	33	3	0	1	1	452
फतेहाबाद	0	0	15	3	45	154	24	89	13	0	2	0	0	345
गुड़गांव	5	0	12	0	42	154	29	98	20	2	2	1	0	365

हिसार	0	0	7	0	37	131	13	70	18	0	0	0	0	276
जीन्द	0	1	8	2	27	244	23	103	15	2	3	0	0	428
झज्जर	0	0	7	2	0	260	2	100	24	1	2	1	1	400
कैथल	0	2	17	3	31	162	35	99	23	1	1	1	0	375
करनाल	1	0	12	0	40	107	31	72	34	1	0	2	0	300
कुरूक्षेत्र	0	0	3	5	8	86	7	60	12	0	0	0	0	181
नारनौल	3	3	55	9	80	698	218	258	63	14	10	0	0	1411
पानीपत	0	1	4	5	12	116	0	51	5	1	1	1	0	196
पंचकूला	1	2	1	4	8	57	7	29	12	1	0	0	0	122

रोहतक	0	0	1	0	0	515	244	239	34	27	8	0	0	1068
रिवाड़ी	1	0	10	6	4	102	2	20	26	2	2	0	0	175
सोनीपत	0	1	15	3	6	319	4	68	49	0	0	2	0	467
सिरसा	1	1	1	3	3	62	191	68	110	1	0	0	0	441
यमुनानगर	0	0	5	7	15	91	19	36	15	2	0	0	0	190
कुल	**15**	**12**	**222**	**63**	**425**	**3829**	**936**	**1706**	**572**	**63**	**35**	**10**	**3**	**7890**

एच0ई0एस0–I हरियाणा ि ाक्षा सेवा श्रेणी-I

उ0म0ि ा0अ0 / उ0जि0ि ा0अ0ः–उपमण्डल ि ाक्षा अधिकारी / उपजिला ि ाक्षा अधिकारी

ख0अ0ि ा0ः–खण्ड ि ाक्षा अधिकारी

मु0अ0ः– मुख्याध्यापक

एस0एस0ः– सामाजिक अध्ययन मास्टर

ग0अ0ः– गणित अध्यापक

वि0अ0ः– विज्ञान मास्टर

गृह0वि0ः– गृह विज्ञान

कृशिः– कृशि मास्टर

वाणिज्यः– वाणिज्य मास्टर

अनुबन्ध–III

जिले का नाम	भौतिक	रसा0	जीव0	अर्थ	गृह	संस्कृत	वाणिज्य	समाज	गणित	पंजाबी	हिन्दी	अंग्रेजी	रा0 ग0	संगीत	भूगोल	इतिहास	योग
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
अम्बाला	5	2	5	3	0	3	4	1	9	3	19	17	17	1	4	8	101
भिवानी	8	7	7	16	3	4	3	1	14	0	31	41	26	2	5	39	207
फरीदाबाद	18	12	13	0	2	1	6	1	7	1	33	7	26	2	8	25	162
फतेहाबाद	2	1	1	2	0	1	5	1	3	5	25	7	14	0	2	12	81
गुड़गांव	7	4	1	7	2	12	5	2	6	0	46	9	32	3	6	37	179
हिसार	14	15	12	3	0	4	10	4	15	0	33	3	18	0	4	20	155

जीन्द	5	3	2	5	5	1	9	3	11	4	12	7	12	0	3	10	92
झज्जर	7	8	1	31	2	5	5	4	10	0	19	44	45	1	3	41	226
कैथल	3	11	3	2	0	4	10	0	10	2	21	6	12	0	2	11	97
करनाल	4	9	8	8	3	2	3	0	7	0	20	16	21	1	7	6	115
कुरूक्षेत्र	5	5	4	10	1	0	8	2	4	4	0	3	5	0	7	0	58
नारनौल	6	8	5	24	3	22	2	8	11	0	16	42	30	2	11	37	227
पानीपत	6	2	2	12	1	1	2	1	2	1	17	16	9	2	3	18	95
पंचकूला	3	6	2	5	0	3	1	0	0	0	7	5	5	1	3	7	48
रोहतक	4	2	1	0	5	1	1	0	0	1	4	10	2	2	5	6	44
रेवाड़ी	5	4	2	20	2	19	0	2	5	0	21	20	17	0	0	17	134

पानीपत	13	7	4	23	2	17	12	2	12	0	47	41	33	1	6	43	263
सिरसा	4	3	2	1	0	3	0	4	5	5	34	21	13	1	16	21	133
यमुनानगर	1	1	1	5	0	3	6	3	6	6	28	5	23	1	1	11	101
कुल	**120**	**110**	**76**	**177**	**31**	**100**	**92**	**39**	**137**	**32**	**433**	**320**	**360**	**20**	**96**	**369**	**2518**

भौतिकः— भौतिक विज्ञान प्रवक्ता

रसाः— रसायन विज्ञान प्रवक्ता

जीवः— जीव विज्ञान प्रवक्ता

अर्थः— अर्थ ाास्त्र प्रवक्ता

गृहः— गृह विज्ञान प्रवक्ता

वाणिज्यः— वाणिज्य प्रवक्ता

रा0 ाा0:— राजनीतिक भाास्त्र प्रवक्ता

अनबन्ध-IV

क्लासिक एवं वर्नाकूलर अध्यापक

जिले का नाम	हिन्दी अध्यापक	संस्कृत अध्यापक	कला अध्यापक	पंजाबी अध्यापक	पी0टी0 आई0	सिलाई एवं कढ़ाई अध्यापक	कुल
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
अम्बाला	24	8	13	0	0	1	46
भिवानी	2	16	27	0	10	0	55
फरीदाबाद	21	47	28	0	39	0	135
फतेहाबाद	13	35	72	0	7	0	127
गुड़गांव	5	15	50	1	32	0	103
हिसार	7	18	19	0	16	0	60
जीन्द	3	25	12	0	4	2	46
झज्जर	0	3	1	0	0	0	4
कैथल	10	11	29	0	1	1	52

करनाल	4	6	21	0	14	0	45
कुरूक्षेत्र	6	17	55	0	16	0	94
नारनौल	220	223	208	0	178	1	830
पानीपत	0	2	4	1	3	0	10
पंचकूला	3	9	12	0	4	0	28
रोहतक	0	3	0	0	2	1	6
रिवाड़ी	1	18	10	0	13	0	42
सोनीपत	0	9	5	0	21	1	36
सिरसा	0	46	77	0	4	0	127
यमुनानगर	17	2	18	0	2	0	39
कुल	**336**	**513**	**661**	**2**	**366**	**7**	**1885**

ध्यानाकर्शण प्रस्ताव/अवि वास प्रस्ताव की सूचनाएं

कैप्टन अजय सिंह यादवः स्पीकर साहब, हमने सरकार के खिलाफ नो कांन्फीडेंस मो ान दिया है उसका क्या रहा।

श्री अध्यक्षः आपने यह नो कान्फीडेंस मो ान 1.47 बजे दिया है वह अभी अन्डर कंसीड्रे ान है।

कैप्टन अजय सिंह यादवः मेरी अर्ज है कि पहले नो कान्फीडेंस मो ान पर चर्चा कर ली जाये और बाकी विजनैस बाद में टेकअप कर लिया जाये।

श्री अध्यक्षः अभी वह अन्डर कंसीड्रे ान है।

कैप्टन अजय सिंह यादवः सर, मेरी अर्ज है कि पहले इसे टेकअप कर लिया जाये और बाकी बिजनैस बाद में टेकअप कर लिया जाये।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी सेवा में एक कॉलिंग अटैं ान मो ान दिया हुआ है उसका क्या फेट है? (विध्न)

श्री अध्यक्षः दलाल साहब, आपका दिया हुआ कॉलिंग अटैं ान मो ान अभी अभी मेरे सामने आया है लेकिन मैंने अभी उसे देखा नहीं है (विध्न)। आपका यह कॉलिंग अटैं ान मो ान अभी अभी मेरे सामने आया है और मैं इस पर विचार कर रहा हूं। (विध्न)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह रिक्वैस्ट करता हूं कि जो पहले वाला मामला है उसके बारे में आप बताइये कि आपकी क्या रूलिंग है?

श्री अध्यक्षः वह मैटर अण्डर कंसिड्रे ान है और मैं इस पर विचार करूंगा। (विध्न)

चौधरी बंसीलालः अध्यक्ष महोदय, अगर यह मामला आपके पास 3 बज कर 07 मिनट पर आपको दिया गया है तो क्या आप इस पर विचार नहीं करेंगे, क्या इस बिनाह पर आप इसको रिजैक्ट कर देंगे? It was given to you before the question Hour. You are bound to take it up. (विध्न)

श्री अध्यक्षः बंसीलाल जी, मैं इसे कन्सीडर करूंगा अभी मैं इसको देख रहा हूं अभी आप अपनी सीट पर बैठें। (विध्न)

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रका ा चौटाला): चौधरी साहब, आपने भाायद सुना नहीं है स्पीकर साहब ने यह कहा है कि That is under consideration.

चौधरी बंसी लालः रूल के हिसाब से वे इसे रख नहीं सकते हैं। यह मो ान उन्हें क्वै चन आवर से पहले मिला है। (विध्न)

श्री ओम प्रका ा चौटालाः आपको रूल भी पढ़ा देंगे। (विध्न) आपर रूल को समझ लेना।

श्री अध्यक्षः चौधरी बंसी लाल जी, यह बैटर होगा कि मैं कोल एण्ड भाकधर की किताब का पेज 689 पढ़ देता हूं फिर रूल अपने आप आपकी समझ में आ जाएगा। (विध्न) भजन लाल जी, आप मेरी बात सुने, मुझे यह इंगलि ा में पढ़ना पड़ेगा।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, जिस सरकार के खिलाफ अवि वास प्रस्ताव आ जाए सरकार को पहले हाउस को वि वास में लेना चाहिए। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप एक और बात करिए कि अण्डर कंसिड्रे ान के अलावा आप यह कह दीजिए कि कल इस पर बहस करेंगे (विघ्न) आप इसका फेट बताएं (विघ्न)

श्री ओम प्रका ा चौटालाः भजन लाल जी, आप अपनी सीट पर बैंठे (विघ्न) आप चेयर को कोई हिदायत नहीं दे सकते हैं (विघ्न एवं भाोर) आप उनकी बात सुनिए। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः भजन लाल जी, आप प्लीज सुनिए (विघ्न) आप अपनी सीट पर बैठें (विघ्न) मैं आपकी बात भी सुनूंगा और सारी चीज भी बताऊंगा तथा आपकी पूरी तसल्ली करूंगा। (विघ्न)

श्री ओम प्रका ा चौटालाः अध्यक्ष महोदय, जो इनकी पार्टी के नेता हैं वे खड़े हैं और कह रहे है कि इसे आज नहीं कल के लिए रख लें, चौधरी बंसी लाल जी कह रहे हैं कि अभी ले लें और जिसे आपने फर्जी विपक्ष का नेता बनाकर बिठा रखा है (विघ्न) कप्तान साहब, आप मुझे बता देना कि क्या इन लोगों ने आपको विपक्ष का नेता चुना है अगर उन्होंने चुना नहीं है तो फिर आप फर्जी ही हैं। आप लीडर ऑफ ओपोजी ान नहीं हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः कैप्टन अजय सिंह जी, आप मान्यता प्राप्त विपक्ष के नेता नहीं हैं (विघ्न) आप डिप्टी लीडर हैं। आप बार बार

रिक्वैस्ट करते रहे और आप बहुत ज्यादा कहा करते थे इसलिए मैंने सोचा कि कांग्रेस पार्टी तो आपको नेता बनाती नहीं है मैं आपको कम से कम कुर्सी तो दिखा दूं। (विघ्न) मैंने आपको केवल कुर्सी दिखाई है आपको अभी मान्यता नहीं दी गई है। जब ये लोग आपको विपक्ष का नेता चुन देंगे तो मैं आपको मान्यता दे दूंगा। (विघ्न)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, यह हमारा अधिकार है (विघ्न)। सरकार के खिलाफ अवि वास का प्रस्ताव आया हुआ है उस पर आप अपनी रूलिंग दें। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः भजन लाल जी, डिप्टी लीडर ने मुझे अवि वास का प्रस्ताव दिया है। आप सुनिये, चौधरी बंसी लाल जी आपको इसे हिन्दी में ट्रांसलेट कर देंगे मैं इंगलि ा में पढ़ंगा (विघ्न) अभी आप बैठ जाएं।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्षः कौल एण्ड भाकधर की बुक का पेज 689 मैं पढ़ देता हूं। भजन लाल जी, आप अपनी सीट पर बैठें। जो ये बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए। (विघ्न) भजन लाल जी, आप सुन लीजिए मैं आपके लिए इसे हिन्दी में भी ट्रांसलेट कर दूंगा।

At page 689 of the book Kaul & Shakdhar, it is mentioned-

"The expression 'before the commencement of the setting' means a reasonable time before the commencement fo the setting. A notice of No-confidence motion which is required to be given before the commencement of the sitting on the day on which the matter is proposed to be raised in the House has to be given by 10.00 hours on that day, i.e. an hour before the commencement of the sitting. Such notice, if received after 10 hours, is valid only for the next sitting."

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, यह नो कान्फीडेंस के मुतल्लिक नहीं है (विध्न)।

श्री अध्यक्षः यह नो कान्फीडेंस के मुतलिक ही है आप कौल एण्ड भाकधर का पेज 689 देखें। (विध्न)

श्री अध्यक्षः यह कौल एंड भाकधर के पेज नम्बर 689 पर हैं। आप उसको पढ़ें। (ाोर)

डॉ0 रघुबीर सिंह कादियानः आप सदन को मिस–गाईड कर रहे हैं।

Mr. Speaker: This is the Practice and Procedure of Parliament.

कैप्टन अजय सिहं यादवः अध्यक्ष महोदय, आपने जो किताब रूल्ज की हमें दे रखी है उसमें बताएं कि यह कहां पर है जो कि आप पढ़ रहे हैं।

Mr. Speaker: Under Rule 119 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative

Assembly, in case of doubt as to the interpretation of the rules, the decision of the Speaker shall be final. डाऊट है, डाऊट है। (ाोर) कैप्टन साहब, आप उप–नेता तो हैं लेकिन किताब नहीं पढ़ते हैं। (ाोर) कभी तो एडजर्नमैंट मो ान बाद में लाते हो। (ाोर) यह भी बुक है। यह तो मैंने पार्लियामैंट की प्रैक्टिस एंड प्रोसिजर से पढ़ा है। (ाोर) चौधरी बंसी लाल जी कुछ समझ में आई है जो बात मैंने कही है, जो मैंने पढ़ा है।

श्री बंसी लालः मैं तो कुछ भी नहीं समझ रहा हूं। (ाोर)

श्री अध्यक्षः कैप्टन साहब, बैठिए–बैठिए। यह अन्डर कंसीड्रे ान है। (ाोर)

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, हमें यह बात समझ नहीं आ रही है। जिस सरकार के खिलाफ नो–कॉन्फीडैंस मो ान हो वह इस पर बहस करवाए बिना दूसरा कोई बिजनैस कैसे टेक–अप कर सकती है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप इस पर बहस करवाएं।

श्री अध्यक्षः कैप्टन साहब, मैं इस बारे में सदन में पहले भी बोल चुका हूं कि वह अन्डर कंसीड्रे ान है। (ाोर) इस पर विचार करेंगे। (ाोर) अभी तो बताया है। (ाोर) एक घन्टा पहले देना था। आपने दिया है इसमें कोई डाऊट है। (ाोर) आप दोनों पढ़ोगे। (ाोर) आप दोनों बाहर जाकर पढ़ लें।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं आपको रूल 65(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Haryana Legislative Assembly पढ़ कर बता देता हूं।

"65(1) A motion expressing want of confidence in, or disapproving the policy in a particular respect of a Minister or the Ministry as a whole, may be made, subject to the following restriction, namely:-

(a) leave to make the motion must be asked for after questions and before the business on the list for the day is entered upon."

I have already given you the no-confidence motion notice. So, it should be taken up now as per the rules. If you don't go as per the rules then it is another matter.

श्री अध्यक्षः कैप्टन साहब, इसलिए तो बिफोर दि बिजनैस कहा है और यह आपको एक घंटा पहले देना चाहिए था।

Capt. Ajay Singh Yadav: Speaker Sir, it is given in the rules that 'before the business is entered upon' and it is very clear. Whether it is order or not? If it is not in order then you say "I reject its", if it is in order, then you should accept it.

Mr. Speaker: As per Practice and Procedure of Parliament, where the rule is silent, the Speaker can give the interpretation.

Capt. Ajay Singh Yadav: Speaker can give interpretation as what he feels.

Mr. Speaker: This is as per Practice and Procedure of Parliament.

Capt. Ajay Singh Yadav: It is given very clear in the rules. That may be exception. But here it is given in the rules.

Dr. Raghubir Singh Kadian: But here the necessity arises to take it up first.

Capt. Ajay Singh Yadav: Sir, you have to work as per the Rules Book.

Mr. Speaker: Rule is silent. I have followed by the Practice and Procedure of Parliament.

Capt. Ajay Singh Yadav: But you are not following. You should go as per the rules.

Mr. Speaker: Rule is silent. I have to follow by the Practice and Procedure of Parliament.

Capt. Ajay Singh Yadav: Have you been following the precedents earlier also?

Mr. Speaker: You please read page 689 of the Practice and Procedure of Parliament. It is clearly mentioned here:-

"Before the commencement of a Session, a notice can at the earliest be given after a date and time fixed in advance by the Speaker and notified in the Bulletin. Notice can also be given for a future date?

Dr. Raghubir Singh Kadian: It is not a notice of no-confidence motion. You tell where it is written.

Capt. Ajay Singh Yadav: It is a no-confidence motion. If it is a notice then tell me where it is written. Please don't misguide the House. Don't mislead the House. It is not a notice. It is a no-confidence motion.

डॉ0 रघुबीर सिंह कादियानः . . . . . .

वित्त मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह): अध्यक्ष महोदय, कादियान जी जो भी बोल रहे हैं वह कार्यवाही से निकवाया जाये। ये सदन में किस तरह से बोल रहे हैं। (ोर)

श्री अध्यक्षः कादियान जी ने जो भी बोला है वह रिकार्ड नहीं किया जाए। (ोर)

डॉ0 रघुबीर सिंह कादियानः . . . . . ।

श्री अध्यक्षः कादियान जी बिना इजाजत के बोल रहे हैं इनका कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाए। (ोर) कैप्टन साहब, आपने मुझे जो लिख कर दिया है उसमें आपने लिखा है नोटिस आफ नो कान्फीडैंस मो ान। आप पढ़े लिखे हैं। आपने जो भेजा है उसको पढ़ लें।

कैप्टन अजय सिंह यादवः आप हमें दिखाएं कि कहां पर हमने लिखा है।

Mr. Speaker: You have written in its subject "Notice of no-confidence motion". And you have also put your signature on it. And a notice of no-confidence motion which is required to be given before the commencement of the sitting on the day on which the matter is prepared to be raised in the house has to be given by 10 hours on the day i.e. one hour before commencement of the sitting. (interruptions)

प्रो0 सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, आप इनको बिठाएं। तीन–तीन आदमी इकट्ठे बोल रहे हैं। इनका यह क्या तरीका है। आप हाऊस का डैकोरम बनवाएं।

श्री अध्यक्षः आपने जो हमें लिखकर दिया है इसमें नोटिस ऑफ नो–कान्फीडैंस मो ान लिखा हुआ है। चौधरी भजन लाल जी, इस पर आपने भी साईन किए हुए हैं। It is notice of no-confidence motion (ोर)

कैप्टन अजय सिंह यादवः स्पीकर साहब, यह अवि वास प्रस्ताव है कोई दूसरा नोटिस नहीं है।

श्री अध्यक्षः कैप्टन साहब, आप यह बताएं कि आपने यह नोटिस ऑफ नो–कांफीडैंस लिखा है या नहीं। अगर न लिखा हो तो आप बताएं। (विध्न)

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, आप हाउस को आर्डर में करवाइये। ये चार चार, पांच पांच एक साथ खड़े हैं जिसकी

वजह से हाउस का समय वैस्ट हो रहा है इस तरह से हाउस कैसे चलेगा। (विध्न)

डॉ0 रघुबीर सिंह कादियानः स्पीकर साहब, आप हमारी बात तो सुनिये।

श्री अध्यक्षः कादियान साहब, आप बैठ जाएं। (विध्न)

Capt. Ajay Singh Yadav: Speaker Sir, You are the custodian of the House. So, you have to clear the thing. (Interruptions)

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि आप हाउस को आर्डर में लाईये। हाउस का समय बहुत कीमती है। इस तरह से तो हाउस का समय वेस्ट हो रहा है। आप इनको बिठाइये। (विध्न)

कैप्टन अजय सिंह यादवः हम भी कह रहे हैं कि इस तरह से हाउस का समय खराब हो रहा है। स्पीकर साहब, आप हमारी बात तो सुनिये। (विध्न)

श्री अध्यक्षः कैप्टन साहब, रूल 119 के तहत जो मैंने फाईडिंग दी है वह यहीं है और सही हैं। लेकिन अगर आपमें ज्ञान का अभाव हो तो मैं क्या करूं।

कैप्टन अजय सिहं यादवः स्पीकर साहब, हममें आपसे ज्यादा ज्ञान है। (विध्न)

डॉ0 रघुबीर सिंह कादियानः स्पीकर साहब, आप हमारी बात तो सुनिये। We are asking whether it is motion or notice. (Interruptions)

श्री अध्यक्षः आप सभी बैठिए। कादियान साहब, आप बैठ जाएं। अदरवाइज मुझे ऐक ान लेना पड़ेगा। (विध्न) अनिता जी, आप भी बैठ जाएं।

चौ0 भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मुझे भी आपकी इजाजत से कुछ कहना है। मेहरबानी करके आप सुनिये। यह हाउस है और यहां पर हमें बोलने का अधिकार है। आप चाहें तो इस बारे में रिकार्ड निकलवाकर देख भी सकते हैं। जब मैं मुख्यमंत्री था उस वक्त चौटाला साहब इधर ही बैठते थे और उसे समय इन्होंने दो या तीन बार हमारी सरकार के खिलाफ अवि वास का प्रस्ताव दिया था। हमने उस समय यह कहा था कि नहीं, और सारा काम छोड़ो सबसे पहले हम वि वास का मत हासिल करेंगे और बाद में दूसरे काम करेंगे।

श्री अध्यक्षः भजन लाल जी, मैंने अभी इसको देखना है कि यह आर्डर में है या नहीं है। मैंने अभी इसको ऐग्जामिन करना है। यह अभी आर्डर कंसीड्रै ान है। मुझे इस बारे में सारा देखना है। आप इस बारे में ज्यादा जल्दी में क्यों हैं?

चौ0 भजन लालः अगर आप इस पर विचार नहीं करेंगे तो हम यहां पर बैठकर क्या करेंगे? (विध्न)

श्री अध्यक्षः कैप्टन साहब, आप इसको पढ़कर देखिए कि आपने इसमें क्या लिखा है। आप बताएं कि इसका सब्जैक्ट क्या है?

कैप्टन अजय सिंह यादवः सब्जैक्ट है। Notice of No-Confidence Motion. (Interruptions)

श्री अध्यक्षः कैप्टन साहब, आप नोटिस पढ़े और बताएं कि इसका पहला भाब्द क्या है। नोटिस से क्या कोई रिफलैक ान है। (विध्न) इसका पहला भाब्द क्या है?

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, मैं आपकी परमि ान से कुछ कहना चाहता हूं। स्पीकर साहब, पहली बात तो यह कि मेरा आपसे निवेदन है कि हाउस का समय बहुत कीमती है इसलिए आप हाउस को इन आर्डर लाइये। मेरा कहना यह है कि मैम्बर्ज अपनी बात कहें खूब कहें हमें कोई एतराज नहीं है। आप हाउस के कस्टोडियन हैं। एक मैम्बर पहले अपनी बात को कह लें और उसके बाद दूसरे मैम्बर को बोलने की इजाजत मिले तो ही वह बोले तो ज्यादा अच्छा है चाहे वह हमारी तरफ से हों या चाहे वह उधर से हों ऐसा करने से हाउस का डैकोरम बना रहेगा। स्पीकर साहब, आपने अभी जिस नोटिस का जिक्र किया और जिस पर कादियान साहब ने ऐतराज किया It is a notice. चाहे वह नोटिस नो कांफीडैन्स मो ान का हो या चाहे वह नोटिस भार्ट टर्म का हो या आधे घंटे की डिसक ान का हो तो ये नोटिस ही हैं। माननीय सदस्य कैप्टन साहब से पढ़ते टाईम आपने पूछा कि आप

पढ़िए कि वरबैटम क्या है तो He was missing notice. तो बार बार ये क्यों उसको मिस कर रहे थे इसका मतलब है कि वह नोटिस ही है। यह ठीक है कि कानूनी तौर पर नोटिस बनता है। इन्होंने जो नोटिस दिया था वह भी नोटिस ही था। इसमें कोई दो राय नहीं थी। अब जहां तक नो कांफीडैंस मो ान को लेने का सवाल है आपने भी इस बारे में पढ़कर सुनाया और माननीय सदस्य ने भी इस बारे में पढ़कर सुनाया। स्पीकर साहब, हरियाणा असैम्बली के अपने रूल्ज एंड प्रोसिजर बने हुए हैं। इनमें लिखा हुआ है कि कार्यवाही भाुरू होने से पहले यदि नोटिस दिया जाएगा तो वह इन आर्डर माना जाएगा और आप उस पर फैसला करेंगे। लेकिन साथ में हर चीज में टाईम भी होता है परन्तु इस बारे में चूंकि रूल्ज की बुक के अंदर टाईम नहीं दिया हुआ है कि Whether 15 minutes earlier or helf-an-hour earlier or one hour earlier or so. स्पीकर साहब, हम किससे गवर्न होते हैं। पार्लियामैंट की प्रैक्टिस और प्रौसीजर्स हैं। चौधरी बंसीलाल जी और चौधरी भजनलाल जी बहुत सीनियर मैम्बर हैं। कैप्टन साहब को भी काफी टाईम मैम्बर बने हुए हो गया है इसलिए इनको पता होना चाहिए कि रूल्ज की किताब के अंदर अगर किसी रूल में साईलैंट है then we are governed by practice and procedure of parliament. हम कौल एंड भाकधर को रोज कोट करते हैं। पार्लियामैंट में नॉमली से ान 11 बजे भाुरू होता है इसलिए उसमें दस बजे का टाइम दिया हुआ है हमारे यहां सै ान 2 बजे भाुरू होता है इसलिए एक बजे का समय बनता है फिर भी क्योंकि आपने नोटिस

दिया है that is under consideration. हम यह नहीं कह रहे हैं कि आपका नोटिस इल्लीगल है या आपने टाइम बाऊंड समय में नहीं दिया या आपने टाइम वेस्ट कर दिया। आपने टाइम वेस्ट नहीं किया है। that is another question. That is a separate question. सवाल टेकअप करने का है सवाल ऐडमिट करने का या इन ऑर्डर करने का नहीं है इस पर कोई आपति नहीं होनी चाहिए। स्पीकर सर जो फैसला आप देंगे उस पर सरकार को कोई आपति नहीं होगी। जो आप फैसला करेंगे सरकार आपका पक्ष मानेगी। हमें कोई दिक्कत नहीं है। (ाोर एवं विध्न)

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं नोटिस के बारे में बता रहा हूं। वन एंड हाफ ऑवर का समय है इसमें क्लीयर यह दे रखा है कि –

"leave to make the motion be asked for after questions and before the business on the list for the day is entered upon."

I have given you the notice before the business was entered upon. When it is given clearly in the Rules then where is the lacuna. इसमें क्लीयर यह दे रखा है। (Interruption) Then it should have been given in our Rules. If you have not given it in the Rules then it is your fault. You should work as per the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly. तो इसमें Nothing is written about one hour or two hours. जो आप कोट कर रहे हैं। that is a different thing. This is a special notice.

प्रो0 सम्पत सिंहः सर ये कह रहे हैं कि it is you fault. मैं ऑन रिकार्ड यह कह रहा हूं कि it is not your fault. यह जो आपकी रूल्ज कमेटी बनी थी उसे आप देखें उसमें चेयरमैन स्पीकर होते हैं और वीरेन्द्र सिंह जी जो इनकी पार्टी के हैं। और काफी सीनियर हैं वे इसमें मैंबर थे वे भी वकील हैं, पढ़े लिखे हैं (विध्न) तो मैं कहना चाहता हूं कि ये चेयर को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। उसमें कोई चीज हो, रूल हो, कांस्टीच्यू ान के निर्माताओं से ज्यादा इंटैलीजैंट कोई नहीं हो सकता। (ाोर एवं विध्न) Nobody is to be blamed. इसके लिए आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। अमैंडमैंट चलती रहती है प्रैक्टिस हैं प्रक्टिस भी होती है, प्रैसिडैंट्स होते हैं We are governed by those.

श्री अध्यक्षः पहले आप मेरी बात सुन लीजिए फिर कुछ कहना।

कैप्टन अजय सिंह यादवः स्पीकर सर, आपने रूल कोट किया 119 In Rule 119, it is mentioned-

"In case of doubt as to the interpretation of the rules, decision of the Speaker shall be final.

There is not doubt because it is given very clearly. When it is given very clear by that 'before the business is entered upon', then where is the doubt. Rule 119 is applicable only when there is a doubt.

श्री अध्यक्षः आपने कह लिया अब सुनिये इसमें क्या है। इसमें लिखा है–

"Motion of Confidence and No-Confidence" in the Council of Minister.

The expression 'before the commencement of the sitting' means a reasonable time before the commencement of the sittng. A notice of No-Confidence motion which is required to be given before the commencement of the sitting on the day on which the matter is proposed to be raised in the House has to be given by 10.00 hours on that day, i.e. an hour before the commencement of the sitting. Such notice, if received after 10.00 hours is valid only for the next sitting.

डॉ0 रघुबीर सिंह कादियानः स्पीकर साहब, आप इसमें टैक्नीकल चीज में न जाइए। (ाोर एवं व्यवधान)

प्रो0 सम्पत सिंहः कानून में क्यों नहीं जायेंगे। अगर आप ऐसा कहेंगे तो टैक्नीकली कानून में क्यों नहीं जायेंगे।

श्री अध्यक्षः कानून बनाने वाली जमात है इसलिए कानून की बात होनी चाहिए। लेसिस्ले ान असैम्बली है इसलिए लेसिस्ले ान बनाना चाहिए।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलने का मौका मिलना चाहिए।

चौ0 भजन लाल: स्पीकर साहब, मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये, आपको बाद में बोलने का मौका दिया जायेगा उस समय आप अपनी बात कह सकते हैं।

वाक–आउट

चौ0 भजन लाल: स्पीकर साहब, मैं इस मो ान के बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये, आपको बाद में बोलने का मौका दिया जायेगा उस समय आप अपनी बात कह सकते हैं।

चौ0 भजन लाल: स्पीकर साहब, यह बड़ी ज्यादती है। बैठकर क्या करेंगे उस समय आप बोलने नहीं देते तो हम सदन से वाक आउट करते हैं।

(At this stage, all the members of the Indian National Congress Party present in the House followed by Sh. Karan Singh Dalal, a member of the Republican Party of India, Sh. Jagjit Singh Sangwan, a member from the Nationalist congress party and S/Shri Dev Raj Dewan, Rajinder Singh Bisla, Jai Parkash Gupta, Bhim Sain Mehta, Tejvir Singh and Udai Bhan, Independent Members staged a walk out as a protest against the Hon'ble Speaker's decision not agreeing with their plea to take up the notice of no-confidence on priority.)

घोशणाएं

(क) अध्यक्ष द्वारा

(i) चेयरपर्सन्ज के नामों की सूची

Mr. Speaker: Hon'ble Members, under rule 13(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I nominate the following members to serve on the panel of Chairpersons:-

1. Shri Bhagi Ram, M.L.A.
2. Shri Puran Singh Dabra, M.L.A.
3. Shri Anil Vij, M.L.A.
4. Shri Balbir Pal Shah, M.L.A.

(ii) याचिका समिति

Mr. Speaker: Hon'ble Member, I nominate the following members to serve on the committee on Petitions under Rule 303(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly.

1. Shri Gopi Chand Gahlot, Ex-Officio Chairperson

Deputy Speaker

2. Shri Ram Bhagat, M.L.A. Member
3. Shri Puran Singh Dabra, M.L.A. Member

4. Shri Jasbir Mallour, M.L.A. Member

5. Shri Jitender Singh Malik, M.L.A. Member

(iii) सदस्यों की निरर्हता

Mr. Speaker: Hon'ble Members in pursuance of Rule 8(2) of the Haryana Legislative Assembly (Disqualification of Members on Ground of Defection) Rules, 1986, I have to report that Sarvshri Daryab Singh and Moola Ram, MLAs have become subject to disqualification from the membership of the Haryana Vidhan Sabha w.e.f. 5.11.2004 under the 10th Schedule to the Constitution of India, on the petition filed by Sh. Nafe Singh Rathi, M.L.A.

(iv) हरियाणा के राज्यपाल से संदे ा बारे

(a)

Mr. Speaker: I read out the following message dated 26th November, 2004 from the Govenor of Haryana, returning the Haryana Municipal (Amendment) Bill, 2004.

"I, A.R. Kidwai, Governor of Haryana having considered the Haryana Municipal (Amendment) Bill, 2004 which was submitted for my assent under the provisions of Article 200 of the constitution of India, do hereby direct in pursuance of the proviso to Article 200 of the Constitution that the Bill be returned to the Legislative Assembly of the State of Haryana together with a message to reconsider it keeping in view of the following facts:-

"1. The Bill does not seem to have considered the effect of the proposed amendment under which the newly elected members of the Municipalities, though having been declared elected, would be preventd from holding office for an unusually long period i.e. till the publication of their names in the official gazette; thus creating a possible scenario where two individuals could be treated as elected representatives, leading to an unprecedented and anomalous situation which would have to the de facto result of curtailing the term of the earlier elected representative.

2. The Bill also does not seem to have considered a period of 45 days in normally required for conducting Municipal elections. In 1994 and 2000, the State Election Commission took 49 and 41 days respectively to complete the process of Municipal elections. In the case Punjab Panchayati Union Versus State of Punjab and others (reported as AIR 2002 Punjab & Haryana. Page 356), the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana has held as follow:-

"on a combined reading of provisons in Section 29, 29-A and 209 alongwith part IX of the consititution, it appears that the State Government can initiate process of elections period to the date on which the term of existing Panchayats is due to expire. How much priod? It would depend upon the situation at a particular point of time. Thus, no hard and fast rule can be laid down. Normally, the period shall only be such as may, of necessity, be needed by the authority to completed the process of election....."

The above mentioned facts make it evident that as per the existing provisions of the Haryana Municipal Act,

1973, the process of election can be satisfactorily conducted without introducing the proposed amendment".

(b)

Mr. Speaker: I read out the following message dated 26th November, 2004 from the Govenor of Haryana, returning the Haryana Municipal (Amendment) Bill, 2004.

"I, A.R. Kidwai, Governor of Haryana having considered the Haryana Municipal (Amendment) Bill, 2004 which was submitted for my assent under the provisions of Article 200 of the constitution of India, do hereby direct in pursuance of the proviso to Article 200 of the Constitution that the Bill be returned to the Legislative Assembly of the State of Haryana together with a message to reconsider it keeping in view of the following facts:-

"1. The Bill does not seem to have considered the effect of the proposed amendment under which the newly elected members of the Municipalities, though having been declared elected, would be preventd from holding office for an unusually long period i.e. till the publication of their names in the official gazette; thus creating a possible scenario where two individuals could be treated as elected representatives, leading to an unprecedented and anomalous situation which would have to the de facto result of curtailing the term of the earlier elected representative.

2. The Bill also does not seem to have considered a period of 45 days in normally required for conducting Municipal elections. In 1994 and 2000, the State Election Commission took 49 and 41 days respectively to complete the

process of Municipal elections. In the case Punjab Panchayati Union Versus State of Punjab and others (reported as AIR 2002 Punjab & Haryana. Page 356), the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana has held as follow:-

"on a combined reading of provisons in Section 29, 29-A and 209 alongwith part IX of the consititution, it appears that the State Government can initiate process of elections period to the date on which the term of existing Panchayats is due to expire. How much priod? It would depend upon the situation at a particular point of time. Thus, no hard and fast rule can be laid down. Normally, the period shall only be such as may, of necessity, be needed by the authority to completed the process of election....."

The above mentioned facts make it evident that as per the existing provisions of the Haryana Municipal Act, 1973, the process of election can be satisfactorily conducted without introducing the proposed amendment".

Mr. Speaker: I read out the following message dated 26th November, 2004 from the Govenor of Haryana, returning the Haryana Municipal (Amendment) Bill, 2004.

"I, A.R. Kidwai, Governor of Haryana having considered the Haryana Municipal (Amendment) Bill, 2004 which was submitted for my assent under the provisions of Article 200 of the constitution of India, do hereby direct in pursuance of the proviso to Article 200 of the Constitution that the Bill be returned to the Legislative Assembly of the State of Haryana together with a message to reconsider it keeping in view of the following facts:-

"1. The Bill does not seem to have considered the effect of the proposed amendment under which the newly elected members of the Municipalities, though having been declared elected, would be preventd from holding office for an unusually long period i.e. till the publication of their names in the official gazette; thus creating a possible scenario where two individuals could be treated as elected representatives, leading to an unprecedented and anomalous situation which would have to the de facto result of curtailing the term of the earlier elected representative.

2. The Bill also does not seem to have considered a period of 28 days in normally required for conducting Municipal elections. In 1994 and 2000, the State Election Commission took 21 and 23 days respectively to complete the process of Municipal elections. In the case Punjab Panchayati Union Versus State of Punjab and others (reported as AIR 2002 Punjab & Haryana. Page 356), the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana has held as follow:-

"on a combined reading of provisons in Section 29, 29-A and 209 alongwith part IX of the consititution, it appears that the State Government can initiate process of elections period to the date on which the term of existing Panchayats is due to expire. How much priod? It would depend upon the situation at a particular point of time. Thus, no hard and fast rule can be laid down. Normally, the period shall only be such as may, of necessity, be needed by the authority to completed the process of election....."

The above mentioned facts make it evident that as per the existing provisions of the Haryana Municipal Act,

1973, the process of election can be satisfactorily conducted without introducing the proposed amendment".

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत जरूरी बात कहनी है। अभी अपने जो महामहिम राज्यपाल महोदय का सन्दे ा पढ़ा है (ाोर एवं व्यवधान) राज्यपाल महोदय ने इस बारे में पूरा एतराज किया है इसलिए अब बिल को दोबारा हाउस में लाने की आव यकता नहीं है। (ाोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: NO discussion at this stage.

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्षः भजन लाल जी, प्लीज आप बैठें। यह कोई तरीका नहीं है। अभी डिस्क ान का समय नहीं है। भजन लाल जी मेरी इजाजत के बगैर बोल रहे हैं इसलिए इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाये। (ाोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्षः भजन लाल जी जब बोलने का समय आयेगा तब आपको बोलने का समय दिया जायेगा। अब आप बैठें क्योंकि अब आपकी कोई बात रिकार्ड नहीं हो रही है।

वित्त मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह): अध्यक्ष महोदय, यह क्या तरीका है? ये किस बात पर बोलना चाह रहे हैं? अभी बिल कहां आया है? अभी तो आप एनाउंसमैंट कर रहे हैं।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्षः भजन लाल जी, आप बैठें। आपकी बात रिकार्ड नहीं हो रही है। यह तो केवल एनाउंसमैंट थी। मैंने तीनों पैरे पढ़े हैं जिनमें गवर्नर का मैसेज है। (ाोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्षः भजन लाल जी, आप बहुत सीनियर मैम्बर हैं और मुख्यमंत्री भी रहे हैं। प्लीज, आप बैठें। आपकी कोई बात रिकार्ड नहीं हो रही है। गवर्नर साहब ने लिखा है कि रि–कंसीडर करो। प्लीज, आप बैठें आपकी कोई बात रिकार्ड नहीं की जा रही है।

Mr. Speaker: Now, the Secretary will make announcement.

सचिवः मान्यवर, मैं उन विधेयकों को द ार्ाने वाला विवरण, जो हरियाणा विधान सभा ने अपने सितम्बर, 2004 में हुए सत्र में पारित किए थे तथा जिन पर राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है, सादर सदन की मेज पर रखता हूंः–

September Session, 2004

1. The Punjab Surgarcane (Regulation of Purchase and Supply) Haryana Amendment Bill 2004.

2. The Punjab Shop and Commercial Establishments (Haryana Amendment) Bill, 2004.

3. The Haryana Urban Development Authority (Second Amendment) Bill, 2004.

4. The Haryana Relief of Agricultural Indebtedness (Amendment) Bill, 2004.

बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now I report the time table of various business fixed by the Business Advisory Committee.

"The Committee met at 11.30 A.M. on Wednesday, the 1st December, 2004 in the Chamber of the Honble Speaker.

The Committee recommends that unless the Speaker otherwise directrs, the Assembly whilst in Session, shall meet on Wednesday, the 1st December, 2004 at 2.00 P.M. and adjourn at 6.30 P.M. without question being put. On Thurday, the 2nd December, 2004, the Assembly shall meet at 9.30 A.M. and adjourn after the conclusion of the Business entered in the List of Business for the day.

The Committee, after some discussion, further recommends that the Business on the 1st and 2nd December, 2004 be transacted by the Sabha as follows:-

Wednesday, the 1st December, 2004 (2.00P.M.)	1. Obituary References. 2. Question Hour. 3. Presentation and adoption of First Report of the Business

[Mr. Speaker]	Advisory Committee. 4. Papers to be laid/re-laid on the Table of the House. 5. Presentation of four Preliminary Reports of the Committee of Privileges and extension of time for the presentation of final reports thereon. 6. (i) Presentation of Supplementary Estimates for the year 2004-2005 (First Instalment) and the report of the Estimates Committee thereon. (ii) Discussion and Voting on Supplementary Estimates for the year 2004-2005 (First Instalment). 7. Legislative Business.
Thursday, the 2nd December, 2004 (9.30 A.M.)	1. Question Hour. 2. Motion under Rule-121 for suspension of Rule-30. 3. Motion under Rule-15 regarding Non-stop sitting.

	4. Motion under Rule-16 regarding adjournment of the Sabha *sine-die.* 5. Papers to be laid, if any. 6. The Haryana Appropriation Bill, 2004 in respect of Supplementary Estimates for the year 2004-2005 (First Instalment). 7. Legislative Business, if any. 8. Any other Business.”

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the motion that this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to move-

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker: Motion moved-

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

चौधरी भजन लाल (आदमपुर): स्पीकर साहब, आपने यह मो ान मूव कर दिया है जबकि हमने सरकार के खिलाफ अवि वास का प्रस्ताव दिया है। सरकार बहुत से बिल ला रही है, उन पर सभी मैम्बरों ने बोलना है। दो दिन का हाउस का समय काफी कम है। मेरा अनुरोध है कि इसे और बढ़ाया जाये।

श्री अध्यक्ष: बिजनैस एडवीजरी कमेटी की मीटिंग 11.30 बजे थी जबकि आप लोगों ने नो कांफीडेंस मो ान बाद में दिया था। इस मीटिंग में कैप्टन साहब भी थे उस वक्त नो कांफीडें ा मो ान का कैप्टन साहब ने कोई जिक्र नहीं किया था। उस वक्त सारा बिजनैस यूनानीमसली पास हुआ था।

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, लेकिन अब तो हमारी तरफ से नो कांफीडें ा मो ान आ गया है। अब हमारी बात को ध्यान में रखते हुए हाउस की सीटिंग और बढ़ाई जाये।

श्री अध्यक्ष: मैंने बताया है कि आपका वह मो ान अन्डर कंसीड्रे ान है।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, जब से सरकार बनी है तब से लेकर आज तक ये बता दें कि इन्होंने कभी भी नॉन आफि ायल डे को आफि ायल डे में कन्वर्ट न किया हो। इन्होंने कभी भी नॉन आफि ायल डे को नॉन आफि ायल डे नहीं रहने दिया।

श्री अध्यक्षः आप बताएं कि क्या आपने कभी कोई नॉन आफिशियन रेज्योल्यूशन दिया है? अब आप दोनों बाप बेटा मिल कर कोई रैज्योल्यूशन दे दें तो उसको कंसीडर कर लिया जायेगा।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे पुनः अनुरोध है कि इस पर आप पुनर्विचार करें।

प्रो० सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, बी०ए०सी० की मीटिंग के अन्दर सैशन के लिए जो दो दिन का समय निर्धारित किया गया है वह यूनानिमसली पास हुआ है। वहां तक चौधरी साहब ने नॉन ऑफिशियल डे की बात कही है, स्पीकर साहब, मैं यह कहता हूं कि चार–पांच साल के अन्दर आपने नॉन ऑफिशियल डे को ऑफिशियल डे में कन्वर्ट किया है। स्पीकर साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है यह रिकार्ड की बात है और एक शब्द आप और जोड़ लीजिए यह फाईल की बात है। दोनों ही बात मानी जाएं यह रिकार्ड और फाईल की बात है। स्पीकर साहब, नॉन ऑफिशियल डे ओपोजीशन के मैम्बर्ज के हाथ में एक बहुत बड़ा टूल होता है बहुत बड़ा हथियार होता है जिसको वह सरकार के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए उन्हें नोटिस दे कर नॉन ऑफिशियल बिल लाने चाहिएं ताकि नॉन ऑफिशियल बिजनैस पर डिस्कशन हो सके। अपने आप में इनकी यह कमजोरी साबित होती है क्योंकि ऐसा कोई बिजनैस विचाराधीन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जब आपके पास कोई नॉन ऑफिशियल

बिजनैस ही नहीं है तो नॉन ऑफि ायल डे में क्या काम करेंगे? नॉन ऑफि ायल बिजनैस तो तभी होगा जब ओपोजी ान के मैम्बर्ज इसके लिए कुछ बिल देंगे (विध्न) सरकार की तरफ से जो बिजनैस दिया गया है उसके लिए दो दिन मोर दैन सफि ायेंट हैं। अपोजी ान की तरफ से कोई बिजनैस आया नहीं जिसको नॉन ऑफि ायल डे में डिस्कस करें। सरकार की ऐसी कोई मन ाा नहीं है कि नॉन ऑफि ायल डे को ऑफि ायल डे में कन्वर्ट किया जाए। सरकार सै ान के लिए टाईम बढ़ाना चाहती है ताकि ज्यादा से ज्यादा मैम्बर्ज अपने सुझाव दे सकें। अध्यक्ष महोदय, इस टर्म का यह भी रिकार्ड है कि एक साल के अन्दर फोर्थ टाईम सै ान बुलाया गया है। हरियाणा की असैम्बली में अपने आप में यह एक रिकार्ड है कि फोर्थ टाईम असैम्बली का सै ान हो रहा है। पहले मु िकल से छः महीने में केवल औपचारिक पूर्ण करने के लिए सै ान बुलाया जाता था क्योंकि विद इन सिक्स मन्थ्स आपको हाउस की मीटिंग बुलानी पड़ती है। यहां पर औपचारिक नहीं है हम यहां पर अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं, बाकायदा डैमोक्रेटिक काम कर रहे हैं। चार सै ान इस साल हो गए हैं और दो दिन के लिए सारी पार्टियों ने मिल कर इस बिजनैस को पास किया है। हो सकता है कैप्टन साहब ने चौधरी साहब ने चौधरी भजन लाल जी को मैसेज कन्वे न किया जो कि यूनानिमसली यह बिजनैस निर्धारित किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह रिक्वैस्ट करूंगा कि आप बिजनैस की कार्यवाही आगे बढ़ाएं ताकि हाउस की कार्यवाही आगे चल सके।

डॉ0 रघुबीर सिंह कादियानः स्पीकर सर, ...

श्री अध्यक्षः कादियान साहब, आप अपनी सीट पर बैठें। आप चेयर की परमि ान के बिना बोल रहे हैं इसलिए आपकी कोई भी बात रिकार्ड नहीं हो रही है। (विध्न) आप अपनी सीट पर बैठें। (विध्न)

Mr. Speaker: Question is-

That this House agrees with the recommendations contained in teh FIrst Report of the Business Advisory Committee.

The motion was carried.

सदन की मेज पर रखे गए/पुनः रखे गए कागज–पत्र

Mr. Speaker: Now, a Minister will lay/re-lay papers on the table of the House.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to re-lay on the Table of the House:-

The Excise & Taxation Department Notification No. S.O. 21/H.A.20/1973/S. 64/2003, dated the 7th February, 2003, regarding the Haryana General Sales Tax (First Amendment) Rules, 2003, as required under section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Excise & Taxation Department Notification No. S.O. 32/H.A.20/1973/S. 64/2003, dated the 11th March, 2003, regarding the Haryana General Sales Tax (First

Amendment) Rules, 2003, as required under section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Excise & Taxation Department Notification No. S.O. 36/H.A.20/1973/S. 64/2003, dated the 26th March, 2003, regarding the Haryana General Sales Tax (First Amendment) Rules, 2003, as required under section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Excise & Taxation Department Notification No. S.O. 132/H.A.13/2000/S. 26/2003, dated the 31st October, 2003, regarding the Haryana Local Area Development Tax (Amendment) Rules, 2003, as required under section 27 of the Haryana Local Area Development Tax Act, 2000.

The Excise & Taxation Department Notification No. S.O. 135/H.A.13/2000/S. 11/2003, dated the 13th November, 2003, regarding amendment in the Haryana Govt. Excise and Taxation Department Notification No. S.O. 11/H.A. 13/2000/S. 11/2003, dated 27th January, 2003, as required under section 27 of the Haryana Local Area Development Tax Act, 2000.

The Excise & Taxation Department Notification No. S.O. 135/H.A.13/2000/S. 11/2004, dated the 22nd January, 2004, regarding exemption/reduction of Tax with effect from 22nd January, 2004 payable under the Haryana Local Area Development Tax Act, 2000 in exercise of the powers conferred by section 11(1) of the Act ibid and all other enabling powers and in supersession of all previous notifications issued in this behalf, as required under section 27 of the Haryana Local Area Development Tax Act, 2000.

The Excise & Taxation Department Notification No. S.O. 11/H.A.13/S. 11/2004, dated the 22nd January, 2004, regarding amendment in the Haryana Govt. Excise and Taxation Department Notification No. S.O. 118/H.A. 13/2000/S. 11/2000, dated 29th September, 2000, as required under section 27 of the Haryana Local Area Development Tax Act, 2000.

The Excise & Taxation Department Notification No. S.O. 11/H.A.13/2000/S. 3/2004, dated the 22nd January, 2004, regarding specification of rates of tax on entry of goods into local area except those specified in schedule-A appended to the Haryana Local Area Development Tax Act, 2000 in exercise of the powers conferred by section 3(1) of the Act ibid and all other enabling powers in this behalf and in supersession of Haryana Government Excise and Taxation Department Notification No. S.O. 9/H.A. 13/2000/S.3/2003, dated 27th January, 2003, as required under section 27 of the Haryana Local Area Development Tax Act, 2000.

The Parliamentary Affairs Department Notification No. S.O. 45/H.A. 9/1979/S. 8/2004, dated the 29th April, 2004, regarding the Haryana Legislative Assembly (Facilities of Members) (Second Amendment) Rules, 2004, as required under section 8(3) of the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Act, 1979.

The Education Department Notification No. S.O. 22/H.A. 12/1999/S. 24/2004, dated the 20th February, 2004, as regarding the Haryana School Education (Second Amendment) Rules, 2004, as required under section 24(3) of the Haryana School Education Act, 1995.

The Education Department Notification No. S.O. 22/H.A. 12/1999/S. 24/2004, dated the 11th March, 2004, as regarding the Haryana School Education (Second Amendment) Rules, 2004, as required under section 24(3) of the Haryana School Education Act, 1995.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to lay on the Table of the House-

The Parliamentary Affairs Department Notification No. S.O. 153/H.A. 9/1979/Ss. 3 and 8/2004, dated the 1st October, 2004, regarding the Haryana Legislative Assembly (Facilities of Members) Third Amendment Rules, 2004, as required under section 8(3) of the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Act, 1979.

The Excise & Taxation Department Notification No. S.O. 213/H.A. 6/2003/S. 60/2004, dated 26th October, 2004, regarding the Haryana Value Added Tax (Second Amendment) Rules, 2004, as required under section 60(4) of the Haryana Value Added Tax Act, 2003.

The Excise & Taxation Department Notification No. S.O. 242/H.A. 6/2003/S. 60/2004, dated 27th October, 2004, regarding the Haryana Value Added Tax (Third Amendment) Rules, 2004, as required under section 60(4) of the Haryana Value Added Tax Act, 2003.

The Finance Accounts of the Government of Haryana for the year 2003-2004 in pursuance of the provisions of Clause(2) of Article 151 of the Constitution of India.

The Appropriation Accounts of the Government of Haryana for the year 2003-2004 in pursuance of the provisions of Clause(2) of Article 151 of the Constitution of India.

वि ोशाधिकार मामलों के संबंध में वि ोशाधिकार समिति के प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना।

(i) श्री जय प्रका ा बरवाला भूतपूर्व एम0एल0ए0 (अब सांसद) के विरूद्ध

Mr. Speaker: Now, Shri Bhagwan Sahai Rawat, MLA, Chairperson, Committee of Privileges, will present the Eighth Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Sh. Puran Singh Dabra, M.L.A. and Sh. Padam Singh Dahiya M.L.A. against Sh. Jai Parkash Barwala, Ex-M.L.A. (Now M.P.) regarding taking of Mock Chair in the Well of the House and showing himself as Speaker of the Assembly, defying the orders of the chair and challenging and protesting against the ruling of the Chair constantly thus committing the contempt of the House/Breach of privilege etc. by Shri Jai Paraksh Barwala, Ex-M.L.A. (Now M.P.) on 5th March, 2002 and will also move that the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next Session.

Shri Bhagwan Sahai Rawat (Chairperson, Committee of Privilege): Sir, I beg to present the Eighth Preliminary Report of the Committee of Privileges on the

matter in regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Sh. Puran Singh Dabra, M.L.A. and Sh. Padam Singh Dahiya M.L.A. against Sh. Jai Parkash Barwala, Ex-M.L.A. (Now P.M.) regarding taking of Mock Chair in the Well of the House and showing himself as Speaker of the Assembly, defying the orders of the Chair and challenging and protesting against the ruling of the Chair constantly thus committing the contempt of the House/Breach of privilege etc. by Shri Jai Parkash Barwala, Ex-M.L.A. (Now P.M.) on 5th March, 2002.

Sir, I also beg to move-

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker: Question is-

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next Session.

The motion was carried.

(i) **श्री कर्ण सिंह दलालए एम0एल0ए0 के विरूद्ध**

16.00 बजे

Mr. Speaker: Now, Shri Bhagwan Sahai Rawat, MLA, Chairperson, Committee of Privileges, will present the Eighth Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Sh. Rajinder Singh Bisla, M.L.A. and Sh. Ram Kuwar Saini, M.L.A. agaisnt Sh. Karan Singh Dalal, M.L.A. for obstructing and making uncalled for remarks against His Excellency, the Governor on 4th March, 2002 and helping greatly Shri Jai Parkash Barwala, Ex-M.L.A. (Now M.P.) in taking Mock Chair in the Well of the House at the time when the Sabha was in Session on 5th March, 2002, thereby committing the contempt of the House/Breach of privilege etc. by Shri Karan Singh Dalal, M.L.A. on 5th March, 2002 and will also move that the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next Session.

Shri Bhagwan Sahai Rawat (Chairperson, Committee of Privileges): Sir, I beg to present the Eighth Priliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Sh. Rajinder Singh Bisla, M.L.A. and Sh. Ram Kuwar Saini, M.L.A. against Sh. Karan Singh Dalal, M.L.A. for obstructing and making uncalled for remarks against His Excellency, the Governor on 4th March, 2002 and helping greatly Shri Jai Parkash Barwala, Ex-M.L.A. (Now M.P.) in taking Mock Chair in the well of the House at the time when the Sabha was in Session on 5th March, 2002, thereby committing the contempt of the House/Breach of privilege etc. by Shri Karan Singh Dalal, M.L.A. on 5th March, 2002.

Sir, I also beg to move-

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker: Question is-

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next Session.

The Motion was carried.

(iii) कैप्टन अजय सिंह यादव, श्री धर्मबीर सिंह तथा श्री जगजीत सिंह सांगवान एम0एल0ए0 के विरूद्ध

Mr. Speaker: Now, Shri Bhagwan Sahai Rawat, MLA, Chairperson, Committee of Privileges, will present the Eighth Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Bhagi Ram, M.L.A. and Shri Pawan Kumar, M.L.A. for coming to/remaining in the well of the House in utter defiance of the Chair and continuously arguing with the Speaker, trying to manhandle with the Watch and Ward Staff and throwing a book towards the Chair by Capt. Ajay Singh Yadav, M.L.A., breaking a light box while

rushing to well of the House, causing damage to the Government property by Shri Dharambir Singh, M.L.A. and using unparliamentary words and uncalled for remarks etc. in the House by Shri Jagjit Singh Sangwan, M.L.A. and thereby committing the contempt of the House/Breach of privilege etc. by Capt. Ajay Singh Yadav, MLA, Shri Dharambir Singh, MLA, and Shri Jagjit Singh Sangwan, MLA on 5th March, 2002 and will also move that the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next session.

Shr. Bhagwan Sahai Rawat (Chairperson, Committee of Privileges): Sir, I beg to present the Eighth Preliminary Report of the Committee of Privileges on House, tearing the book of Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, leading to grave misconduct and grave disorder, breaking a light box in the House thereby committing contempt of the House/Breach of privilege etc. by Dr. Raghubir Singh Kadian, MLA, on 5th March, 2002.

Sir, I beg to move-

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker: Question is-

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next Session.

The Motion was carried.

वर्श 2004–2005 के लिए अनुपूरक अनुमान (पहली किस्त) प्रस्तुत करना

Mr. Speaker: Now the Finance Minister will present the Supplementary Estimates 2004-2005 (First Instalment).

Finance Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to present the Supplementary Estimates 2004-2005 (First Instalment).

एस्टिमेटस कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत करना

Mr. Speaker: Now, Shri Malik Chand Ganbhir, Chairperson, Committee on Estimates will present the Report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimates 2004-2005 (First Instalment).

Shri Malik Chand Gambhir (Chairperson, Committee on Estimates): Sir, I beg to present the Report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimates 2004-2005 (First Instalment)

वर्श 2004–2005 के लिए अनुपूरक अनुमान (पहली किस्त) की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now the discussion and voting on the Supplementary Estimates 2004-2005 (First Instalment) will take place.

As per past practice and in order to save the time of the House, demands on the order paper will be deemed to have been read and moved. Hon'ble Members can discuss any demand. They are requested to indicate the demand number on which they wish to raise discussion.

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 70,39,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2005 in respect of **Demand No. 1 Vidhan Sabha**.

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 62,60,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2005 in respect of **Demand No. 2 General Administration**.

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 53,69,92,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2005 in respect of **Demand No. 3 Home**.

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 5,20,49,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2005 in respect of **Demand No. 5 Excise & Taxation**.

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 1,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2005 in respect of **Demand No. 6 Finance**.

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 1,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2005 in respect of **Demand No. 9-Education**.

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 4,19,04,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2005 in respect of **Demand No. 10-Medical & Public Health**.

That a Supplementary sum not exceeding **Rs.7,89,49,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2005 in respect of **Demand No. 11-Urban Development**.

That a Supplementary sum not exceeding **Rs.48,26,16,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2005 in respect of **Demand No. 12-Labour & Employement**.

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 55,61,49,000/-** for revenue expenditure and **Rs. 20,00,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray

charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2005 in respect of **Demand No. 13-Social Welfare & Rehabilitation.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 2,14,34,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2005 in respect of **Demand No. 14-Food & Supplies**.

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 70,21,00,000/-** for revenue expenditure and **Rs. 96,66,00,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2005 in respect of **Demand No. 15-Irrigation.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 18,75,57,000/-** for revenue expenditure and **Rs. 1,68,00,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2005 in respect of **Demand No. 16-Industries.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 16,69,55,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2005 in respect of **Demand No. 17-Agriculture**.

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 54,14,39,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of

payment for the year ending 31st March, 2005 in respect of **Demand No. 21-Community Development**.

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 28,00,25,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2005 in respect of **Demand No. 23-Transport**.

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 1,50,00,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2005 in respect of **Demand No. 24-Tourism**.

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 11,84,00,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2005 in respect of **Demand No. 25-Loans and Advances by State Government**.

(No member rose to speak)

Mr. Speaker: Now, the demands will be put to the vote of the House.

Mr. Speaker: Question is-

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 70,39,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2005 in respect of **Demand No. 1 Vidhan Sabha**.

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 62,60,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2005 in respect of **Demand No. 2 General Administration**.

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 53,69,92,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2005 in respect of **Demand No. 3 Home**.

The motion was carried.

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 5,20,49,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2005 in respect of **Demand No. 5 Excise & Taxation**.

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 1,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2005 in respect of **Demand No. 6 Finance**.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 1,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the

year ending 31st March, 2005 in respect of **Demand No. 9-Education**.

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 4,19,04,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2005 in respect of **Demand No. 10-Medical & Public Health**.

That a Supplementary sum not exceeding **Rs.7,89,49,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2005 in respect of **Demand No. 11-Urban Development**.

That a Supplementary sum not exceeding **Rs.48,26,16,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2005 in respect of **Demand No. 12-Labour & Employement**.

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 55,61,49,000/-** for revenue expenditure and **Rs. 20,00,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2005 in respect of **Demand No. 13-Social Welfare & Rehabilitation.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 2,14,34,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2005 in respect of **Demand No. 14-Food & Supplies**.

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 70,21,00,000/-** for revenue expenditure and **Rs. 96,66,00,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2005 in respect of **Demand No. 15-Irrigation.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 18,75,57,000/-** for revenue expenditure and **Rs. 1,68,00,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2005 in respect of **Demand No. 16-Industries.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 16,69,55,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2005 in respect of **Demand No. 17-Agriculture**.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 54,14,39,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2005 in respect of **Demand No. 21-Community Development**.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 28,00,25,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2005 in respect of **Demand No. 23-Transport**.

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 1,50,00,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2005 in respect of **Demand No. 24-Tourism**.

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 11,84,00,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2005 in respect of **Demand No. 25-Loans and Advances by State Government**.

The motion was carried.

विधान कार्य–

1. दि हरियाणा म्यूनिसिपल (अमैंडमैंट) बिल, 2004 (पुनर्विचार के लिए राज्यपाल से वापस यथा प्राप्त)

Mr. Speaker: Now, a Minister will move that the Haryana Municipal (Amendment) Bill, 2004 as passed by the Haryana Vidhan Sabha on 29th September, 2004 be reconsidered in the light of the observation contained in the message dated the 26th November, 2004 from the Governor of Haryana with a view to reconsider it keeping in view the following facts:-

"1. The Bill does not seem to have considered the effect of the proposed amendment under which the newly elected members of the Municipalities, though having been declared elected, would be prevented from holding office for an unusually long period i.e. till the publication of their names in the official gazette; thus creating a possible scenario where two individuals could be treated as elected representatives, leading to an unprecedented and anomalous situation which would have the de facto result of curtailing the term of the earlier elected representative.

2. The Bill also does not seem to have that a period of 45 days is normally required for conducting Municipal elections. In 1994 and 2000, the State Election Commission took 49 and 41 days respectively to complete the process of Municipal elections. In the case Punjab Panchayati Union *Versus* State of Punjab and others (reported as AIR 2002 Punjab & Haryana page 356), the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana has held as follows:-

"...on a combined reading of the provisions in Section 29, 29-A and 209 alongwith part IX of the Constitution, it appears that the State Government can initiate process of elections prior to the date on which the term of the existing Panchayats is due to expire. How much prior? It would depend upon the situation at a particular point of time. The Constitution and the Act do not prescribe any period. Thus, no hard and fast rule can be laid down. Normally, the period shall only be such as may, of necessity, be needed by the authority to complete the process of election..."

Finance Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to move-

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill, 2004 as passed by the Haryana Vidhan Sabha on 29th September, 2004 be reconsidered in the light of the observation contained in the message dated the 26th November, 2004 from the Governor of Haryana with a view to reconsider it keeping in view the following facts:-

"1. The Bill does not seem to have considered the effect of the proposed amendment under which the newly elected members of the Municipalities, though having been declared elected, would be prevented from holding office for an unusually long period i.e. till the publication of their names in the official gazette; thus creating a possible scenario where two individuals could be treated as elected representatives, leading to an unprecedented and anomalous situation which would have the de facto result of curtailing the term of the earlier elected representative.

2. The Bill also does not seem to have that a period of 45 days is normally required for conducting Municipal elections. In 1994 and 2000, the State Election Commission took 49 and 41 days respectively to complete the process of Municipal elections. In the case Punjab Panchayati Union *Versus* State of Punjab and others (reported as AIR 2002 Punjab & Haryana page 356), the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana has held as follows:-

"...on a combined reading of the provisions in Section 29, 29-A and 209 alongwith part IX of the

Constitution, it appears that the State Government can initiate process of elections prior to the date on which the term of the existing Panchayats is due to expire. How much prior? It would depend upon the situation at a particular point of time. The Constitution and the Act do not prescribe any period. Thus, no hard and fast rule can be laid down. Normally, the period shall only be such as may, of necessity, be needed by the authority to complete the process of election…"

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

चौ0 भजन लालः अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्षः चौधरी भजन लाल जी आप बैठिये, मैंने श्री कर्ण सिंह दलाल को बोलने के लिए कहा है। आप अपनी सीट पर बैठ जायें

चौ0 भजन लालः अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्षः जो चौधरी भजन लाल जी बोल रहे है। वह रिकार्ड न किया जाये।

श्री अध्यक्षः अध्यक्ष महोदय, ...

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि इनको सबक लेना चाहिए कि हरियाणा के इतिहास में भाायद ही यह

पहली बार हुआ है कि महामहिम राज्यपाल महोदय को सरकार के पारित बिल को नामंजूर करके बाकायदा उन्होंने विस्तार से संविधान की मर्यादाओं का व्याख्यान करके विधान सभा को अपना पत्र भेजा जिसे आपने पढ़कर सुनाया। यह कोई छोटी बात नहीं है। पिछली बार जब सरकार यह बिल लेकर आई तो हमने उस पर एतराज किया था। यह सरकार हरियाणा के दुःख तकलीफों के बारे में कोइ बिल लाती ताकि हरियाणा के लोगों को सुख सुविधा मिलती।

श्री अध्यक्षः जब ये बिल लाया गया आप तो उस समय थे ही नहीं।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं उस समय यहीं था और इस बिल के विरोध में बोला भी थाए आप मुझे हाउस से निकालना भी चाहते थे। लेकिन मैं निकल नहीं सका। (विध्न) अध्यक्ष महोदय, यह बहुत अहम मुद्दा है। जब यह बिल पास हुआ उस समय हरियाणा की जनता इस बात से बड़ी परे ाान थी। लेकिन अब हरियाणा की जनता ने राहत की सांस ली है और उन्होंने महामहिम राज्यपाल महोदय का धन्यवाद किया। हम गांवों में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि हम महामहिम राज्यपाल महोदय ए0आर0 किदवई का एहसान मानते हैं कि उन्होंने लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए यह बिल मंजूर नहीं किया। (ाोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा था कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने यह बिल नामंजूर करके बड़ी हिम्मत का काम

किया है और सरकार ने जो गलती की थी राज्यपाल महोदय ने उस गलती को दुरूस्त करने की कोि ा ा की है तथा लोगों ने राहत की सांस ली है। आज नगरपालिकाओं के चुनाव जो यह सरकार करवाना चाहती है तो मैं कहना चाहूंगा कि नगरपालिकाओं की हालत की सरकार को जानकारी नहीं है। आज भाहरों की हालत बहुत खराब हो गई है क्योंकि सरकार उनके कोई काम नहीं करती है।

श्री अध्यक्षः दलाल साहब, आप सब्जैक्ट पर ही बोलें, बिल में चुनावों का कोई जिक्र ही नहीं है। (विध्न)

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि राज्यपाल महोदय के पराम र्ा के बाद सरकार को यह चाहिए था कि ये दोबारा इस बिल को रिकंसीड्रे ान के लिए न लाते। क्योंकि यह सदन की गरिमा का सवाल है, हम कोई बिल पास कर दें और राज्यपाल महोदय उस बिल को वापिस कर दें।

श्री अध्यक्षः फिर सदन की गरिमा क्या रही, सदन की गरिमा तो यही है कि सदन ने जो कर दिया फिर वह ठीक किया। लैजीस्लेटिव सुप्रीम है। (विध्न) दलाल साहब, अब आप बैठें।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं मैं तो सुझाव देना चाहता हूं। मैं कन्क्लयूड करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि यह बिल जनता के हित में नहीं है

इसलिए इसको रिकंसीड्रे ान के लिए नहीं लाना चाहिए। 73वीं और 74वीं अमैंडमैंट जो कंस्टीच्यू ान में की गई है उसमें उनको औटोनॅमी दी गई है कि नगरपालिकाएं अपना कार्यकाल, अपनी वर्किंग अपने तरीके से चलाएंगी। इसमें सरकार का या विधानसभा का कोई दखल नहीं होगा। फिर भी विधान सभा इस बिल को दोबारा पारित करती है कि 120 दिन पहले चुनाव करवाएं जाएं तो यह ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष: दलाल साहब, चुनावों का इस बिल में कोई जिक्र नहीं है। (विध्न) चुनाव कराए जा सकते हैं, कराएं या न कराएं बाद की बात है।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बात कहता हूं कि आज जरूरत है तो विधान सभा चुनावों की है। विधान सभा की 8 सीटें आज के दिन खाली हैं इसलिए पहले विधान सभा के चुनाव होने चाहिए। यदि मुख्यमंत्री जी पहले विधान सभा के चुनाव करायेंगे तो हम भी उनका समर्थन करेंगे इसलिए मुख्यमंत्री जी यहां सदन में खड़े होकर कहें कि पहले विधान सभा के चुनाव होंगे तो हम भी उनका समर्थन करेंगे।

श्री अध्यक्ष: दलाल साहब, अब आप बैठें।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मुझे मेरी बात खत्म करने दें।

श्री रामबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह जानकारी चाहता हूं कि माननीय कोर्ट के आदे ाों के मुताबिक मेरे माननीय साथी श्री कर्ण सिंह दलाल हाउस की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं या नहीं ले सकते। मेरी जानकारी के मुताबिक ये उसके विधायक तो रह सकते हैं लेकिन हाउस की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकते।

श्री अध्यक्षः ये हाउस की कार्यवाही में तो भाग ले सकते हैं लेकिन अपना वोट नहीं दे सकते। (ाोर एवं व्यवधान) दलाल साहब, जब आप इस बिल पर न हां कह सकते, न ना कह सकते तो आपके बोलने का क्या फायदा। प्लीज आप बैठें। आपको बोलने का समय दिया गया था और आप अपनी बात भी कह चुके हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, ये हाउस की कार्यवाही में तो भाग ले सकते हैं।

श्री जगजीत सिंह सांगवानः अध्यक्ष महोदय, ... (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः जगजीत सिंह जी, प्लीज आप बैठें। आप भी अपना वोट नहीं डाल सकते। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्षः दलाल साहब, सरकार तो किसी से नहीं डरती। प्लीज आप बैठें आपकी कोई बात रिकार्ड नहीं की जा रही। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री भाादी लाल बतराः अध्यक्ष महोदय, जब पहले यह बिल आया था उस समय असैम्बली में यह पास किया गया था। सबसे पहले मैं संविधान की धारा 168 की तरफ आपका ध्यान आकर्शित करना चाहूंगा इसमें यह साफ लिखा हुआ है कि – For every State there shall be a Legislature which shall consist of the Governor. यह असैम्बली ने बिल पास किया और मंजूरी के लिए गवर्नर के पास भेज दिया। असैम्बली और गवर्नर दोनों ही संविधान के पार्ट एंड पा ाल हैं। गवर्नर के पास यह बिल गया। गवर्नर ने इस पर लीगल ओपीनियन ली, कंसीडर किया और कंसीडर करके जो रिमार्कस दिए वे इस प्रकार हैंः–

"The above mentioned facts make it evident that as per the existing provisions of the Haryana Municipal Act, 1973, the process of election can be satisfactorily conducted, without introducing the proposed amendment."

उनका व्यू था कि इसमें अमैंडमैंट की कोई जरूरत नहीं है जबकि सरकार इस बिल को दुबारा सदन के पटल पर ले आई ताकि इस बिल को पास किया जा सके। इसमें सरकार की क्या मं ाा है? इसमें गवर्नर साहब ने कोई आब्जैक्ट नहीं बताया। आप इसे क्यों पास कर रहे हैं और इसमें इतनी जल्दी क्यों की जा रही है? इसके लिए यह हो सकता है कि सरकार के दिमाग में यह

मं ाा आ गई कि गवर्नर साहब को नीचा कैसे दिखाया जाये। गवर्नर साहब की पावर को कैसे खत्म किया जाये और हम अपनी सुपीरियरिटी कैसे दिखाएं? अगर सरकार की यह मं ाा है तो यह प्रजातंत्र के लिए घातक है। ऐसा करके हम प्रजातंत्र की नींव खोखली कर रहे हैं और इसमें हमें गवर्नर साहब की जो ओपीनियन थी उसकी अवहेलना न करके उसको मानना उचित है क्योंकि या तो यह सरकार यह बताए कि यह बिल लाना क्यों जरूरी है। इसमें पब्लिक के इन्ट्रैस्ट क्या हैं और सरकार की मं ाा क्या है? जब तक सरकार के ये मेन औब्जैक्टस कलियर नहीं होते तो उसको दुबारा फिर पटल पर ला कर फिर वहीं बात की जाये तो अच्छा नहीं है। आज अगर सिर्फ सरकार की वोटिंग ज्यादा है तो फिर हाथ खड़े करके आप यह बिल पास करवाना चाहते हैं तो फिर यह प्रजातंत्र नहीं है। यह प्रजातंत्र पर एक प्रहार है। इसमें हरकेक की ओपीनियन लेनी चाहिए। इस बिल के बारे में सरकार को रिजन बताने चाहिए कि किन रिजंज की वजह से इस बिल को पास करवाना चाहते हैं और क्यों ये एम0सी0 के इलैक ान पहले करवाना चाहते हैं? इसमें एडवांस टाईम 45 दिन का दिया है। सरकार इतनी जल्दी क्यों कर रही है? यह सरकार अपने कार्यकाल के अन्तिम चरण में है। अन्तिम चरण के समय ऐसा कन्ट्रोवि ियल बिल पास करवाने का कोई औचित्य नहीं है। यह भी कोई ठीक बात नहीं है कि गवर्नर साहब के साथ कोई कन्ट्रोव र्ी खड़ी की जाये। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस

बिल को दुबारा सदन की पटल पर न लायें और इस बिल को पास न कराएं। धन्यवाद।

श्री अनिल विज(अम्बाला छावनी): स्पीकर साहब, अभी मेरे से पूर्व दो माननीय सदस्यों ने बोलते हुए कुछ ऐसी बातें कहीं हैं जो डैमोक्रेसी की स्प्रिट में नहीं है। किसी भी प्रजातांत्रिक सिस्टम में जो सुप्रीम बॉडी होती है वह इलैक्टिड बॉडी होती है ने कि नामिनेटिड बॉडी। ये खुद इलैक्टिड आदमी है और खुद अपने खिलाफ अपनी बात को रख रहे हैं जो गवर्नर और प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के विरूद्ध बात कही है वह ठीक नहीं है। सुप्रीम बॉडी गवर्नर साहब हैं। वे किसी भी बिल को वापस भेज सकते हैं। क्या इस हाउस को दुबारा उस बिल पर विचार करने का कोई राईट है या नहीं?

डा0 रघुबीर सिंह कादियान: स्पीकर साहब, ...

श्री अध्यक्ष: डा0 साहब आप बैठें। इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाये। डा0 साहब आप बैठ जाएं। (ोर) आई वार्न यू। मैं आपको वार्निंग देता हूं कि आप अपनी सीट पर बैठ जाएं।

श्री अनिल विज: स्पीकर साहब, मैं इन भाईओं से पूछना चाहता हूं कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं या गवर्नर साहब के प्रतिनिधि हैं। (विध्न) मैं अपनी बात कह रहा हूं। स्पीकर साहबए कान्स्टीच्यू ान ने सुप्रीम राईट लैजिस्लेटीव को दी है। Legislative is supreme. We have every right to speak (विध्न)

वित्त मंत्री (श्री सम्पत सिंह): स्पीकर साहब, ये हाउस का समय खराब कर रहे हैं। (विध्न)

डा0 रघुबीर सिंह कादियान: स्पीकर साहब, ...

श्री अध्यक्ष: कादियान साहब, मैं आपको वार्न करता हूं कि आप बैठ जाएं। आप दूसरे मैम्बरों को बोलने दें। वे अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। वे भी मैम्बर हैं। उनकी मर्जी है मैं उनको उनके बोलने के तरीके से नहीं रोक सकता।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अगर महामहिम गवर्नर महोदय को किसी बिल को वापिस करने का अधिकार है तो क्या इस सदन को उसे पास करने का अधिकार नहीं है। (विध्न) कौन सी व्यवस्था बिगड़ गई है? (विध्न एवं भाोर) डॉक्टर साहब, आप बताएं कि आपकी कौन सी व्यवस्था बिगड़ गई है? (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सभी लोग भाांति रखें और अपनी सीटों पर बैठें। (ाोर एवं व्यवधान) कैप्टन साहब, आप बपने साथियों को उनकी सीटों पर बिठाएं। (विध्न) पार्लियामैंट्री अफेयरज मिनिस्टर अपनी बात कहें। (विध्न) आप सभी लोग अपनी सीटों पर बैठें तथा भाांति एवं व्यवस्था बनाएं रखें। (विध्न) कर्ण सिंह जी आप भी अपनी सीट पर बैठें। (विध्न) कैप्टन साहब, आप भी अपनी सीट पर बैठें। (विध्न) पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर

खड़े हैं उनको बोलने दीजिए। (विध्न) विज साहब, आप भी अपनी सीट पर बैठें। (विध्न)

प्रो0 सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, मैं आपकी परमि ान ले कर बोल रहा हूं। मैंने पहले भी आपसे रिक्वैस्ट की है। एक तरफ तो ये लोग कहते हैं कि दो दिन का सै ान है समय बहुत कम है। दूसरी तरफ ये लोग हाउस का टाईम वेस्ट करते हैं। चौधरी कर्ण सिहं दलाल जी ने जो बात कही वह आपने सुनी है, सारे हाउस ने सुनी है। इसी तरह से कोई भी मैम्बर आपकी इजाजत ले कर बोल सकता है। आप जिसको इजाजत देकर बुलवाना चाहेंगे वह बोलेगा लेकिन अपने समय पर बोलेगा। अगर कोई मैम्बर बोल रहा है तो उसको बीच में टोकना ठीक नहीं है। छः छः मैम्बर्ज किसी मैम्बर को बोलते हुए टोकें यह ठीक नहीं है। इसकी कोई सेंस नहीं बनती है और इससे हाउस की प्रोसीडिंगज पर असर पड़ता है। आपसे फिर मेरी वह रिक्वेस्ट है कि कायदे से हाउस को चलाएं। मैं सभी मैम्बर्ज साहेबान से भी रिक्वैस्ट करता हूं कि सभी लोग को–ऑप्रे ान से हाउस को अच्छे तरीके से चलाएं। सभी मैम्बर्ज अपने अच्छे सुझाव दें उन सुझावों को हम सुनेंगे। सरकार उन सुझावों पर गौर कर रही है। सभी मैम्बर्ज के एक–एक सुझाव को हम नोट कर रहे हैं उनकी सभी बातों का बाकायदा हम जवाब देंगे। आराम से और तसल्ली से एक–एक मैम्बर बोले न कि छः छः मैम्बर्ज एक साथ बोलें। अध्यक्ष महोदय,

आपसे मेरी यह रिक्वैस्ट है कि एक साथ छः छः मैम्बर्ज को नहीं बोलना चाहिए, जिसको आप समय दें वहीं सदस्य बोलें।

श्री अध्यक्षः यह डिस्क ान है और यदि आपकी पार्टी का कोई मैबर बोलना चाहता है तो बोल सकता है और डिस्क ान में भाग ले सकता है। (विध्न) महामहिम गवर्नर साहब की भाान के खिलाफ एक भी भाब्द नहीं बोला गया है। ये अपने अधिकारों की चर्चा कर रहे हैं। हमारे अधिकार क्या हैं अपने अधिकारों के लिए हर कोई बोल सकता है। (विध्न)

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, इसमें गवर्नर साहब के अधिकारों का कहां पर हनन हो गया (विध्न) मैं केवल एक बात कह रहा हूं। (विध्न एवं भाोर) अध्यक्ष महोदय, ये फिर कन्फयूज हो रहे हैं और वहां पर फस क्रिऐट हो रहा है। (विध्न)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी रूलिंग चाहूंगा। क्या वहां पर गवर्नर साहब को क्रिटिसाईज कर सकते हैं। (विध्न) इन्होंने कहा है। (विध्न) यहां पर असैम्बली के अन्दर गवर्नर साहब को क्रिटिसाईज नहीं कर सकते। स्पीकर साहब, आप जानते हैं कि इनको ऐसा अधिकार नहीं है। (विध्न)

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब, आपकी बात पूरी हो गई है इसलिए अब आप अपनी सीट पर बैठें। (विध्न)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, ये गवर्नर साहब को क्रिटिसाईज नहीं कर सकते हैं इसलिए इनकी बात को हाउस की

कार्यवाही से निकाला जाए। आप मैम्बर्ज से कहें कि गवर्नर साहब के खिलाफ ऐसी भाशा का इस्तेमाल न करें।

प्रो0 सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, आप चौधरी भजन लाल जी से पूछिए कि इन्होंने ऐसी क्या बात कह दी जो गवर्नर साहब की भाान के खिलाफ है। वे यह बताएं कि ऐसा क्या कहा गया है? (विध्न)

श्री अनिल विजः स्पीकर सर, मैं अपनी बात रिपीट करना चाहता हूं। (विध्न)

श्री अध्यक्षः यह मो ान सबस्टैंटिव है और यह इससे जुड़ा हुआ है, उनके सम्मान खिलाफ कोई भाब्द नहीं कहा गया है। यह कहा गया है कि हमने इस बिल को पास करके भेजा है इसमें गवर्नर साहब के मान या भाान के खिलाफ कुछ नहीं कहा गया है। (विध्न एवं भाोर)

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रका ा चौटाला): अध्यक्ष महोदय, मेरे सम्मानित दोस्तों को यह पता नहीं है कि गवर्नर साहब ने क्या लिखकर भेजा है। चौधरी भजन लाल जी स्वयं खड़े होकर सदन में बता दें कि गवर्नर साहब ने क्या लिखकर भेजा है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने यह लिखकर भेजा है कि इस बिल की आव यकता नहीं है। जब कि रूल में यह है कि दो महीने पहले ही इलैक ान करवा सकते हैं तो ये चार महीने पहले क्यों करवाना चाहते हैं।

(ाोर) मैं जो कह रहा हूं उनका यही मतलब है। ये जो लोगों की आंख बंद करना चाहते हैं वह हो नहीं सकता है।

श्री ओम प्रका ा चौटाला: चौधरी भजन लाल जी, जो आप कह रहे हैं यह इसमें नहीं है। स्पीकर साहब, ने बहुत सोच समझ कर आपके साथ चौधरी बंसी लाल जी को बिठाया है। ये आपके कान में एक बात कह देंगे और आप झट से बोलने के लिए खड़े हो जाएंगे और आप अपनी कही हुई बात में ही फंस जाएंगे। आप जो कह रहे हैं वैसी कोई बात नहीं है। आप जो यहां बोल रहे हैं वह सब रिकार्ड हो रहा है। आप जब लोगों के बीच में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। आप बंसी लाल जी की बात में नहीं आएं।

चौधरी भजन लाल: . . . . .।

श्री अध्यक्ष: भजन लाल जी आप बैठें। आपका कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाएगा। ये जो भी बोल रहे हैं वह कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाए। अनिज विज जी आप कंटीन्यू करें।

श्री अनित विज: अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को दोबारा से स्पश्ट करना चाहता हूं कि गवर्नर साहब ने क्या लिखा है वह अलग बात है। इसके अलावा हाउस उस पर विचार करेगा या नहीं करेगा यह अलग बात है। माननीय सदस्यों ने यहां पर कह दिया कि गवर्नर साहब ने यह कह दिया, वह कह दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं तो यहां पर अपने अधिकारों की बात कर रहा

हूं। अगर गवर्नर साहब ने कुछ कह दिया तो हमें उस पर पुनः विचार करने का अधिकार है। हमारा दे ा डैमोक्रेटिक है। (ाोर)

श्री कर्ण सिंह दलालः . . . ..

श्री अध्यक्षः कर्ण सिहं जी जो भी बोल रहे हैं वह कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाए। कर्ण सिहं जी आप अपनी सीट पर बैठ जाएं।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रजातन्त्र में इलैक्टिड बॉडी सुप्रीम होती है। जनता ने हमें चुनकर यह अधिकार दिया है। हम चुने हुए सदस्य हैं और सदन में अपनी आप कहने का हमें अधिकार है। गवर्नर साहब, ने जो कहा है हम उस पर यहां विचार कर सकते हैं अध्यक्ष महोदय, यहां पर इलैक्टिड मैम्बर्ज हैं, मैं उनके बारे में बोल रहा हूं। (ाोर) फौजी मैं तो अपनी जगह पर टिका हुआ हूं संतुलन तो आप खो गए हो। (ाोर)

श्री राम कि ान फौजीः . . . . .

श्री अध्यक्षः फौजी जी, आप अपनी सीट पर बैठें। इनका कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाए।

प्रो0 सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, माननीय हाउस ने गवर्नर साहब को एक अपील भेजी और वह माननीय गवर्नर साहब के पास गई। गवर्नर साहब ने उस अपील पर सर्टेन आब्जर्वे ांज देकर रिकंसीड्रे ान के लिए भेजा है। उन्होंने इसको रिजैक्ट नहीं

किया है। आपने इसको अपनी तरफ से ही फीड–अप कर दिया और दो–तीन बातें कह दीं। माननीय गवर्नर साहब ने दो–तीन बातें प्वायंट आऊट करके उस पर विचार करने के लिए भेजा है। स्पीकर साहब, एक तो उन्होंने यह प्वायंट उठाया है कि दो कंस्टीच्यू ानली बॉडी समान रूप से खड़ी हो जाएंगी। स्पीकर साहब, यह बात हम पहले ही हाउस में डिसक ा कर चुके हैं और प्रोसीडिंग्ज में भी यह बात रिकार्ड में है। राज्यसभा के अंदर भी टाईम से पहले इलैक ान हो जाते हैं और जो आदमी डैजीग्नेट होता है वह अलग रहता है और इलैक्टिड अलग रहता है। उसकी टर्म की एक्सपायरी खत्म होने के बाद ही अलगा मैम्बर ही ओथ लेता है। हम अमरीका के राश्ट्रपति के चुनाव का जिक्र नहीं करना चाहते। स्पीकर साहब, इस तरह से जहां तक यह बात है तो इसका जवाब तो पहले से ही डिसक ान में आ गया था। गवर्नर साहब अगर इन चीजों को निगाह में रखते तो ाायद यह बात नहीं आती। अगली बात गवर्नर महोदय ने और कही, उन्होंने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के डिसीजन का जिक्र किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि–

"How much prior? It would depend upon the situation at a particular point of time. The Constitution and the Act do not prescribe any period. Thus, no hard and fast rule can be laid down."

जहां तक यह बात है तो यह आलरेडी इसमें ले डाउन की हुई है। स्पीकर साहब, आदमी तो बदलते रहते हैं लेकिन

कांस्टीच्यू ानल हैड तो रहता ही है। उस वक्त के जो भी गवर्नर महोदय थे उन्होंने बाकायदा हमारे उस एक्ट को पास किया था जिसमें 60 दिन का टाईम पीरिण्ड प्रैसक्राइब्ड किया हुआ था तो यह अपने आप में कंट्राडिक ान आ जाता है कि क्यों उस वक्त के गवर्नर महोदय ने उसको पास किया था? इस तरह से यह रैलेपैंसी इसके साथ नहीं जुड़ती क्योंकि 60 दिन आलरेडी हैं। दूसरे अब 120 दिन का जो टाईम कर रहे हैं तो 120 दिन का मतलब यह नहीं है कि आप 120 दिन पहले चुनाव करा रहे हैं। यह काम तो स्टेट इलैक ान कमी ान का है। स्पीकर साहब, यह कह रहे हैं कि सरकार ने गलती की है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने कोई गलती नहीं की है। बाकायदा कैबिनेट में पास होने के बाद हाउस से यह पास करवाया है। लेकिन यह फिर भी कहते हैं कि हाउस ने गलती की है हाउस कभी गलती नहीं करता। इनको यह कहना भाोभा नहीं देता कि हाउस ने गलती की है क्योंकि हम जिस हाउस के मैम्बर हैं और जिस हाउस में हम बैठे हैं, अगर हम ही यह कहें कि हाउस ने गलती की है तो ठीक नहीं है। हाउस ने कोई गलती नहीं की है हाउस ने तो इसको पास किया है। गवर्नर महोदय ने जो रि–कंसीड्रे ान के लिए कहा है ठीक हैं, उन सब बातों को हमने नोटिस में लिया है और ये सारी चीजें आलरेडी प्रोसीडिंग्ज में भी आ चुकी हैं। स्पीकर साहब, यह बार–बार जिक्र करते हुए कह रहे थे कि इस बिल को दोबारा से हाउस में लाने की आव यकता क्यों पड़ गयी है। भजन लाल जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसको लाने की दोबारा आव यकता इसलिए

पड़ गयी है क्योंकि 2 अप्रैल, 2000 को म्यूनिसिपल कमेटीज के चुनाव हुए थे। अब दो अप्रैल से पहले—पहले अगर इनके चुनाव करवाते हैं तो उधर तो असैम्बली का चुनाव आ जाता है और उधर पंचायत का चुनाव समान रूप से आ जाता है तो इस तरह से स्पीकर साहब, यह तो टाईम की बात है लेकिन डेट के लिए हम टाईम बांउड नहीं कर सकते। टाईम का जहां तक अधिकार है वह स्टेट इलैक ान कमी ान का है। वह कांस्टीच्यू ानल बॉडी है। बाकायदा स्टेट का इलैक ान कमी ान बना हुआ है सरकार इस बारे में कोई टाईम नहीं देती है। बतरा साहब ने कहा कि गवर्नर साहब की पावर को नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। मौजूदा सरकार गवर्नर महोदय की और उनके पद की गरिमा की इज्जत करती है, उसको बनाकर रखती है। बंसी लाल जी या भजन लाल जी की सरकारों की तरह या किसी दूसरी सरकारों की तरह नहीं कि उन्होंने इस तरह की गरिमा नहीं बनायी थी लेकिन हमने गरिमा बनायी हुई हे। स्पीकर साहब, ईवन राश्ट्रपति ने भी पार्लियामैंट द्वारा पास किए गए बिलों को रि—कंसीड्रे ान के लिए भेजा है। पार्लियामैंट या असैम्बली सुप्रीम बॉडी है। जो कुछ गवर्नर महोदय ने कहा है हमने उन प्वायंटस को दखे लिया है। देखने के बाद अब हमने फैसला लेना है कि आगे उस चीज की हम मानें या न मानें। यह हाउस की मर्जी है क्योंकि कानून बनाने का अधिकार हाउस को है। स्पीकर साहब, जब आप इसको पुट अप करेंगे तो उसके बाद इस बात का जवाब अपने आप मिल जाएगा कि क्या हाउस इस

चीज को चाहता है या नहीं चाहता है। सीधी सी बात है, सिम्पल सी बात है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, अब ये बोले हैं तो हमें भी इनकी बात का जवाब देना पड़ेगा।

प्रो0 सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैंने किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहा है। मैंने तो इनकी बातों का जवाब दिया है। (विध्न) मैंने किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहा है।

श्री अध्यक्षः भजन लाल जी, यह कहां लिखा हुआ है कि ये बोलेंगे तो आप उसका जवाब देंगे? आप जवाब देने वाले कोई नहीं हैं।

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, हमें उनकी कही हुई बातों का जवाब तो देना ही पड़ेगा। . . . .

श्री अध्यक्षः आप कि हैसियत से जवाब देंगे। आप कैसे जवाब देंगे। आपको पता नहीं है इसलिए आप बैठ जाएं। अब इनकी कोई बात रिकार्ड न करें। भजन लाल जी, आप बैठिए।

चौधरी भजन लालः नहीं बैठता। चाहें तो आप मुझे नेम कर दीजिए। हमें इनकी बातों का जवाब देना पड़ेगा। स्पीकर साहब, हम आपकी इज्जत करते हैं।

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, क्या स्पीकर के आदे ा के बाद कोई मैम्बर यह कह सकता है कि मैं नहीं बैठूंगा।

स्पीकर के आदे ा की अवहेलना करना सारे हाउस की अवहेलना करना है।

श्री अध्यक्ष: जिसके दिमाग में खराबी आ जाए वह ऐसी बात कह सकता है। (ाोर एवं व्यवधान)

प्रो0 सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, आपकी अथोरिटी को चेलैंज करना हाउस का अपमान है। (ाोर एवं व्यवधान) यह अपमान हाउस का है न कि आपका है।

श्री अध्यक्ष: चौधरी भजन लाल जी, आप संतुलन न खोओ, ये यहां–यहां नहीं और जगह भी काम आएगा। इसलिए संतुलन बनाकर के रखो। (ाोर)

Question is-

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill, 2004 as passed by the Haryana Vidhan Sabha on 29th September, 2004 be reconsidered in the light of the observation contained in the message dated the 26th November, 2004 from the Governor of Haryana with a view to reconsider it keeping in view the following facts:-

"1. The Bill does not seem to have considered the effect of the proposed amendment under which the newly elected members of the Municipalities, though having been declared elected, would be prevented from holding office for an unusually long period i.e. till the publication of their names in the official gazette; thus creating a possible scenario where two individuals could be treated as elected representatives,

leading to an unprecedented and anomalous situation which would have the de facto result of curtailing the term of the earlier elected representative.

2. The Bill also does not seem to have that a period of 45 days is normally required for conducting Municipal elections. In 1994 and 2000, the State Election Commission took 49 and 41 days respectively to complete the process of Municipal elections. In the case Punjab Panchayati Union *Versus* State of Punjab and others (reported as AIR 2002 Punjab & Haryana page 356), the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana has held as follows:-

"...on a combined reading of the provisions in Section 29, 29-A and 209 alongwith part IX of the Constitution, it appears that the State Government can initiate process of elections prior to the date on which the term of the existing Panchayats is due to expire. How much prior? It would depend upon the situation at a particular point of time. The Constitution and the Act do not prescribe any period. Thus, no hard and fast rule can be laid down. Normally, the period shall only be such as may, of necessity, be needed by the authority to complete the process of election..."

The above mentioned facts make it evident that as per the existing provisions of the Haryana Municipal Act, 1973, the process of election can be satisfactorily conducted, without introducing the proposed Amendment."

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, a Minister will move that the Bill be passed again.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to move-

That the Bill be passed again.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed again.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed again.

The motion was carried as passed earlier.

2. दि हरियाणा म्यूनिसिपल कारपोरे ान (सैकेंड अमैंडमैंट) बिल, 2004(पुनर्विचार के लिए राज्यपाल से वापस यथा प्राप्त)

Mr. Speaker: Now, as Minister will move That the Haryana Municipal (Amendment) Bill, 2004 as passed by the Haryana Vidhan Sabha on 29th September, 2004 be reconsidered in the light of the observation contained in the message dated the 26th November, 2004 from the Governor of Haryana with a view to reconsider it keeping in view the following facts:-

"1. The Bill does not seem to have considered the effect of the proposed amendment under which the newly elected members of the Municipalities, though having been declared elected, would be prevented from holding office for an

unusually long period i.e. till the publication of their names in the official gazette; thus creating a possible scenario where two individuals could be treated as elected representatives, leading to an unprecedented and anomalous situation which would have the de facto result of curtailing the term of the earlier elected representative.

2. The Bill also does not seem to have that a period of 45 days is normally required for conducting Municipal elections. In 1994 and 2000, the State Election Commission took 49 and 41 days respectively to complete the process of Municipal elections. In the case Punjab Panchayati Union *Versus* State of Punjab and others (reported as AIR 2002 Punjab & Haryana page 356), the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana has held as follows:-

"...on a combined reading of the provisions in Section 29, 29-A and 209 alongwith part IX of the Constitution, it appears that the State Government can initiate process of elections prior to the date on which the term of the existing Panchayats is due to expire. How much prior? It would depend upon the situation at a particular point of time. The Constitution and the Act do not prescribe any period. Thus, no hard and fast rule can be laid down. Normally, the period shall only be such as may, of necessity, be needed by the authority to complete the process of election..."

The above mentioned facts make it evident that as per the existing provisions of the Haryana Municipal Act, 1973, the process of election can be satisfactorily conducted, without introducing the proposed Amendment."

17.00 बजे

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill, 2004 as passed by the Haryana Vidhan Sabha on 29th September, 2004 be reconsidered in the light of the observation contained in the message dated the 26th November, 2004 from the Governor of Haryana with a view to reconsider it keeping in view the following facts:-

"1. The Bill does not seem to have considered the effect of the proposed amendment under which the newly elected members of the Municipalities, though having been declared elected, would be prevented from holding office for an unusually long period i.e. till the publication of their names in the official gazette; thus creating a possible scenario where two individuals could be treated as elected representatives, leading to an unprecedented and anomalous situation which would have the de facto result of curtailing the term of the earlier elected representative.

2. The Bill also does not seem to have that a period of 45 days is normally required for conducting Municipal elections. In 1994 and 2000, the State Election Commission took 49 and 41 days respectively to complete the process of Municipal elections. In the case Punjab Panchayati Union *Versus* State of Punjab and others (reported as AIR 2002 Punjab & Haryana page 356), the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana has held as follows:-

"...on a combined reading of the provisions in Section 29, 29-A and 209 alongwith part IX of the Constitution, it appears that the State Government can initiate process of elections prior to the date on which the term of the existing Panchayats is due to expire. How much prior? It would depend upon the situation at a particular point of time. The Constitution and the Act do not prescribe any period. Thus, no hard and fast rule can be laid down. Normally, the period shall only be such as may, of necessity, be needed by the authority to complete the process of election..."

The above mentioned facts make it evident that as per the existing provisions of the Haryana Municipal Act, 1973, the process of election can be satisfactorily conducted, without introducing the proposed Amendment."

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Municipal (Second Amendment) Bill, 2004 as passed by the Haryana Vidhan Sabha on 29th September, 2004 be reconsidered in the light of the observation contained in the message dated the 26th November, 2004 from the Governor of Haryana with a view to reconsider it keeping in view the following facts:-

"1. The Bill does not seem to have considered the effect of the proposed amendment under which the newly elected members of the Municipalities, though having been declared elected, would be prevented from holding office for an unusually long period i.e. till the publication of their names in the official gazette; thus creating a possible scenario where

two individuals could be treated as elected representatives, leading to an unprecedented and anomalous situation which would have the de facto result of curtailing the term of the earlier elected representative.

2. The Bill also does not seem to have that a period of 45 days is normally required for conducting Municipal elections. In 1994 and 2000, the State Election Commission took 49 and 41 days respectively to complete the process of Municipal elections. In the case Punjab Panchayati Union *Versus* State of Punjab and others (reported as AIR 2002 Punjab & Haryana page 356), the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana has held as follows:-

"...on a combined reading of the provisions in Section 29, 29-A and 209 alongwith part IX of the Constitution, it appears that the State Government can initiate process of elections prior to the date on which the term of the existing Panchayats is due to expire. How much prior? It would depend upon the situation at a particular point of time. The Constitution and the Act do not prescribe any period. Thus, no hard and fast rule can be laid down. Normally, the period shall only be such as may, of necessity, be needed by the authority to complete the process of election..."

The above mentioned facts make it evident that as per the existing provisions of the Haryana Municipal Act, 1973, the process of election can be satisfactorily conducted, without introducing the proposed Amendment."

The motion was lost

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause. Now, clause 2 will be taken up.

डा0 रघुबीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। जैसे इस बिल के माध्यम से चौधरी सम्पत सिंह जी ने बताया कि राज्यसभा के मैंबर के लिए पहले चुनाव होते हैं और अलग–अलग . . . . . .(ाोर एवं व्यवधान)

प्रो0 सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, डाक्टर साहब किस क्लाज पर बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्षः डाक्टर साहब, पहले आप यह बताये कि आप किस क्लाज पर बोल रहे हैं। बिल पर बोलने का समय तो जा चुका है।

डा0 रघुबीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, ...

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर सर, यह कोई तरीका नहीं है। Speaker Sir, he is casting aspersions on the Chair, ये क्लाज के बारे में तो बतायें।

श्री अध्यक्षः डाक्टर साहब, प्लीज आप बैठें। आपकी कोई बात रिकार्ड नहीं हो रही। (ाोर एवं व्यवधान) जिस समय बोलना होता है उस समय तो आप बोलते नहीं हैं। प्लीज अब आप बैठें।

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, a Minister will move that the Bill be passed again.

Mr. Speaker: Now, a Minister will move that the Bill be passed again.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to move-

That the Bill be passed again.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed again.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed again.

The motion was carried as passed earlier.

3. दि हरियाणा पंचायती राज (सैकेंड अमैंडमैंट) बिल, 2004 (पुनर्विचार के लिए राज्यपाल से वापस यथा प्राप्त)

Mr. Speaker: Now, as Minister will move that the Haryana Municipal (Amendment) Bill, 2004 as passed by the Haryana Vidhan Sabha on 29th September, 2004 be reconsidered in the light of the observation contained in the message dated the 26th November, 2004 from the Governor of Haryana with a view to reconsider it keeping in view the following facts:-

"1. The Bill does not seem to have considered the effect of the proposed amendment under which the newly elected members of the Municipalities, though having been

declared elected, would be prevented from holding office for an unusually long period i.e. till the publication of their names in the official gazette; thus creating a possible scenario where two individuals could be treated as elected representatives, leading to an unprecedented and anomalous situation which would have the de facto result of curtailing the term of the earlier elected representative.

2. The Bill also does not seem to have that a period of 45 days is normally required for conducting Municipal elections. In 1994 and 2000, the State Election Commission took 49 and 41 days respectively to complete the process of Municipal elections. In the case Punjab Panchayati Union *Versus* State of Punjab and others (reported as AIR 2002 Punjab & Haryana page 356), the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana has held as follows:-

"...on a combined reading of the provisions in Section 29, 29-A and 209 alongwith part IX of the Constitution, it appears that the State Government can initiate process of elections prior to the date on which the term of the existing Panchayats is due to expire. How much prior? It would depend upon the situation at a particular point of time. The Constitution and the Act do not prescribe any period. Thus, no hard and fast rule can be laid down. Normally, the period shall only be such as may, of necessity, be needed by the authority to complete the process of election..."

Therefore, the existing provision of Section 161(I)(i) of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 is more than

adequate to complete the process of election and to meet any exigency whatsoever.”,

Finance Minister: Sir, I beg to move-

That the Haryana Municipal (Second Amendment) Bill, 2004 as passed by the Haryana Vidhan Sabha on 29th September, 2004 be reconsidered in the light of the observation contained in the message dated the 26th November, 2004 from the Governor of Haryana with a view to reconsider it keeping in view the following facts:-

“1. The Bill does not seem to have considered the effect of the proposed amendment under which the newly elected members of the Municipalities, though having been declared elected, would be prevented from holding office for an unusually long period i.e. till the publication of their names in the official gazette; thus creating a possible scenario where two individuals could be treated as elected representatives, leading to an unprecedented and anomalous situation which would have the de facto result of curtailing the term of the earlier elected representative.

2. The Bill also does not seem to have that a period of 45 days is normally required for conducting Municipal elections. In 1994 and 2000, the State Election Commission took 49 and 41 days respectively to complete the process of Municipal elections. In the case Punjab Panchayati Union *Versus* State of Punjab and others (reported as AIR 2002 Punjab & Haryana page 356), the Hon’ble High Court of Punjab & Haryana has held as follows:-

"...on a combined reading of the provisions in Section 29, 29-A and 209 alongwith part IX of the Constitution, it appears that the State Government can initiate process of elections prior to the date on which the term of the existing Panchayats is due to expire. How much prior? It would depend upon the situation at a particular point of time. The Constitution and the Act do not prescribe any period. Thus, no hard and fast rule can be laid down. Normally, the period shall only be such as may, of necessity, be needed by the authority to complete the process of election..."

Therefore, the existing provision of Section 161(I)(i) of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 is more than adequate to complete the process of election and to meet any exigency whatsoever.",

चौधरी बंसी लाल (भिवानी): अध्यक्ष महोदय, यह बिल क्यों लाया गया है इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इस बिल को लाने के पीछे सरकार की मन ा क्या है, मोटिव क्या था इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इसमें 60 दिन का प्रोविजन दिया है और ये इसको 120 दिन कर रहे हैं। क्या 120 दिन पहले इलैक ान करवा के और बजट नोटिफिके ान अगली पंचायत की टर्म खत्म होने से एक हफ्ते पहले भी हो तो क्या इतने दिनों तक दो सरपंच इलैक्टिड रहेंगे? पंजाब एण्ड हरियाणा हाईकोर्ट ने इस चीज को अपनी जजमैंट में डिटेल्ड डिसकस किया है और यह बिल गवर्नर साहब ने रि–कंसिड्रे ान के लिए भेजा है। गवर्नर साहब को हमें लाईटली नहीं लेना चाहिए। Governor is Governor. अध्यक्ष

महोदय, एक माननीय सदस्य ने कहा कि क्या गवर्नर साहब को यह अधिकार है। सदन में अधिकारों के बारे में बताना चाहूंगा कि गवर्नर साहब को बहुत अधिकार हैं, गवर्नन साहब के अधिकारों को चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। (ाोर) गवर्नर साहब ने जो हाउस को हाईकोर्ट की जजमैंट भेजी है उसके कुछ मायने हैं। अगर आप उसको नहीं मानते हैं तो इसका मतलब है कि हम गवर्नर साहब को, हाईकोर्ट की ज्यूडि ारी को इग्नोर कर रहे हैं। क्या हम इस बिल को पास कर सकते हैं, अरग हम इस बिल को पास करेंगे। Then it will be in the contravention of the Article 243 of the Constitution of India, Constitution of India के आर्टिकल 243(e) में लिखा है कि पंचायत की टैन्योर पांच साल की होगी। इस बारे में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की रूलिंग है कि आप उस की टैन्योर पांच साल से कम नहीं कर सकते हैं तो हम इसको क्यों घटाने पर आमादा हैं। इसके पीछे जो गवर्नमैंट के इरादे हैं वे नेक इरादे नहीं हैं, इनकी मैलाफाईडी इनटैं ान है। इसमें गवर्नमैंट की मं ाा नेक नहीं है। ये नहीं चाहते हैं कि गांव बसे। यह चाहते हैं कि गांवों में झगड़े हो जाएं, अगर गांव में 10 गुट भी होंगे तो इनको वोट नहीं मिलेंगे। ये महज इसलिए कर रहे हैं कि गांव में गुट बाजी तेज हो जाए, लट्ठ चल जाएं। कोई न कोई तो भूला भटका आ जाएगा, किसी को थानेदार से कहलवाएंगे। इस बल को लाने के पीछे गवर्नमैंट के नेक इरादे नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, गवर्नमैंट की मैलाफाईड इन्टैं ान है। जब गवर्नर साहब ने इनको हाईकोर्ट की जजमैंट भेज दी है तो

उसके बाद बाकी क्या बचा है। हाईकोर्ट ने क्लीयर करके यह कहा है कि आर्टिकल 243(e) की कंट्राडिक ान है और गवर्नमैंट इसकी टैन्योर पांच साल से कम नहीं कर सकती है। आपका अपना बिल कहता है कि जो नोटिफिके ान नए बिल की होगी वह अगली पंचायत की टैन्योर के 7 दिन पहले होगी। क्या आप 120 दिन पहले इलैक ान करवाकर 113 दिन तक नोटिफिके ान नहीं करेंगे, वह रिजल्ट वैसे ही रखा रहेगा। जो नए सरपंचज चुने जाएंगे, वे पुराने सरपंच को क्यों काम करने देंगे। हाईकोर्ट ने यह भी लिखा है कि ऐसे केसिज भी होंगे कि अगर इलैक ान हो जाए तो पहले पंचायत के पास अगर ज्यादा पैसा है तो वह उस पैसे को खुर्दबुर्द करेगी। तो पहले इलैक ान करवाने से ये सब बाते होंगी। ये सब बातें हैं जिनको हाईकोर्ट ने देखा है इसलिए इस बात को ध्यान में रखकर इस सरकार को इस बिल को पास नहीं करना चाहिए गवर्नमैंट को इस बिल को बाइज्जत वापिस ले लेना चाहिये। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो हाईकोर्ट में यह पहली पे ी में ही रिजैक्ट हो जाएगा दूसरी पे ी की जरूरत ही नहीं पेड़ेगी। लेकिन यहां तो यह है कि न तो हाईकोर्ट की जरूरत है, न गवर्नर की जरूरत है और न ही असैम्बली की जरूरत है। सिर्फ एक मुख्यमंत्री की जरूरत है। यह अच्छी बात नहीं है। मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा कि इस बिल को वापिस लें।

कैप्टन अजय सिंह यादव रिवाड़ीः अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल की क्लाज 2 के बारे में कहना चाहता हूं। जिसमें

सब–सैक ान में words, “2 months” and “4 months” के सबस्टीच्यूट करने की बात है। गवर्नर साहब ने इस बारे में जो लिखा है उसमें क्लीयर लिखा है कि–

“the newly elected members of the Panchayati Raj bodies, though having been declared elected would be prevented from holding office, for an unusually long period....”

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि the moment a member is elected, he should hold the office. दूसरी बात यह है कि अगर दो मैम्बर्ज होंगे तो इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो मैम्बर चुनाव हार जाता है तो उसको मानेंगे या जो जीत जाता है उसको मानेंगे। इस तरह से अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी एक अनोमली गवर्नर साहब ने लिखी है। मैं खास तौर से यह कहना चाहता हूं गवर्नर साहब ने इस बिल पर इतना टाईम क्यों लिया है, इतना टाईम उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि उन्होंने लीगल एक्सपर्टस से डिटेल में चर्चा की। गवर्नर साहब ने सारी जानकारी लेने में ही इतना टाईम लिया है। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि जब मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि गवर्नर का पद ही समाप्त कर देना चाहिये जबकि आर्टिकल 168 के तहत यह क्लीयर लिखा हुआ है कि Governor is the part of the Legislature, दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि कांस्टीचुयू ान के आर्टिकल 243(e) में लिखा है कि–

“243e, Duration of Panchayats etc,-(1) Every Panchayat, unless sooner dissolved under any law for the time

being in force, shall continue for 5 years from the date appointed for its first meeting and no longer."

यानी जब से वह इलैक्टिड होगा तब से वह फर्स्ट मीटिंग अटैंड करेगा। इसका मतलब है कि जो मैम्बर इलैक्ट हो गया है It means, he will hold the Panchayat meeting after four months. If it so then it is totally violation of the Constitution। अध्यक्ष महोदय, दूसरे मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इसमें केवल एक पंचायत के डैजोल्यू ान के बारे में ही कह रखा है लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहा गया है कि A Government can dissolve a single Panchayat but it can not as a whole तो जो यह कहा गया है क्या यह गलत है? इसलिए उन्होंने इस बिल को वापस किया है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो स्टेट इलैक ान कमी ान है उसकी फाईनल अथोरिटी गवर्नर है। संविधान के आर्टिकल 243K(2) में लिखा हुआ है कि–

"Subject to the provisions of any law made by the legislators of a State, the conditions of service and tenure of office of the State Election Commissioner shall be such as the Governor may be rule determine."

इसका मतलब जो यह इलैक ान होते हैं उसको गवर्नर डिटरमिन करते हैं। लेकिन अगर गवर्नर ही जब गलत महसूस कर रहा है तो फिर वह इसको वापस ही करेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जब गवर्नर ने यह बात की है तो फिर ये क्यों इस बिल को दोबारा लेकर आ रहे हैं? इससे साफ हो जाता है

कि सरकार की . . . इन्टैं ान है इसलिए वह पहले चुनाव करवाकर कांस्टीच्यू ान को वायलेट कर रही है।

अध्यक्ष महोदयः यह भाब्द कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि जो गसर्नर है He is the Statutory Authority to conduct the election. अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा हरियाणा पंचायती राज ऐक्ट, 1994 की सैक ान 164 और 166 में क्लीयर लिखा है कि–

"Accordingly, it is implied that the elections to the State Assembly must precede the elections to the Gram Panchayat Panchayat Samitis and Zila Parishads or other local bodies."

हरियाणा पंचायती राज ऐक्ट में भी लिखा है कि जो असैम्बली इलैक ान है वह पहले होने चाहिएं। इसमें सैकेंडली यह भी लिखा हुआ है कि –

"the electoral rolls prepared for the purpose of State Assembly Elections can be effectively used for conducting the Panchayat Election also."

अध्यक्ष महोदय, जो इलैक्टोरल रोज है वह तीन जनवरी, 2005 को ही पूरे होंगे। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि अगर आप 120 दिन पहले चुनाव करने की बात कर रहे हैं तो इस

वक्त इसको लेकर यह धारणा बनी हुई है कि 3 जनवरी, 2005 तक तो इलैक्टरोल रोल ही तैयार होंगे इसलिए अगर आप इससे पहले इलैक ान करवाते हैं तो यह पंचायती राज ऐक्ट के भी विपरीत होगा। दूसरी बात मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कांस्टीच्यू ान ऑफ इंडिया की आर्टिकल 200 में एसेंट ऑफ बिल्ज के बारे में यह क्लीयर दिया हुआ है कि गवर्नर की पावर क्या है। इसमें लिखा है कि–

"If the Bill is passed again by the House or Houses with or without amendment and presented to the Governor for assent, the Governor shall not without assent therefrom;

Provided further that the Governor shall not assent to, but shall reserve for the consideration of the President, any Bill which in the opinion of the Governor would, if it became law so derogate from the powers of the High Court."

हाई कोर्ट ने बाकायदा इस बारे में एक डिसीजन दिया है। इसके बारे में अभी बंसीलाल जी ने भी जिक्र किया है। इसका मतलब यह है कि अगर इस बारे में हाईकोर्ट का कोई डिसीजन आ चुका है तो इलैक ान को आप प्रिपोन नहीं कर सकते। यह ठीक है कि इस बारे में जो सैंट्रल ऐक्ट है उसमें इस बारे में साईलैंट था लेकिन जब आप लोगों ने पहले ही यह 60 दिन का कर रखा था तो फिय यह 120 दिन करने की आव यकता क्यों पडी? अध्यक्ष महोदय, कांस्टीच्यु ान ऑफ इंडिया की आर्टिकल 200 के प्रोविजों में लिखा है कि–

"Any Bill which in the opinion of the Governor would, if it became law so derogate from the powers of the High Court as to endanger the position which that Court is by this Constitution designed to fill."

इसका मतलब अगर आप इसके खिलाफ जाते हैं तो यह एक तरह से कोर्ट की भी अवहेलना होगी। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा पंचायती राज ऐक्ट की सैक ान 243K में बाकायदा रखा है कि–

"Every Panchayat, unless sooner dissolved under any law for the time being in force, shall continue for five years from the date appointed for its first meeting and no longer."

अध्यक्ष महोदय, मैं खास तौर पर इसमें कहना चाहूंगा कि इसमें सरकार की मं ाा यदि यह है कि वह इसके द्वारा एग्जिट पोल करवाना चाहती है तो वह ठीक नहीं है क्योंकि इससे भाईचारा खत्म हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इससे पहले इसी सरकार ने हाईकोर्ट के अंदर एक पी0आई0एल0 डाली थी।

श्री अध्यक्ष: कैप्टन साहब, इलैक ान से क्या भाईचारा खत्म होता है?

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, आप इसको सीरियसली लीजिए।

श्री अध्यक्ष: दो महीने बाद भी तो भाईचारा खराब होगा।

कैप्टन अजय सिंह यादव: पहले इस सरकार की यह मं ाा थी कि पंचायत और निकाय चुनाव असैम्बली इलैक ान के बाद कराए जाएं तो ए0जी0 ने जानबूझकर इसे हाईड किया था कि टर्म फरवरी में ऐक्सपायर होती है। श्री रणदीप सुर्जेवाला जी ने इस बारे में हाईकोर्ट में पी0आई0एल0 डाली थी उसके जवाब में हाईकोर्ट में ए0जी0 ने यह कहा कि इलैक्टोरल रोल तैयार नहीं है इसलिए चुनाव बाद में कराए जाएं तो हाई कोर्ट ने कहां कि फरवरी में चुनाव करा लिये जाएं। बाद में इसके लिए सरकार कोई कोर्ट में फटकार भी पड़ी। लेकिन अब पार्लियामैंट के चुनाव में दस की दस सीटें हार जाने के बाद अब इनको असैम्बली का चुनाव पहले सूट नहीं कर रहा है इसलिए ये चाहते हैं कि असैम्बली चुनाव से पहले म्यूनिसिपल कमेटी और पंचायतों के चुनाव हो जाएं तो सोसायटी डिवाइड हो जाए। मैं कहना चाहूंगा कि गवर्नर महोदय ने जो कि कांस्टीच्यू ानल हैड हैं यह बिल रिटर्न किया है उसके बाद सरकार को बड़ा ही सोच समझकर काम करना चाहिए नहीं तो गवर्नर साहब के पास पावर है वे इस बिल को प्रैजिडैण्ट साहब को भेज सकते हैं इसलिए अब भी आप अगर ऐसा करेंगे तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। बाकी हमारे प्रौफेसर संपत सिंह जी बहुत पढ़े लिखे हैं, काफी विद्वान हैं, पार्लियामैंटेरियन रहे हैं अगर ऐसा बिल यदि फिर वापस जाता है

तो एक तरीके से कांस्टीच्यू ानल हैड की अवहेलना की जा रही है।

वित्त मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह): अध्यक्ष महोदय, मुझे चौधरी बंसीलाल जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। ये कानून के ज्ञाता रहे हैं काफी समय तक इस प्रदे ा के मुख्यमंत्री रहे हैं और भी काफी बड़े–बड़े ओहदों पर रहे हैं इन्होंने बोलते हुए कहा कि . . . . . (ाोर एवं व्यवधान)

डा0 रघुबीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है। (ाोर एवं व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रका ा चौटाला): अध्यक्ष महोदय, हमारी तरफ से कहीं किसी को इंट्रप्ट नहीं किया गया। चाहे चौधरी बंसीलाल जी बोले हैं, चाहे कप्तान साहब बोले हैं चाहे कोई और बोला हो। हाउस की गरिमा का वि ोश रूप से ध्यान रखना चाहिए। कोई आप पर बार–बार डायरैक्ट लांछन लगाए। बिल पास होगा यह इनको भी पता है पर इनकी मं ाा यह है कि कैसे ये जाएं, पिछली दफा भी ये चले गए थे।

डॉ0 रघुबीर सिंह कादियान: असैम्बली में मैजोरिटी का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है।

श्री ओम प्रका ा चौटाला: अध्यक्ष महोदय, आप किसी को वार्न न करो, किसी को नेम न करो और अगर कोई मैंटली

इम्बैलैंसड है तो डॉक्टर को बुलाकर उसका इलाज कराओ। (ाोर एवं व्यवधान)

डॉ0 रघुबीर सिंह कादियान (बेरी): स्पीकर सर, यह बिल पिछली बार जब सदन का अधिवे ान बुलाया गया था उस समय पास किया गया था। उस समय भी यह बात आई थी कि इस बिल को पास करते समय सरकार की मन ाा साफ नहीं है। यह बात उस समय भी आयी थी . . .

श्री अध्यक्ष: ऐसे असंवैधानिक ाब्द मत बोलिये आप बिल से संबंधित बात बोलें वरना बैठ जायें। इनके ये ाब्द रिकार्ड न किए जाएं।

डॉ0 रघुबीर सिंह कादियान: स्पीकर सर, गवर्नर साहब ने कैटेगरीकली यह कहा है कि "The above mentioned facts." पार्लियामैंटरी अफेयर्स मिनिस्टर साहब ने यह बात नहीं पढ़ी कि–

"Considered the effect of the proposed amendment under which the newly elected members of the Panchayati Raj bodies, though having been declared elected."

इसमें स्पीकर सर, सरकार की इन्टैं ान क्लीयर दिखाई दे रही है। दूसरा कि जैसा चौधरी बंसीलाल जी ने कहा कि इस बारे में माननीय उच्च न्यायालय की जजमैंट भी है उस जजमैंट के बेसिस पर ही माननीय गवर्नर महोदय ने लिखा है कि–

"The above mentioned facts make it evident that as per the existing provisions of the Panchayati Raj Act, the process of election can be satisfactorily conducted, without introducing the proposed amendment."

इसमें स्पीकर सर, सरकार की मन्ा ा क्या है पिछले पार्लियामैंट के चुनाव हुये उसमें क्या हुआ? . . . .

श्री अध्यक्षः आप बिल से संबंधित बोलें, पार्लियामैंट के चुनाव का इस बिल से कोई संबंध नहीं है। इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाये।

डॉ0 रघुबीर सिंह कादियानः स्पीकर सर, ...

श्री अध्यक्षः इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाये। आपको पता नहीं है क्योंकि 1995 में आप इस सदन के सदस्य नहीं थे उस समय चौधरी भजन लाल जी ने पंचायत के चुनाव तीन साल बाद ही कराने के लिए बिल पास कर दिया था और उसके बाद फिर पांच साल के लिए कर दिया था।

कैप्टन अजय सिंह यादवः स्पीकर साहब, उस समय यह एक्ट नहीं बना था।

श्री अध्यक्षः हमने इलैक ान की टर्म को नहीं घटाया है बल्कि समय से पहले करने के लिये किया है। टर्म थोड़े ही घट रही है।

डॉ0 रघुबीर सिंह कादियानः स्पीकर सर, पिछली बार जब यह बिल पास किया गया तब इसके बारे कोई रीजन नहीं दिए गये थे और इस बार भी कोई रीजन नहीं दिए गये हैं। एक बात पार्लियामैंटरी अफेयर्स मिनिस्टर साहब ने कहा कि राज्य सभा के इलैक ान भी पहले हुए थे। स्पीकर सर, राज्य सभा के चुनाव एक तिहाई सदस्यों के लिए होते हैं और पुराने मैम्बर भी सदस्य रहते हैं।

श्री अध्यक्षः पुराने मैम्बर्ज कहां पर सदस्य रहते हैं इलैक ान होने के बाद मैम्बर एम0पी0 कहां रहते हैं? आप बिल से संबंधित ही बोलें।

डॉ0 रघुबीर सिंह कादियानः स्पीकर सर, इस बिल में अगर ऐसा किया गया तो एक नई प्रथा पड़ जायेगी। ऐसी बात मेरे ख्याल से हरियाणा की डेमोक्रेसी में जो लोकतंत्र है उसमें . . .

श्री अध्यक्षः यह बात रिकार्ड न की जाये ऐसे भाब्द रिकार्ड न किये जायें। रघुबीर कादियान जी जो बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाये। मन्त्री और एम0एल0एज0 की सहमति ही यह बिल पास हुआ था और अब फिर पास होगा।

डॉ0 रघुबीर सिंह कादियानः स्पीकर सर, . . . यह बिल क्यों लाया जा रहा है और किस लिए सारी बात होगी। यह अलग से प्रथा पड़ जायेगी। इसमें कंस्टीच्यू ान हैड के बारे में जो

माननीय मैम्बर ने कहा है उसको हम डैरोगेटरी रिमार्क कांउट करते हैं। These are derogatory remarks.

ग्राम एवं आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कभी उधर से महामहिम राज्यपाल महोदय के बारे में बात कीह जाती है, हम तो यह मानते थे कि डाक्टर साहब रोहतक के सबसे पढ़े लिखे आदमी हैं, दूसरी तरफ इतनी . . . एम0एल0एज0 को पीटने की बात कहते हैं। एक तरफ तो ये पढ़े लिखे आदमी हैं और दूसरी तरफ ये ऐसी भाशा का प्रयोग करते हैं यह इनको भाोभा नहीं देता। (विध्न) इनको ऐसी भाशा बोलने का परमिट नहीं मिला हुआ। या तो ये पढ़े लिखे नहीं हैं और अगर पढ़े लिखे हैं तो इनको इस प्रकार से बोलने का परमिट नहीं मिला हुआ है।

डा0 रघुबीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष: कादियान साहब, जो बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए। (ाोर एवं व्यवधान) आप लिमिट में रहें, आप एक मिन्ट में वाइण्ड आप करें।

डॉ0 रघुबीर सिंह कादियान: परिसीमन की जो रिपोर्ट है उसमें रोहतक सीट को लोकसभा सीट से खत्म करने की साजि ा रची गई। यह काम जनता का ध्यान हटाने के लिये किया गया था। मैं कहना चाहूंगा कि रोहतक एक ऐतिहासिक भाहर है। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष(श्री गोपी चन्द गहलौत): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मैं बड़े अदब से आपको कहता हूं कि जिनती छूट आपने एक मैम्बर को बोलने के लिए दे है उतनी छूट आपने किसी भी मैम्बर को नहीं दी है। हर चीज की मर्यादा होती है, गरिमा होती है। एक तरफ तो ये महामहिम राज्यपाल महोदय के बारे में कहते हैं और दूसरी तरफ स्पीकर के बारे में इनका रवैया ठीक नहीं है, हर मैम्बर के बारे में बैठे बैठे कमैंट्री करते हैं। हर मैम्बर का यहां बराबर का अधिकार है। जहां तक चौधरी बंसीलाल जी ने कहा ये काफी सीनियर लीडर हैं, मैं बड़े अदब से कहता हूं ये बताएं इनके समय में पंचायतों की क्या टर्म होती थी, कभी 6 साल की टर्म होती थी और कभी 3 साल की होती थी। इस अमैंडमैंट में आज न कोई चुनाव की बात है और न ही कोई और बात। हाउस की सुपीरयरटी को कोई इन्कार नहीं कर सकता। कोई भी रैजोल्यू ान हम पास करें तो हमें उसको रिकंसीडर करने का अधिकार है। कंस्टीच्यू ान ने हमें यह अधिकार दिया है या नहीं, अगर यह अधिकार हमें दिया है तो हम उस अधिकार को खुद खोना चहाते हैं। (विध्न) कर्ण सिंह दलाल जी, मैंने आपका नाम नहीं लिया है। कुछ साथी 3 बजे से 6 बजे तक हर मैम्बर के बारे में कुछ न कुछ बोल औश्र 2 सीनियर मैम्बर्ज को आपने बोलने का पूरा टाइम दिया, उनको पूरी डिबेट का टाइम दिया गया। स्पीकर साहब, इन मित्रों ने तो केवल वाक आउट करना है, केवल वाक आउट ही नहीं, इनमें से एक दो मैम्बर तो चाहते हैं कि आप उन्हें नेम करें। मैं पूरे हाउस से एक

बार कहता हूं कि हमें हाउस के डैकोरम को रखना है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि मंत्री को रूलिंग पार्टी के एम0एल0एज0 को बोलने का कोई हक नहीं है। स्पीकर साहब, ये सारे हाउस के राइटस के अगेनस्ट बोल रहे हैं। हाउस के राइटस फर्स्ट हैं और उसके लिए कोई कुर्बानी देनी पड़ी तो मैं सबसे पहले अपने आप को आफर करता हूं। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है माननीय साथी ने मेरी तरफ इ ाारा करके कहा कि भाायद मैंने गवर्नर साहब के बारे में कोई डैरोगेटरी बात की मै। फैक्चुयल में कह रहा कि हम इलैक्टिड मैम्बर्ज होते हैं और गवर्नर साहब नोमोनेटिड मैम्बर होता है। what is wrong in ti, we are elected representatives and Governor is nominated. (ाोर एवं व्यवधान) मैं दोबारा यह बात कहता हूं we are elected representatives and Governor is nominated. इस बात को कौन इन्कार कर रहा है (ाोर एवं व्यवधान) कैप्टन साहब, यह बात आपकी समझ में नही आ सकती। हमने कब कहा He is not head, he is head but he is nominated. (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः इस सदन में गवर्नर साहब के मान सम्मान के खिलाफ एक भाब्द भी किसी माननीय सदस्य ने नहीं कही है। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय,. . . . (ाोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिहं यादवः अध्यक्ष महोदय, ये अभी गवर्नर–गवर्नर कह रहे थे। गवर्नर साहब नहीं कह रहे थे। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कृपा आप सभी बैठिये। कैप्टन साहब, माननीय सदस्य के बारे में बात कही है कि ये गवर्नर–गवर्नर कह रहे थे, गवर्नर साहब नहीं कह रहे। कैप्टन साहब, मैं आपक बताना चाहूंगा कि गवर्नर अंग्रेजी का भाब्द है और अंग्रेजी के भाब्द के आगे साहब नहीं लगाया जाता। यदि लगया जाता हो तो आप बतायें। (ाोर एवं व्यवधान) नाम के आगे साहब नहीं लगाया जाता। डाक्टर को डाक्टर कहा जाता है, डाक्टर साहब नहीं कहा जाता। इस लैटर में भी कहीं गवर्नर साहब नहीं लिखा हुआ, सिर्फ गवर्नर लिखा हुआ हे। (ाोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादवः वह एक्सीलैंसी होता है। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः इसमें भी कहीं गवर्नर साहब नहीं लिखा हुआ। (ाोर एवं व्यवधान)

प्रो0 सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, ... (ाोर एवं व्यवधान)

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, मैं छोटी सी क्लैरीफिके ान देना चाहता हूं If a Bill is passed by the Assembly only, it is not legislature. If Governor is not included then it is not a legislative. Legislature is above the Governor and the Assembly.

प्रो0 सम्पत सिंहः सर जहां तक गवर्नर साहब का सवाल है इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि गवर्नर साहब का मौजूदा सरकार पूरा सम्मान करती है और सवाल नाम का नहीं उनके पद का है। आदमी और नाम बदलते हैं, सवाल नाम का नहीं है। हम गवर्नर साहब के पद का पूरा सम्मान करते हैं। इसमे भी कोई दो राय नहीं है कि गवर्नर साहब असैम्बली के पार्ट एंड पारसल हैं और यह संविधान में भी दिया हुआ है। हम इस बात से इनकार नही कर रहे है।। हम मात्र इस बिल की बात कर रहे हैं। गवर्नर साहब ने यह बिल रि–कंसीडरे ान के लिये भेजा है उन्होंने जिन बातों पर प्वायंट आउट किया है उन बातों पर यहां चर्चा हो रही है। उन पर चर्चा के बाद जो नतीजा निकलेगा वह गवर्नर साहब को भेज दिया जाएगा। जहां तक गवर्नर साहब की बात है हम उनकी चेयर का पूरा आदर करते हैं। जहां तक चौधरी बंसी लाल जी ने बोलते समय यह कहा कि सरकार की मं ाा 120 दिन पहले चुनाव कराने की है। सरकार की मं ाा 120 दिन पहले चुनाव कराने की नहीं है और न ही इस तरह का प्रावधान एक्ट में है। कैप्टन साहब, आप भी बार बार यही बात कह रहे थे। यह कहां

लिखा है कि 120 दिन पहले चुनाव कराने जा रहे हैं यदि लिखा है तो आप पढ़कर सुनायें।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, हमने यह कहा था कि सरकार की मं ाा है 120 दिन पहले चुनाव कराने की।

प्रो0 सम्पत सिहः अध्यक्ष महोदय, संविधान के एगेंस्ट कौन जा सकता है, 120 दिन पहले चुनाव कराने का प्रावधान एक्ट में नहीं है। (ाोर एवं व्यवधान) आप पढ़े तो सही कि 120 दिन क्या है? ये नोट एक्सीडिंग है। पहले 60 दिन का था कि 60 दिन से ज्यादा एक्सीडिंग नहीं कर सकते और अब यह है कि 120 दिन से पहले एक्सीड नहीं कर सकते हैं। यह नहीं कि 120 दिन पहले सरकार चुनाव करायेगी। 120 दिन पहले चुनाव नहीं करा सकते इस तरह का कोई प्रविजन नहीं है। स्पीकर साहब, 2 पंच और सरपंच नहीं होंगे। पहले वाला इलैक्टिड मैम्बर है और जबसे उसने ओथ ली है तब से लेकर उसकी अवधि खत्म होने तक वही मैम्बर रहेगा। जब तक नया आदमी ओथ नहीं लेगा तो पुराने आदमी ही काम करते रहेंगे। राज्य सभा का जो मैम्बर होता है वह 6 वर्श तक की अवधि का होता है लेकिन कुछ नये मैम्बर चुन लिये जाते हैं लेकिन जब तक पुरानों की अवधि समाप्त नहीं होती वे राज्यसभा के मैम्बर बने रहते हैं। उसकी प्रकार से ये होंगे। एक इन्होंने कह दिया कि टर्म क्यों घटा रहे हैं। मैं क्लीयर करना चाहता हूं कि इसमें हम कोई टर्म नहीं घटा रहे। इन सभी की 5

साल की टर्म बनी रहेगी। जब उनकी औथ की टर्म पूरी हो जायेगी तभी जा कर उनकी अवधि समाप्त होगी।

कैप्टन अजय सिंह यादवः यदि कोई पंच या सरपंच हार जायेगा तो वह कहां जायेगा।

श्री अध्यक्षः वह अपने घर जायेगा।

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, 5 साल की एक आदमी की टर्म है और वह अपनी 5 साल की अपनी टर्म पूरी करेगी। वह आदमी चुनाव लडे या न लड़े उसकी मर्जी है। वह चुनाव जीतता है या हारता है वह अलग बात है लेकिन मौजूदा पंच या सरपंच पूरे 5 साल तक रहेगा।

चौधरी भजन लालः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। स्पीकर साहब, अगर सरकार की यही मं ाा है कि 120 दिन से पहले कोई चुनाव नहीं करा सकते तो फिर हम इसे यूनानीमसली पास क्यों नहीं कर देते। पंचायत का चुनाव सिर्फ 21 दिन पहले करवाने का फायदा है। जबकि इनकी नियत समय से पहले चुनाव करवाने की है ताकि लोगों का आपस का भाईचारा बिगड़े।

प्रो0 सम्पत सिंहः हम 120 दिन से पहले चुनाव नहीं कराएंगे।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अब तो आप ये चुनाव करवा ही नहीं सकते।

श्री बंसी लालः अगर 120 दिन से पहले चुनाव नहीं करवाने हैं तो फिर इसमें अमैंडमैंट क्यों कर रहे हैं।

प्रो0 सम्पत सिंहः अफसोस यह है कि इन भाइयों को इस बारे मं पूरा पता नहीं है।

डॉ0 रघुबीर सिंह कादियानः स्पीक साहब, ...

श्री अध्यक्षः डॉ0 कादियान जी आप बैठिये। इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाये।

प्रो0 सम्पत सिंहः पंजाब एण्ड हरियाणा हाई कोर्ट की बात हो या गवर्नर साहब की बात हो हम इसे लाईटली नहीं ले रहे। इनका यह कहना कि इलैक ान करवाने से गांव उजड़ जाएंगे या फलां हो जायेगा जबकि ऐसा कुछ नहीं होगा। सरकार अपनी जिम्मेवारी अच्छी तरह समझती है। सरकार अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट नहीं सकती। असैम्बली के चुनाव और पंचायत चुनाव टाईम पर होंगे। यह कहना कि कोई झगड़ा हो जायेगा ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सदन की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार आने के बाद 5 साल की अवधि में कई प्रकार के चुनाव हुए। इन चुनावों में कहीं पर किसी प्रकार का झगड़ा नहीं हुआ और न ही किसी प्रकार की कहीं पर कोई एफ0आई0आर0 दर्ज हुई है। अध्यक्ष महोदय, इनकी पार्टी के सैंटर के मिनिस्टर ऑनरेबल मनी भांकर अययर जी हैं उनकी बात को ये मानें या न मानें। (विध्न) ऑनेबल सैंटर के मंत्री ने कहा था। (विध्न) मैंने कह

दिया है और मैने जो कहा है वह रिकार्ड में है आप पढ़ लेना। (विध्न) स्पीकर साहब, ऑनरेबल मनी भांकर अयर जी ने स्पश्ट भाब्दों में कहा है it is nothing un-constitutional. उन्होंने इस बात को माना है। ये लोग इसे मानें या न मानें वे सैंटर की सरकार के ऑनरेबल मंत्री हैं और पढ़े–लिखे व्यक्ति हैं। हम उनकी इज्जत करते हैं और उनकी बात को मानते हैं। जहां तक ये टर्म को घटाने बढ़ाने की बात कह रहे हैं और यह टर्म घटाने–बढ़ाने की बात उस पार्टी के लोग करें जो खुद यह सब करते रहे हैं। चौधरी बंसी लाल जी भी वापिस वहीं पर आ गए हैं। कौन सी पार्टी है जो कहती है 3 से अब 5 कर दिया। अध्यक्ष महोदय, नॉटआफ पंचायत, मैं पार्लियामैंट की बात करता हूं जिसे दुनिया अभी तक भूली नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से अनडैमोक्रैटिकली और अन–कांस्टीच्यू ानली कार्य किया था। कांग्रेस पार्टी के लोगों के जो मौलिक अधिकार थे उनका हनन करके 5 सााल से 6 साल लोक सभा की टर्म बढ़ाई थी। उस वक्त ऐसे हालात हो रहे थे कि आइंदा के लिए लोक सभा के चुनाव न हों और यह टर्म चलती रहे। इनको उस वक्त की बात याद आनी चाहिये। स्पीकर साहब, ये लोग बोलें और कोर्ट की बात करें। आपको याद होगा कोर्ट के बारे में इसी दे ा के प्रधान मंत्री के चुनाव को एज एम0पी0 चुनौती दी गई थी और रिट पैटी ान में उनके ओपोनैंट जीत गए थे और उनके चुनाव को नल एण्ड वाईड डिक्लेयर कर दिया था। स्पीकर साहब, पार्लियामैंट में अमैंडमैंट ला कर प्राईम मिनिस्टर के पद के अदालत के प्रिव्यू से निकाला गया

था। स्पीकर साहब, यह लोग कोर्ट का जिक्र करते हैं। ((ोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं कोर्ट की बात बताना चाहूंगा। (ोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप लोग थोड़ी हिस्टरी तो सुन लें। (ोर एवं व्यवधान) आप लोग थोड़ी ब्रीफ हिस्टरी सुन लें। (ोर एवं व्यवधान)

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर सर, हम कोर्ट का आदर करते हैं, हमें कोर्ट की इज्जत करनी आती है। (ोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनिये। (ोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कैप्टन साहब आप अपनी सीट पर बैठे। (ोर एवं व्यवधान) यह तो सच्चाई है। (ोर एवं व्यवधान) चौधरी भजन लाल भी कांग्रेस पार्टी छोड़ गए थे। (ोर एवं व्यवधान)

प्रो0 सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, हम कोर्ट की कद्र करते हैं, हम कांस्टीच्यू ान की कद्र करते हैं लेकिन इन लोगों ने कोर्ट की कद्र नहीं की थी इसीलिए मैंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने लोक सभा की टर्म 5 साल से 6 साल बढ़ाई और जहां तक कांस्टीच्यू ान की कद्र करने की बात है वह भी मैं क्लीयर कर देता हूं। (ोर एवं व्यवधान) स्पीकर साहब, चाहे किसी भी कोर्ट का फैसला आ जाए, चाहे सबोर्डिनेट कोर्ट का फैसला हो और

चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो हम कोर्ट के हर फैसले को मानते हैं और उसकी इज्जत करते हैं, उसका सम्मान करते हैं लेकिन इन लोगों ने कोर्ट के फैसलों के अगेन्स्ट संवैधानिक सं ोधन किया और सं ोधन करके प्रधान मंत्री को संविधान से ऊपर करके छोड़ दिया। (ोर एवं व्यवधान) (इस समय कई माननीय सदस्य अपनी सीटों पर खड़े हो कर बोलने लगे।)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। (ोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है, आप अपनी सीट पर बैठें। (ोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लालः मुझे अपनी बात कहनी है, इसलिए आप मेरी बात सुनें। (ोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आपको बोलने की कोई इज्जत नहीं है इसलिए आप अपनी सीट पर बैठें। (ोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लालः यदि आप हमारी बात नहीं सुनते तो हम ऐज ऐ प्रोटैस्ट सदन से वाक–आउट करते हैं। (ोर एवं व्यवधान) (इस समय इण्डियन नै नल कांग्रेस पार्टी के सदन में उपस्थित सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए)

श्री अध्यक्षः यह तो सब को पता ही था जो सुर–सुर कर रहे थे तो मुझे पहले ही पता था कि ये वाक–आउट करेंगे। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रका ा चौटालाः भजन लाल जी, अभी दो बिल और आने हैं। दो बिल अभी बकाया हैं इनके लिए तो आपको हाउस में रहना चाहिए। बात सुनने की भी थोड़ी सी हिम्मत रखें। किसी तरह दूसरों पर पत्थर फेंकते हो तो जवाब सुनने की हिम्मत रखो। (ाोर एवं व्यवधान) अब सुनने में मिर्च लगती है और हाउस छोड़ कर भागते हो। मुझे पहले ही पता था कि आप लोग भागेंगे। हम कितना संयम में रहे, क्या आपको इस बात का ध्यान है, अब आप कांख में बस्ता ले कर चल पड़े। पहले भी इस तरह से चले गए थे और अब भी चल पड़े। पहले भी इस तरह से चले गए थे और अब भी चल पड़े हो। अभी दो बिल और आने हैं। (विध्न) स्पीकर साहब, इनका यह हाल है। अखबार में खबर देते है कि बड़ा हंगामाखेज सै ान होगा, पहाड़ तोड़ देंगे और अब यह हाउस छोड़ कर जा रहे हैं। (विध्न) ये जनता के बीच में जा कर क्या जवाब देंगे। इन लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए ये लोग टिक कर बैठ भी नहीं सकते। (ाोर एवं विध्न)

18.00 बजे

विधान कार्य (पुनरारम्भ)

दि हरियाणा पंचायती राज (सैकिण्ड अमैंडमैंट) बिल, 2004 (पुनर्विचार के लिए राज्यपाल से वापस यथा प्राप्त)

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर सर, ये कानून की कदर और संविधान की कदर करना कितना जानते हैं। जिन लोगों ने कानून की अवहेलना करी हो, संविधान की अवहेलना करी हो और हाईकोर्ट की जजमैंट की अवहेलना करी हो उनको क्या पता है। (ाोर) स्पीकर सर, जो कुछ हमने कहा है, जो बिल हमने पहले पास किया था उसमें अन–कंस्टीच्यू ानली कुछ भी नहीं है, इललीगलीटी कुछ नहीं है। (ाोर) असैम्बली ने बकायदा इसको पास किया है और मैं इनको बताना चाहूंगा कि यह सरकार डैमोक्रेसी में वि वास करती है। हम हर कांस्टीच्यू ान की इन्सटीच्यू ान का मान–सम्मान करते हैं और इन्सटीच्यू ान की इज्जत करते हुए हमने इस बिल पर अपने कमैंटस दिए थे। अब इन्होंने यहां पर गवर्नर साहब की बात कर दी है और कैप्टन साहब ने आर्टिकल 200 पढ़कर सुना दिया। (ाोर) उसमें लिखा है कि There are four courses open to a Governor. . . .

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, ऑन ए प्वायंट आफ आर्डर।

Mr. Speaker: Mange Ram Ji, please sit down. It is not a matter of right. (ाोर)

प्रो0 सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा डैकोरम बनवाएं। (ाोर)

श्री अध्यक्ष: बैठिए–बैठिए। (ाोर) मेरे भी कुछ राईट हैं। (ाोर) मैं अपने राईट्स के बारे में जानता हूं।

Prof. Sampat Singh: It is mentioned-

"Governor's assent to a Bill."

(ाोर) सर, इसमें आगे लिखा है। (ाोर)

"There are four courses open to a Governor to whom Bill passed by a State Legislature is presented for assent to the Governor.

1. Assents

2. Withholds

3. Reserves

4. Returns the Bill, if not a Money Bill for reconsideration with his message, "This is to be done as soon as possible after the presentation of the Bill."

श्री अध्यक्ष: आप बीच में मत बोलें। (ाोर) उनकी मर्जी है। वे जवाब दे रहे हैं और जो चाहेंगे बोलेंगे। (ाोर) आप उनको अपने हिसाब से बोलने के लिए नहीं कह सकते हैं। आप बैठ जाएं।

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर सर, मैंने पहले भी कहा है कि मैं केवल मात्र आपकी इजाजत से बोल रहा हूं और आपको ही सम्बोधित करके बोल रहा हूं। मैम्बर साहेबान, मुझे उकसाने का बहुत प्रयास कर रहे हैं कि मैं कुछ बोलूं। स्पीकर सर, यह बिल रिकंसीड्रे ान के लिए भेजा है इसलिए मैं उसका फेट बता रहा हूं। आप सुनें मैं उस के बारे में ही बता रहा हूं। The Governor's action in this regard has been held to be non-justifiable. See undersigned cases. Purshotam Versus State of Kerala AIR 1962, (SC), 694. इसी तरह से Bharat Sain Ashram Versus State of Gujrat, AIR, 1987(SC), 494. स्पीकर सर, आलरेडी यह है कि जब आप रिकंसीड्रे ान के लिए भेजेंगे तो इस बारे में गवर्नर साहब क्या ऐक ान लेंगे। यह तो गवर्नर साहब की पावर है हम इस पर डिबेट नहीं कर सकते हैं। संविधान ने उनको पावर दी हुई है, हम न उस पर डिबेट कर रहे हैं और न ही हम उसको चैलेंज कर रहे हैं, हम उनकी पॉवर को मानते हैं और उनकी पॉवर का सम्मान करते हैं। जो उनकी पॉवर होगी वह वे यूज करेंगे। आप और हम पहले क्यों सोंचें कि अगर यह बिल दोबारा जाएगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा। यह तो गवर्नर साहब पर डिपैंड करता है, जो उनकी पॉवर है वे उस हिसाब से काम करेंगे और असैम्बली अपने हिसाब से काम करेगी। इसलिए इस पर एतराज करने वाली कोई बात नहीं है। (ाोर)

श्री अध्यक्षः गुप्ता जी, अब तो रिप्लाई भी आ चुका है।

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रो0 सम्पत सिंह जी से जानना चाहूंगा कि यह बिल पास हो जाएगा और यह भी ठीक है कि 120 दिन हपले चुनाव करवाने की बात कह रहे हैं। (ोर) आप यह बताएं कि यह बिल पास होने के बाद क्या स्टेट इलैक् ान कमी ान 120 दिन की बजाए 100 दिन पहले चुनाव करवा सकेगा।

प्रो0 सम्पत सिंहः यह तो उनकी मर्जी है।

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, यह कहना कि चुनाव नहीं हो सकता, चुनाव चाहें आप 120 दिन बाद, 119 दिन बाद या 100 दिन बाद करा लें लेकिन मैं सम्पत सिंह जी से एब बात पूछना चाहता हूं। (विध्न) अध्यक्ष महोदय, इस बिल के पास होने के बाद अगर 100 दिन पहले स्टेट इलैक् ान कमी ान के चुनाव करवा दिए तो जो सीटिंग सरपंच है और यदि वह चुनाव लड़ना चाहता है तो वह नये बनने वाले सरपंच के खिलाफ ही चुनाव लड़ेगा और यदि ऐसा होगा तो वह उसके खिलाफ अपनी पंचायत की पावर का, पंचायत के फंडज का बड़ा भारी मिसयूज करेगा इसलिए हमारा कहना यह है कि इससे बड़े भारी क्ले ा हो जाएंगे। (विध्न) स्पीकर साहब, चाहे उसको कुछ भी लुटाना पड़े लेकिन वह अपनी हार को किसी भी हालत में बर्दा त नहीं करेगा। जिस तरह से सरकार अपना खजाना लुटाने लग रही है तो वह सरपंच भी चुनाव जीतने के लिए इसी तरह से पंचायत के

फंडज का मिसयूज करेगा। इसलिए हमारा कहना है कि आप इस तरह से खजाना क्यों लुटवाने लग रहे हो।

श्री अध्यक्षः गुप्ता जी, अब आप बैठिए। (विघ्न)

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर सर, मांगे राम जी ने ऐसी कोई वि ोश नयी बात तो नहीं कही जिसका जवाब दिया जा सके लेकिन इन्होंने एक बात यह जरूर कही कि सरपंच लूट मचाएगा, फलां लूट माचाएगा। अध्यक्ष महोदय, वह भी इलैक्टिड बॉडी हैं इसलिए किसी इलैक्टिड मैम्बर के खिलाफ इनको इस तरह कहना भाोभा नहीं देता। जहां तक फंडज को लुटाने की बात है किसी को भी यह अधिकार नहीं है क्योंकि सबके लिए कानून बना हुआ है। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः कादियान साहब, आपने तो यहां बेरी का मेला बना दिया है। आप बैठिए।

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, चाहे वह सरपंच हो, चाहे वह एम0एल0ए0 को मेरा कहना यह है कि कानून सबके लिए है। चाहे वह पंच हो, चाहे वह सरपंच हो, चाहे वह एम.एल.ए. हो या चाहे वह एम.पी. हो अगर कोई लूट मचाएगा तो वह जेल जाएगा। लूट कोई नहीं मचाने देगा इसलिए मांगे राम जी को इस तरह की बातें कहना भाोभा नहीं देता।

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill, 2004 as passed by the Haryana Vidhan Sabha on 29th September, 2004 be reconsidered in the light of the observation contained in the message dated the 26th November, 2004 from the Governor of Haryana with a view to reconsider it keeping in view the following facts:-

"1. The Bill does not seem to have considered the effect of the proposed amendment under which the newly elected members of the Municipalities, though having been declared elected, would be prevented from holding office for an unusually long period i.e. till the publication of their names in the official gazette; thus creating a possible scenario where two individuals could be treated as elected representatives, leading to an unprecedented and anomalous situation which would have the de facto result of curtailing the term of the earlier elected representative.

2. The Bill also does not seem to have that a period of 45 days is normally required for conducting Municipal elections. In 1994 and 2000, the State Election Commission took 49 and 41 days respectively to complete the process of Municipal elections. In the case Punjab Panchayati Union *Versus* State of Punjab and others (reported as AIR 2002 Punjab & Haryana page 356), the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana has held as follows:-

"...on a combined reading of the provisions in Section 29, 29-A and 209 alongwith part IX of the Constitution, it appears that the State Government can initiate process of elections prior to the date on which the term of the existing Panchayats is due to expire. How much

prior? It would depend upon the situation at a particular point of time. The Constitution and the Act do not prescribe any period. Thus, no hard and fast rule can be laid down. Normally, the period shall only be such as may, of necessity, be needed by the authority to complete the process of election…"

Therefore, the existing provision of Section 161(I)(i) of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 is more than adequate to complete the process of election and to meet any exigency whatsoever.",

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, a Minister will move that the Bill be passed again.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to move-

That the Bill be passed again.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed again.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed again.

The motion was carried as passed earlier.

दि हरियाणा औफिशियल लैंग्वेज (अमैंडमैंट) बिल, 2004

Mr. Speaker: Now, a Minister will introduce the Haryana Official Language (Amendment) Bill, 2004 and also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I introduce the Haryana Official Language (Amendment) Bill, 2004.

Sir, I also beg to move-

That the Haryana Official Language (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Official Language (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, a Minister will move that the Bill be passed again.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to move-

That the Bill be passed again.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed again.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed again.

The motion was carried as passed earlier.

दि हरियाणा औफि ायल लैंग्वेज (अमैंडमैंट) बिल, 2004

Mr. Speaker: Now, a Minister will introduce the Haryana Official Language (Amendment) Bill, 2004 and also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I introduce the Haryana Official Language (Amendment) Bill, 2004.

Sir, I also beg to move-

That the Haryana Official Language (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Official Language (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल): स्पीकर सर, यह जो बिल लाया गया है उसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है लेकिन आपके माध्यम से सरकार कोयह सलाह देना चाहता हूं कि खाली पंजाबी लैंग्वेज को इंक्लूड करने से काम नहीं चलेगा। (इस समय उपाध्यक्ष पदासीन हुए) पंजाबी भाईयों को प्रदे ा में पूरा आदर और सम्मान भी मिलना चाहिए। . . . .

श्री उपाध्यक्ष: कर्ण सिंह दलाल ने ये जो भाब्द कहें हैं। ये रिकार्ड न किए जाएं।

श्री कर्ण सिंह दलाल: पंजाबी लैंग्वेज को ऑफिि ायल लैंग्वेज तो करार दिया है लेकिन यह स्कूलों में पढ़ाई नहीं जाती है और अगर ऐसा किया जाता है तो अध्यापकों की भी व्यवस्था करनी होगी। उपाध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा के प्राइमरी स्कूलों में कितने पंजाबी अध्यापक होंगे?

श्री उपाध्यक्षः कर्ण सिंह दलाल जी, आप पहले यह बतायें कि आप इस बिल के फेवर में बोल रहे हैं या इस बिल को अपोज कर रहे हैं।

श्री कर्ण सिंह दलालः उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के फेवर में बोल रहा हूं। मैं तो एक सुझाव दे रहा हूं कि केवल बिल लाने से बात नहीं बनेगी, पंजाबी लैंग्वेज को आप ऑफि ायल लैंग्वेज बनाने जा रहे हैं। (ोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः कर्ण सिंह दलाल जी आप बैठिये। मैं इ ारे से नहीं चलता, न तो आपके और न ही कादयान जी के, इसलिए आप बैठ जाइए।

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रका ा चौटाला): उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत प्रसन्नता की बात है कि कर्ण सिंह दलाल इस बिल का समर्थ न कर रहे हैं। लेकिन यह कर्ण सिंह दलाल जब चौधरी बंसी लाल जी की सरकार में वजीर हुआ करते थे जब इन्होंने चौधरी बंसी लाल जी को यह सलाह दी होती कि तेलगू भाशा की हरियाणा की दूसरी भाशा न बनाये तो अच्छा होता। इनको पता था कि यहां तेलगू भाशा बोलने वाला एक भी नहीं है। तेलगू भाशा को हरियाणा प्रदे ा की दूसरी भाशा बनाना चौधरी बंसी लाल जी आप पर लानत है। यह क्या सोचकर बनाई थी आपने, किसलिए बनाई थी कोई बात हुई।

श्री कर्ण सिंह दलालः उपाध्यक्ष महोदय, इतिहास दोहराता रहता है। मैं चौधरी ओमप्रका । चौटाला को याद दिलाना चाहता हूं कि जब पंजाब–हरियाणा का बंटवारा हुआ था तब पंजाबी लैंग्वेज की प्रतियां जलाकर, चौधरी देवीलाल जी ने पंजाबियों का विरोध किया था।

श्री ओम प्रका । चौटालाः यह बिल्कुल निराधार, बेसलैस और अनर्गल बात है। चौधरी देवीलाल ने हर जाति को पूरा सम्मान प्रदान किया। चौधरी देवीलाल की वजह से ही आज हम हरियाणा प्रदे । में बैठे हुए हैं वरना आज हरियाणा नहीं होता। चौधरी भजन लाल और चौधरी बंसी लाल इनका विरोध करने वाले थे। इनके तो डाईसैंटिग नोट लिखे हुए हैं।

श्री बंसीलालः उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदे । मेरे दस्तखतों से बना था उस समय चौधरी देवीलाल और चौधरी ओमप्रका । चौटाला तो राजनीति में पैदा ही नही हुए थे।

श्री कर्ण सिंह दलालः उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री उपाध्यक्षः जो कर्ण सिंह दलाल कह रहे हैं वे भाब्द रिकार्ड न किए जाएं। कर्ण सिंह जी, आप बैठिये।

परिवहन मंत्री (श्री अ ाोक अरोड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि कर्ण सिंह दलाल जी ने कहा कि पंजाबियों का सम्मान नहीं किया गया। इस सरकार ने पंजाबियों को पूरा सम्मान दिया है। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि पंजाबियों को अपमानित तो

चौधरी बंसी लाल जी ने और चौधरी भजन लाल जी ने किया है जो सामने इकट्ठे बैठे हुए हैं।

श्री रामकि ान फौजीः उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे काम नहीं चेलगा।

श्री उपाध्यक्षः रामकि ान फौजी, आप बैठ जायें। मैंने मंत्री जी को बोलने का समय दिया है इसलिए आप अपनी सीट पर बैठिये। आपका प्वायंट ऑफ आर्डर होगा तो आपको भी बोलने का समय दिया जाएगा।

श्री अ ाोक अरोड़ाः उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसीलाल जी ने पंजाबी भाशा की बजाए तेलगू भाशा को प्रदे ा की दूसरी भाशा का स्थान दिया और चौधरी भजन लाल जी ने भी जब मौका मिला पंजाबियों को दबाया।

श्री रामकि ान फौजीः उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है।

श्री अ ाोक अरोड़ाः उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी भजन लाल जी ने जब भी मौका मिला पंजाबियों को दबाने का और मारने का काम किया। उन्होंने तो बसों से उतारकर भी पंजाबियों को मारने का काम किया, उनको जलाने का काम किया और अपमानित करने का काम किया। इसी प्रकार राजनीतिक रूप से भी जब बाई–इलैक ान हुए तो पंजाबियों की जो सीट होती थी उस सीट पर अपने रि तेदारों को टिकट दी या अपने क्षेत्र के लोगों

को पंजाबियों की जगह सीट दी। चौधरी ओमप्रका ा चौटाला जी ने जब भी मौका मिला राजनैतिक रूप से या प्र ाासनिक रूप से पंजाबियों को भागीदारी दी। आज पांच यूनिवर्सिटीज में से दो यूनिवर्सिटीज के वाईस चांसलर पंजाबी हैं।

श्री कर्ण सिंह दलालः उपाध्यक्ष महोदय, . . .

श्री उपाध्यक्षः कर्ण सिंह जी, मैंने आपको मौका दिया बोलने का, पूरी अपोरचूनिटी दी है आप उसका मिसयूज न करें I warn you आप हाउस का डैकोरम बनाकर रखें, जो मैम्बर्ज चेयर की इजाजत के बिना बोल रहे हैं उनकी कोई बात रिकार्ड न की जाए।

श्री अ ाोक अरोड़ाः उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी ओमप्रका ा चौटाला जी की सरकार में एच0पी0एस0सी0 के चेयरमैन श्री एल0डी0 महता पंजाबी हैं और एस0एस0सी0 के चेयरमैन श्री ए0सी0 चावला भी पंजाबी हैं। (ाोर एंव व्यवधान)

डा0 रघुबीर सिंह कादियानः उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है।

श्री उपाध्यक्षः कादियान साहब आप बैठें, आपको कोई प्वांयट ऑफ आर्डर नहीं है, आपने हाउस का ठेका नहीं लिया हुआ है। (ाोर एवं व्यवधान)

सदस्य का नाम लेना

डा0 रघुबीर सिंह कादियान: तो आपने हाउस का ठेका ले रखा है। . .

श्री उपाध्यक्ष: हां, मैंने ले रखा है, कादियान साहब, I warn you हाउस आपकी बपौती नहीं है, आप अकेले बोलने वाले मैम्बर नहीं हैं। कादियान साहब जो कह रहे हैं, वह रिकार्ड न किया जाए। आप बैठें। आपने बिना इजाजत बोलने का ठेका नहीं ले रखा है। अकेले आप बोलने वाले मैम्बर नहीं हैं। (विध्न)

डा0 रघुबीर सिंह कादियान: प्वायंट ऑफ आर्डर पर तो बोल सकते हैं।

Mr. Deputy Speaker: Please take you seat.

Dr. Raghuvir Singh Kadian: Dupty Speaker Sir, * * * * *

(At this stage, Dr. Raghuvir Singh Kadian did not resume his seat and continued speaking.)

Mr. Deputy Speaker: I name Dr. Raghuvir Singh Kadian. He may please leave the House. (Interruption).

Dr. Raghuvir Singh Kadian: Deputy Speaker Sir, * * * * (Interruption)

(At this stage, Dr. Raghubir Singh Kadian continued arguing with the Deputy Speaker.)

Mr. Deputy Speaker: Nothing to be recorded. Dr. Raghvir Singh Kadian you may please leave the House.

डा0 रघुबीर सिंह कादियान: आप तो वाया भठिंया आ रहे हो, आपने सारे गुड़गांव को घेर लिया।

श्री उपाध्यक्ष: गुड़गांव के बारे में मुझे तेरे से सर्टीफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। आप कैसे कह रहे हैं कि मैं वाया भठिंडा आया हूं, मैं अपने दम पर आया हूं और गुड़गांव के लोगों ने मुझे जिताया है। I have named you, You may leave the House. * * * करते हो, इनको बाहर निकालो। अकेले आप बोलने वाले नहीं हो, हर मैम्बर को यहां बोलने का अधिकार है। (विध्न) यह हाउस है कोई मजाक नहीं है। (Noise and interruptions)

(At this stage Dr. Raghubir Singh Kadian withdrew from the House.)

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: दलाल साहब, आपने भी वही करना है, आप बैठें मैं आपको समझदार समझता हूं। आप भी जाना चाहते हैं। वह आदमी तो सुबह से ऐम लेकर चला है कि मुझे नेम करें।

सदस्य का निलम्बन

वित्त मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह): उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि इनकी इन्टैं ान कुछ और है, वह इन्होंने साबित करके दिखाया, हमने चेयर से रिक्वैस्ट की थी कि ये डिसआर्डरली बिहेव करने का प्रयास न करें, ये नेम

करने का, सस्पैं ान का मौका न आने दें। लेकिन हर चीज की सीमा होती है हद होती है चेयर का अपमान हाउस का कोई भी मैम्बर बर्दा त नहीं कर सकता। आप हाउस की चेयर के कस्टोडियन हैं, इस चेयर का अपमान होगा तो यह हाउस का अपमान होगा न कि चेयर का अपमान होगा। जिस तरीके से कादियान साहब का व्यवहार रहा है वह असंसदीय है और अ ाोभनीय है, एक मैम्बर बनने के लायक जो होता है वह ये नहीं है। इस तरह की भाशा कहीं भी जंगल में भी नहीं बोली जाती है, अनपढ़ भी सभ्य तरीके से रहते हैं, सभ्य तरीके से बोलते हैं, सभ्य तरीके से व्यवहार करते हैं। जिस तरीके से इन्होंने व्यवहार किया मेरे ख्याल से यह अनप्रेसीडेंट व्यवहार हैं इसमें केवल नेम नहीं करना चाहिए बल्कि मजबूर होकर भारी दिल से मैं इनके बिहेवियर को देखकर, एक प्रस्ताव मूव करना चाहता हूं क्योंकि सुबह से इन्होंने कितनी इंट्र ान की हैं, इंट्रप्ट करें कोई बात नहीं उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन हाउस के

90 सदस्य हैं और सबको बोलने का अधिकार है। केवल मात्र एक मैम्बर यह समझे कि मैं ही हूं बाकि कोई मैम्बर के लायक ही नहीं है तो इससे फालतू हाउस की अवमानना और कौन करेगा।

Sir, I beg to move-

That Dr. Raghubir Singh Kadian be suspended from the service of the House for his misconduct, most

irresponsible behaviour inbecoming of the Member of this august House and his grossly, disorderly conduct in the House for the remainder of the session.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved-

That Dr. Raghubir Singh Kadian be suspended from the service of the House for his misconduct, most irresponsible behaviour inbecoming of the Member of this august House and his grossly, disorderly conduct in the House for the remainder of the session.

Mr. Deputy Speaker: Qestion is-

That Dr. Raghubir Singh Kadian be suspended from the service of the House for his misconduct, most irresponsible behaviour inbecoming of the Member of this august House and his grossly, disorderly conduct in the House for the remainder of the session.

The motion was carried.

कैप्टन अजय सिंह यादवः उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी कुछ कहना है।

श्री उपाध्यक्षः कैप्टन साहब, यदि आप बिल पर बोलना चाहते हैं तो बोलें। आपके जिस साथी को सस्पैंड किया गया है वह तीन बजे से हाउस की कार्यवाही मे बाधा डाल रहा था। उस बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज आप बैठ जायें। वह आपसे सीनियर नहीं है जब मैं आपके साथ बैठा हुआ था उस

समय वह बार–बार आपके पास आकर कभी कुछ कभी कुछ कह रहा था।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री उपाध्यक्षः यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय 15 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजेंः ठीक है, जी।

श्री उपाध्यक्षः हाउस का समय 15 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

विधान कार्य (पुनरारम्भ)

दि हरियाणा औफि ायल लैंग्वेज (अमैंडमैंट) बिल, 2004

श्री कर्ण सिंह दलालः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार पंजाबी भाशा को दूसरी ऑफि ायल भाशा बनाने के बिल में जो अमैंडमैंट लेकर आई है उसके साथ–साथ इस भाशा को आगे बढ़ावा देने के लिए जहां अध्यापकों की जरूरत है वहां अध्यापकों का प्रबन्ध करायें। इसके अतिरिक्त गांवों, भाहरों, वार्डों आदि में यदि पंजाबी भाशा की एक्स्ट्रा क्लासिज लगाई जायेंगी तो इस भाशा को ओर बढ़ावा मिलेगा।

वित मन्त्री (प्रो0 सम्पत सिंह): उपाध्यक्ष महोदय, अरोड़ा साहब ने पंजाबीज के बारे में सारी बातें अभी बता दी है और जहां तक सरकार पंजाबी भाशा को दूसरी ऑफि ायल भाशा बनाने के बिल में जो अमैंडमैंट लेकर आई है इस अमैंडमैंड को सभी को सर्वसम्मति से पास करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब और हरियाणा पहले दोनों एक स्टेट हुआ करते थे। यहां पंजाबी और हिंदी दोनों भाशाएं बोली जाती थी ओर आज भी हमारे राज्य में हिन्दी के बाद पंजाबी बोलने वालों की संख्या अधिक है। हमारी सरकार ने इस बात की कदर करते हुए यह अमैंडमैंड लेकर आई है ताकि ऑफि ायल तौर पर पंजाबी को दूसरी भाशा माना जाये। उपाध्यक्ष महोदय, अभी हम यह बिल लेकर आये हैं इसके बाद इस पर कार्यवाही होगी। जहां पर पंजाबी के अध्यापकों की आव यकता होगी वहां अध्यापक भी लगाये जायेंगे और इस भाशा को बढ़ावा दिया जाएगा। जहां जहां इस भाशा का इस्तेमाल होगा वहां किया जायेगा इससे पंजाबी भाशा को बढ़ावा मिलेगा। श्री कर्ण सिंह दलाल को सरकार का धन्यवाद करना चाहिए कि हमारी सरकार ने आते ही हरियाणा में पंजाबी एकेडमी बनाई ताकि यह एकेडमी पंजाबी के लिट्रेचर पर रिसर्च कर सके और पंजाबी भाशा को बढ़ावा मिल सके। इसलिए मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि यह बिल यूनानीमसली पास किया जाए।

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That the Haryana Official Language (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now, the House will be consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now, a Minister will move that the Bill be passed again.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to move-

That the Bill be passed again.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed again.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed again.

The motion was carried.

दि हरियाणा हैल्थ केयर वर्कर्स बिल, 2004

Mr. Deputy Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Haryana Health Care

Workers Bill, 2004 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to introduce the Haryana Health Care Workers Bill, 2004

Sir, I also beg to move-

That the Haryana Health Care Workers Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved-

That the Haryana Health Care Workers Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That the Haryana Health Care Workers Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Sub Clause (2) of Clause-1

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That Sub Clause(2) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub Clause(3) of Clause 1

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That Sub Clause(3) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 2 to 24

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That Clauses 2 to 24 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub Clause(1) of Clause 1

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That Sub Clause(1) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now, a Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now, teh House stands adjourned till 9.30 A.M. tomorrow.

18.35 hrs.

(The Sabha then *adjourned till 9.30 A.M. on Thursday, the 2nd December, 2004.)